

Office of Labour Commissioner, Uttarakhand, Shram Bhawan, Nainital Road, Haldwani

Letter No. : 1249 4-122/2018-19 The Code on Social Security,

Dated : 26/2/2021

The following draft rules, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sections 154, 155 and 158 of the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020) read with section 24 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897) and in supersession of the

- (i) The Uttarakhand (U.P. Maternity Benefit Rules, 1983) Adaptation and Modification order 2002;
- (ii) The Uttarakhand (U.P. Payment of Gratuity Rules, 1975) Adaptation and Modification order 2002;
- (iii) The Uttarakhand Building and Other Construction Workers (Regulations of Employment and Conditions of Service) Rules, 2005
- (iv) Building and Other Constructions Workers' Welfare Cess Rules, 1998; & (v) Unorganized Workers' Social Security Rules, 2009;

made by the State Government in exercise of the powers conferred by the Maternity Benefit Act, 1961 (53 of 1961), the Payment of Gratuity Act, 1972 (39 of 1972), the Building and Other Construction Workers' Welfare Cess Act, 1996(28 of 1996) and the Unorganized Workers' Social Security Act, 2008(33 of 2008), as the case may be, which are repealed by section 164 of the said Code on Social Security, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, are hereby notified, as required by section 158, for information of all persons likely to be affected thereby and the notice is hereby given that the said draft notification will be taken into consideration after the expiry of a period of forty-five days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Objections and suggestions, if any, may be addressed to The Labour Commissioner, Shram Bhawan, Nainital Road, Haldwani Uttarakhand, through Registered Post or through E.Mail on lcukhld0@gmail.com. The objections and suggestions should be sent in a proforma containing column (1) specifying the name and address of the person/organization and column (2) specifying the chapter and rule or sub-rule which is proposed to be modified and column (3) specifying the revised rule or sub-rule proposed to be substituted and column (4) reasons therefor;

Objections and suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft notification before expiry of the period specified above, will be considered by the State Government.



(Deepthi Singh)

Labour Commissioner, Uttarakhand

Uttarakhand Code on Social Security Draft Rules, 2021

The following draft rules, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sections 154, 155 and 158 of the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020) read with section 24 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897) and in supersession of the

(i) The Uttarakhand (U.P. Maternity Benefit Rules, 1983) Adaptation and Modification order 2002;

(ii) The Uttarakhand (U.P. Payment of Gratuity Rules, 1975) Adaptation and Modification order 2002;

(iii) The Uttarakhand Building and Other Construction Workers (Regulations of Employment and Conditions of Service) Rules, 2005

(iv) Building and Other Constructions Workers' Welfare Cess Rules, 1998; &

(v) Unorganized Workers' Social Security Rules, 2009;

made by the State Government in exercise of the powers conferred by the Maternity Benefit Act, 1961 (53 of 1961), the Payment of Gratuity Act, 1972 (39 of 1972), the Building and Other Construction Workers' Welfare Cess Act, 1996(28 of 1996) and the Unorganized Workers' Social Security Act, 2008(33 of 2008), as the case may be, which are repealed by section 164 of the said Code on Social Security, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, are hereby notified, as required by section 158, for information of all persons likely to be affected thereby and the notice is hereby given that the said draft notification will be taken into consideration after the expiry of a period of forty-five days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Objections and suggestions, if any, may be addressed to The Labour Commissioner, Shram Bhawan, Nainital Road, Haldwani Uttarakhand, through Registered Post or through E.Mail on lcukhld0@gmail.com. The objections and suggestions should be sent in a proforma containing column (1) specifying the name and address of the person/organization and column (2) specifying the chapter and rule or sub-rule which is proposed to be modified and column (3) specifying the revised rule or sub-rule proposed to be substituted and column (4) reasons therefor;

Objections and suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft notification before expiry of the period specified above, will be considered by the State Government.

DRAFT RULES

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. **Short title, extent and commencement.**- (1) These rules may be called the Uttarakhand Code on Social Security Rules, 2021.

(2) They extend to the State of Uttarakhand.

(3) They shall come into force after the date of their final publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**- (1) In these rules, unless the subject or context otherwise requires:-

(a) “Agency” means any corporation, body or institution, established under an Act of Parliament or Legislature of State of Uttarakhand, Central Public Sector Undertaking or State Public Sector Undertaking or Special Purpose Vehicle as notified by the Central Government or Government of Uttarakhand.

(b) “Appeal” means an appeal preferred under sub-section (1) of section 23;

(c) "Appellate authority" means the authority specified by the Government of Uttarakhand under sub-section (8) of section 56 or an officer, senior in rank to the Assessing Officer for the purposes of section 105 of the Code, appointed by the State Government, as the case may be;

(d) “Assessing Officer” means an officer not below the rank of Assistant Labour Commissioner of Uttarakhand Government or any officer of a local authority holding an equivalent post and appointed for assessment of Cess under the Code;

(e) “authority” means the State Government or the authority specified by the State Government under sub-section (3) of section 72;

(f) “average daily wages during a contribution period” under chapter IV of the Code in respect of an employee, means the aggregate amount of wages payable to him during that period divided by the number of days for which such wages were payable;

(g) “Average daily wages during a wage period” under chapter IV of the Code means —

(i) in respect of an employee who is employed on time-rate basis, the amount of wage which would have been payable to him for the complete wage period had he worked on all the working days in that wage period, divided by 26 if he is monthly rated, 13 if he is fortnightly rated, 6 if he is weekly rated and 1 if he is daily rated;

(ii) in respect of an employee employed on any other basis, the amount of wages earned during the complete wage period in the Contribution period divided by the number of days in full or part for which he has worked for wages in that wage period :

Provided that where an employee receives wages without working on any day during such wage period, he shall be deemed to have worked for 26, 13, 6 or 1 days or day if the wage period be a month, a fortnight, a week or a day respectively.

Explanation— Where any night shift continues beyond midnight, the period of the night shift after midnight shall be counted for reckoning the day worked as part of the day preceding;

(h) “benefit period” means the period not exceeding six consecutive months corresponding to the contribution period, as may be specified in the Regulations;

(i) “cess collector” means an officer appointed by the State Government for collection of cess under the Code ;

(i) “chairperson” means the Chairperson of the Corporation, the Uttarakhand Building and Other Construction Workers Welfare Board, the Uttarakhand Unorganised Social Security Board, the Standing Committee, the Medical Benefit Committee or the Executive Committee, or any other Board for administering the benefits under the Code as the case may be;

(k) “chartered engineer” means a person having an engineering degree and the corporate membership of Institute of Engineers India;

(l) “Code” means the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020);

(m) “electronically” means any information submitted by email or uploading on the designated portal or digital payment in any mode for the purpose of Code;

(n) “form” means a form appended to these rules;

(o) “Fund” means the Social Security Fund, as the case may be;

(p) “Government Securities” means Government Securities as defined in the Government Securities Act, 2006 (38 of 2016);

(q) “immovable property” includes land, benefits to arise out of land, things attached to the earth, or permanently fastened to anything attached to the earth;

(r) “movable property” means property of every description except immovable property;

(s) “nodal officer” means a person designated by the Government of Uttarakhand or Building and Other Construction Workers Welfare Board to facilitate the registration, renewal and updation electronically or otherwise or

any such other function of Building Workers working in the Private Sector, State Government, Central Government and Public Sector Undertakings of the Central and the State Governments or Local Authority. The Nodal Officer shall also supervise and monitor functions of the Beneficiary Registering Officers designated by Appropriate Government;

(t) “nomination” means nomination made under section 55 of the code;

(u) “Registered Medical Practitioner” means a medical practitioner whose name has been enrolled in a register maintained under any law for the time being in force regulating the registration of practitioners of medicine;

(v) “register of women employees” means a register of women employees maintained under rule 55;

(w) “schedule” means the schedule of the Code;

(x) “section” means a section of the Code;

(y) “Portal” means any electronic or web **service** regulated by Labour Department, Uttarakhand or the State Govt.

(z) “specified” means specified by an order of the Central Government or the Government of Uttarakhand or any officer so authorised by such Government;

(za) “turnover” of an aggregator as defined under sub-section (91) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), means the gross amount of revenue recognized in the profit and loss account from the sale, supply, or distribution of goods or on account of services rendered, or both, by a company during a financial year.

(zb) “year” shall mean the financial year, that is to say, beginning from the first of April and ending with the thirty-first of March of the year following.

(2) The words and expressions used in these rules which are not defined therein, but are defined in the Code, shall have their respective meaning as assigned to them in the Code.

C. STATE SOCIAL SECURITY BOARD

3. Manner of exercising the powers and performance of the functions by the State Social Security Board under sub-section (1), the manner of nomination of members, their term of office and other conditions of service, procedure to be followed in the discharge of their functions and manner of filling vacancies under subsection (4) and time, place and rules of procedure relating to the transaction of business under sub-section (6) of section 6- (1) Constitution of the State Social Security Board for Unorganised Workers-

(a) The Board constituted under section 6 shall be called as 'State Social Security Board for Unorganised Workers'.

(b) A member, other than an ex-officio member, shall hold office for a period not exceeding three years from the date of his nomination.

(c) A member shall be eligible for re-nomination:

Provided that a member shall not hold the office for more than total of two terms.

(d) State Government may seek nomination from amongst the representatives of associations of unorganized sector workers and employers' associations of unorganized sector, in the State Social Security Board for Unorganised Workers, in the category of sub-clauses (i) and (ii) of clause (c) of sub-section (2) of section 6 in such a manner, as decided by the Government.

(e) The State Government shall nominate seven persons under sub-clause (iii) of clause (c) of sub-section (2) of section 6 from amongst persons of eminence in the field of labour welfare, management, finance, law and administration.

(f) The State Government shall seek nomination of three Vidhan Sabha Members from the Speaker of the Vidhan Sabha under subclause (iv) of clause (c) of sub-section (2) of section 6, as the case may be.

(g) The State Government shall nominate ten Members under sub-clause (v) of clause (c) of sub-section (2) of section 6 representing Ministries/ Departments of State Government, concerned with the matters related to the welfare of the unorganised sector workers.

(h) The State Government shall nominate five Members representing the State Governments under sub-clause (vi) of clause (c) of sub-section (2) of section 6, **and one member representing Government of India** under sub-clause (vii) of clause (c) of sub-section (2) of section 6 on rotation basis in such manner, as may be decided by that Government.

(i) A member nominated under sub-clauses (i), (ii) and (iii) of clause (c) of sub-section (2) of the section 6, shall cease to be a member of the Board if he ceases to represent the category of interest from which he was so nominated:

Provided that out of seven persons nominated under sub-clause(i), one member each from the Scheduled Caste, the Scheduled Tribe, the Minorities and Women shall be represented.

(j) A member nominated under sub-clause (iv) of clause (c) of sub-section (2) of the section 6 shall cease to be a member of the Board if he ceases to be a member of the Vidhan Sabha by which he was so elected.

(k) No person shall be chosen as, or continue to be, a member of the Board, if such person attracts any provision(s) of section 8.

(2) Constitution of the State Social Security Board for Gig Workers and Platform Workers- (a) The Board constituted under section 6 of the Code read with sub-section (6) of the section 114 of the Code shall be called as ‘State Social Security Board for Gig Workers and Platform Workers’.

(b) A member, other than an ex-officio member, shall hold office for a period not exceeding three years from the date of his nomination.

(c) A member shall be eligible for re-nomination:

Provided that a member shall not hold the office for more than total of two terms:

(d) State Government shall nominate five members under clause (a) of sub-section (6) of section 114, as representative of aggregators on rotation basis from amongst type of the aggregators mentioned in the Seventh Schedule.

(e) State Government shall nominate five members under clause (b) of sub-section (6) of section 114 from amongst the gig workers and platform workers, on rotation basis, representing the different types of gig workers and platform workers.

(f) Under clause (e) of sub-section (6) of section 114 of the Code, the State Government may nominate five members as experts from amongst persons of eminence in the field of labour welfare, management, finance, law, administration, e-commerce or information technology.

(g) The rules for the manner and discharge of functions of the State Social Security Board for Unorganised Workers shall also be applicable to the State Social Security Board for Gig Workers and Platform Workers except that the

quorum for transaction of business at any meeting of the Board for Gig and Platform Workers shall be six members.

(h) State Social Security Board for Gig Workers and Platform Workers may constitute an expert committee to advise it on matters related to the welfare of gig workers and platform workers, assessment of number of gig workers and platform workers, identifying of new types of aggregators or any other matter related to gig workers and platform workers.

(3) Manner of exercising the powers and performance of the functions of the State Social Security Board-

(a) The Board, for discharging its functions as assigned to it, under subsection (7) of section 6, may constitute a committee to deliberate and recommend on the specific issue(s) as may be assigned to such committee.

(2) Such committee(s) may co-opt Members from the Board or outside as the case may be, from the field(s) of the experts, on which committee is required to deliberate.

(4) Reconstitution of the Board:- (a) State Government shall initiate the process for reconstitution of the State Social Security Board, prior to six months of expiry of the term of the Board.

(b) If the new Board is not re-constituted after completion of the term of the Board, such arrangements may be made for discharging and function of the board as may be decided by the State Government for the period till the new Board is constituted, through a notification.

(c) Consequent upon institution of such arrangement, all actions taken shall have the same effect as if it has been carried out by the Board itself.

(5) **Resignation-** (a) A member of the Board, not being an ex-officio member, may resign by a letter in writing addressed to the State Government.

(b) The seat of such a member shall fall vacant from the date on which his resignation is accepted or on the expiry of thirty days from the date of receipt of intimation of resignation, whichever is earlier.

(c) The power to accept the resignation of a member shall vest with the State Government.

(6) **Change of Address-** If a member changes his address, he shall notify his new address to the Member-Secretary of the Board who shall thereupon enter his new address in the official records:

Provided that if a member fails to notify his new address, the address in the official records shall for all purposes be deemed to be the member's correct address.

(7) **Manner of filling vacancies-** When a vacancy occurs or is likely to occur in the membership of the Board, Member Secretary of the Board shall submit a report to the State Government and on receipt of such report, the State Government may, by notification, nominate a person to fill the vacancy in the manner prescribed under sub-rules (1) and (2) of rule 9 above, and the person so nominated shall hold office for the remainder of the term of office of the member in whose place he is nominated.

(8) **Procedure for removal of a Member from the State Social Security Board for Unorganized Workers-**

(a) During the pendency of the proceeding, if any, under clauses (b) and (c) of sub-section (2) of section 8, for removal of a member of the State Social

Security Board for Unorganised Workers, such member shall abstain from the meeting(s) of the Board.

(b) The decision of the State Government, on the debarment, disqualification and removal of any member under section 8, shall be final.

4. Amount in connection with premium for Group Insurance Scheme of the beneficiaries under clause (c), the educational schemes for the benefit of children of the beneficiaries under clause (d) and the medical expenses for treatment of major ailments of a beneficiary or, such dependant under clause (e) of sub-section (6) of section 7- Notwithstanding the welfare schemes mentioned in the sub-section (6) of the section 7 of the Code, the State Building and Other Construction Workers' Welfare Board shall also formulate following scheme(s) for the Building workers as may be specified by the State Government:

(i) pay such amount in connection with premium for Group Insurance Scheme of the beneficiaries;

(ii) frame educational schemes for the benefit of children of the beneficiaries; and

(iii) meet such medical expenses for treatment of major ailments of a beneficiary or, such dependant.

5. Other welfare measures and facilities under clause (j) of sub-section (6) of section 7- If in the opinion of the State Government, it is established that for improvement in the wellbeing of the Building workers, it is necessary to formulate a new welfare scheme (s) or schemes in a state(s), State Government may formulate such scheme (s) as notified by that Government from time to time.

D. GENERAL

6. Intervals at which Social Security Organisation or any Committee thereof shall meet and the procedure in regard to the transaction of business at meetings under sub-section (1), and the fee and allowances of members of such Social Security Organization or Committee under sub-section (4) of section 9-

(1) Meetings-

(a) The State Board or the Corporation or the State Social Security Board or any Committee thereof shall, subject to the sub-rule (2), meet at such place and time as may be decided by the Chairperson.

(b) The State Board or the Corporation shall meet at least twice a year.

(c) The Executive Committee of the State Board and the Standing Committee of the Corporation shall meet at least four times a year. The Medical Benefit Committee of the Corporation shall meet at least twice each year.

(d) The State Social Security Board shall meet at least thrice a year.

(e) The Chairperson of the State Board or the Corporation or the State Social Security Board or any Committee thereof may whenever he thinks fit, and shall within fifteen days of receipt of a requisition in writing from not less than one half of the members of the body concerned call for a special meeting thereof. A requisition so made shall specify the object of the meeting proposed to be called.

(2) Notice of meeting and list of business-

(a) A notice of not less than fifteen days from the date of issue, containing the date, time and place of every ordinary meeting of State Board or

Corporation or State Social Security Board or any Committee thereof, together with a list of business proposed to be transacted approved by the Chairperson shall be sent to every Trustee or member of State Board or Corporation or State Social Security Board or any Committee thereof, as the case may be, through e-mail or registered post or by special messenger. A brief note on each item of the agenda shall be sent along with the agenda as soon as thereafter possible.

(b) In case when the Chairperson calls an emergency meeting of the State Board or the Corporation or the State Social Security Board or any Committee thereof for considering any matter which in his opinion is urgent, a notice giving such reasonable time as he may consider necessary shall be deemed sufficient.

(c) No business other than for which the meeting of State Board or the Corporation or the State Social Security Board or any Committee thereof has been convened shall be considered at the meeting except with the permission of the Chairperson of the meeting.

(3) **Chairperson to preside at meetings-** The Chairperson or in his absence the Vice-Chairperson of State Board or the Corporation or the State Social Security Board, as the case may be, shall preside the meeting. In event of absence of both the Chairperson and the Vice-Chairperson, the meeting shall be presided over by such Trustee or Member as may be nominated by the Chairperson.

(4) **Quorum-** No business shall be transacted at any meeting of State Board or Corporation or State Social Security Board or any Committee thereof unless a quorum of:

(a) eleven Trustees in case of State Board and four members in case of Executive Committee; or

(b) fifteen members in case of Corporation, five members in case of Standing Committee and seven members in case of Medical Benefit Committee; or

(c) ten members in case of State Social Security Board for Unorganized Workers and six members in case of State Social Security Board for Gig Workers and Platform Workers; is present:

Provided that if at any meeting there is not a sufficient number of Trustees or members, as the case may be, present to form quorum, the Chairperson of the meeting shall adjourn the meeting for an hour and it shall thereupon be lawful to dispose of the business at such adjourned meeting irrespective of the number of Trustees or members attending.

(5) Nomination of a substitute during the absence of a Trustee or Member-

(a) If a Trustee or member is unable to attend any meeting of the State Board or the Corporation or the State Social Security Board or any Committee thereof, he may, by a written instrument, signed by him, addressed to the Chairperson of the concerned body and explaining the reasons for his inability to attend the meeting, appoint any representative of the organization, which he represents on the State Board or the Corporation or the State Social Security Board or any Committee thereof, as his substitute for attending that meeting of the State Board or the Corporation or the State Social Security Board or any Committee thereof in his place:

Provided that no such appointment shall be valid unless-

- i. such appointment has been approved by the Chairperson of the body concerned; and

ii. the instrument making such appointment has been received by the Chairperson of the body concerned before the date fixed for the meeting.

(b) A substitute validly appointed under clause (a) shall have all the rights and powers of a Trustee or the member, as the case may be, in relation to the meeting of the body concerned, in respect of which he is appointed and shall receive allowances, and be under obligations as if he were a Trustee or the member appointed under the Code.

(c) A Trustee or the member appointing a substitute for attending any meeting of the State Board or the Corporation or the State Social Security Board or any Committee thereof, shall, notwithstanding anything contained in this sub-rule, continue to be liable for the misappropriation or misapplication of the Fund by the substitute and shall also be liable for any act of misfeasance or non-feasance committed in relation to the Fund by the substitute appointed by him.

(6) **Disposal of business-** Every question considered at a meeting of the State Board or the Corporation or the State Social Security Board or any Committee thereof shall be decided by a majority of the votes of the Trustees or members of the body concerned present and voting. In the event of an equality of votes the Chairperson shall exercise an additional casting vote:

Provided that the Chairperson may, if he thinks fit, direct that any question shall be decided by the circulation of necessary papers to Trustees or members of the State Board or the Corporation or the State Social Security Board or any Committee thereof and by securing their opinions in writing. Any such question shall be decided in accordance with the opinion of the majority of Trustees or members received within the time-limit allowed and

if the opinions are equally divided, the opinion of the Chairperson shall prevail:

Provided further that any Trustee or member of the State Board or the Corporation or the State Social Security Board or any Committee thereof may request that the question referred to Trustees or members of the concerned body, as the case may be, for written opinion be considered at a meeting of the State Board or the Corporation or the State Social Security Board or any Committee thereof and thereupon the Chairperson may, and if the request is made by not less than three Trustees or members of the concerned body, shall direct that it be so considered.

(7) Minutes of meetings-

(a) The minutes of each meeting showing inter-alia the names of the member present there, shall be forwarded to each Trustee or member of the State Board or the Corporation or the State Social Security Board or any Committee thereof as the case may be and to the State Government as soon as possible and in any case not later than four weeks after the meeting.

(b) The records of the minutes of each meeting of the State Board and the Executive Committee shall be signed by the State Provident Fund Commissioner with the approval of the Chairperson.

(c) The minutes of the meeting shall be confirmed with such modification considered necessary at the next meeting.

(d) The minutes of a meeting of the State Board or the Corporation or the State Social Security Board or any Committee thereof shall be kept in separate Books (hereinafter referred to as minute-books) and shall be signed by the Chairperson of the meeting at which the proceedings are confirmed.

(e) A copy of the minutes so confirmed shall be forwarded to the State Government within fifteen days from the date of such confirmation.

(f) The minute-books shall be kept open at the principal office of the State Board or Corporation or State Social Security Board during office hours on working days for inspection free of charge by any of the respective member.

(8) Fees and allowances-

(a) Every non-official Trustee or member of the State Board or the Corporation or the State Social Security Board or any Committee thereof, as the case may be, shall be allowed travelling and daily allowance for attending its meetings at the rates admissible to officers of the State Government holding a post in Level 12 in the Pay Matrix.

(b) Where such Trustee or member, who is a Member of Parliament or a Member of State Legislature shall be paid travelling allowance and daily allowance in accordance with the provisions of the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954 (30 of 1954) or the respective provision of the law pertaining to the members of the concerned State Legislature, as the case may be: Provided that when a Minister is appointed as Chairperson or Trustee of the State Board or the Corporation or the State Social Security Board or any Committee thereof and attends a meeting, his travelling and daily allowance shall be governed by the rules applicable to him for journeys performed on official duties and shall be paid by the authority paying his salary.

(c) No daily or travelling allowance in respect of any day of journey, as the case may be, shall be claimed by a Trustee or member of the State Board or the Corporation or the State Social Security Board or by any Committee thereof if he has drawn or will draw allowance for the same from his employer or as a member of the Committee or any Legislature or of any

Committee or Conference constituted or convened by Government and no travelling allowance shall be claimed if he uses a means of transport provided at the expense of Government or his employer.

(d) The daily and travelling allowance shall also be payable in respect of the meetings of any sub-committee set up by the State Board or the Corporation or the State Social Security Board or by any Committee thereof.

(e) For attending a meeting of the State Board or the Corporation or the State Social Security Board or any Committee thereof or meetings of a Sub-Committee set up by the State Board or Corporation or State Social Security Board or any Committee thereof, an official Trustee or member of the State Government shall draw his travelling allowance from his department on a scale admissible to him under the State Government Rules and the amounts so drawn shall, on a demand being made therefore by the State Government, be reimbursed by the State Board or Corporation or State Social Security Board or Committee thereof to that Government.

(f) Payments shall not be made to a non-official member earlier than the last date up to which the allowance is claimed. The travelling allowance for both the onward and return journeys will be included in the travelling allowance bill and the payment made thereof treated as final, irrespective of the date of completion of the journey.

7. Manner of reconstitution of the Corporation or the State Board or the State Social Security Board or the State Unorganised Workers' Board or the Building Workers' Welfare Board or any of the Committees under sub-section (1) and the alternate arrangements for the purpose of administration of the relevant provisions of the Code under sub-section (2) of section 11- When the State Board or the Corporation or the State Social Security Board or the State Unorganised Workers' Board or the

Building Workers Welfare Board has been superseded under the provisions of section 11 of the Code, the State Government or the State Government, as the case may be, ma-

(a) appoint or cause to be appointed or elected new Trustees or members to the State Board or the Corporation or the State Social Security Board or the State Unorganised Workers' Board or the Building Workers welfare board in accordance with sections 4, 5, 6 and 7, as the case may be, of the Code; and

(b) in its discretion, make such arrangement for such period as it may think fit, to exercise the powers and perform the functions of the State Board or the Corporation or the State Social Security Board or the State Unorganized Workers' Board or the Building Workers Welfare Board.

CHAPTER V

GRATUITY

8. Bank or other financial institution in which the gratuity shall be invested for the benefit of minor under the third proviso to sub-section (1) of section 53-

In the case of nominee, or an heir, who is minor, the competent authority shall invest the gratuity amount deposited with him for the benefit of such minor in term deposit with the State Bank of India or Nationalized Bank.

Explanation- "Nationalized Bank" means a corresponding new bank specified in the First Schedule to the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) or a corresponding new bank specified in the First Schedule of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980).

9. Time, form and manner of nomination by an employee under sub-section (1), the time to make fresh nomination under sub-section (4), the form and manner of modification of a nomination under sub-section (5) and the form for fresh nomination under sub-section (6) of section 55-

(1) A nomination shall be in Form-III and submitted in duplicate by the employee either by personal service, after taking proper receipt or by registered post acknowledgement due or electronically to the employer,

(i) in the case of an employee who is already in employment for a year or more on the date of commencement of these rules but not submitted the nomination, ordinarily, within ninety days from such date; and

(ii) in the case of an employee who completes one year of service after the date of commencement of these rules, ordinarily within thirty days of the completion of one year of service:

Provided that nomination in **Form-III** shall be accepted by the employer after the specified period, if filed and no nomination so accepted shall be invalid merely because it was filed after the specified period.

(2) Within thirty days of the receipt of nomination in **Form-III** under sub-rule (1), the employer shall get the service particulars of the employee, as mentioned in the form of nomination, verified with reference to the records of the establishment and return to the employee, after obtaining a receipt thereof, the duplicate copy of the nomination in **Form-III** duly attested either by the employer or an officer authorized in this behalf by him, as a token of recording of the nomination by the employer and the other copy of the nomination shall be recorded.

(3) An employee who has no family at the time of making a nomination shall, within ninety days of acquiring a family submit in the manner specified in sub-rule (1), a fresh nomination, as required under sub-section (4) of section 55, duplicate in **Form-III** to the employer and thereafter the provisions of sub-rule (2) shall apply *mutatis mutandis* as if it was made under sub-rule (1).

(4) A notice of modification of a nomination, including cases where a nominee predeceases an employee, shall be submitted in duplicate in **Form-III** to the employer in the manner specified in sub-rule (1), and thereafter the provisions of sub-rule (2) shall apply *mutatis mutandis*.

(5) A nomination or a fresh nomination or a notice of modification of nomination shall be, signed by the employee or, if illiterate, shall bear his thumb impression and shall be submitted by the employee electronically or by registered post acknowledgement due.

(6) A nomination, fresh nomination or notice of modification of nomination shall take effect from the date of receipt thereof by the employer.

10. Time within which and the form in which a written application shall be made under sub-section (1) and the form of application to the competent authority under clause (b) of sub-section (5) of section 56.- (1) Application for Gratuity: (a) An employee who is eligible for payment of gratuity under the Code, or any person authorized, in writing, to act on his behalf, shall apply, ordinarily within thirty days from the date the gratuity became payable, in **Form-IV** to the employer:

Provided that where the date of superannuation or retirement of an employee is known, the employee may apply to the employer before thirty days of the date of superannuation or retirement:

Provided further that an employee on fixed term employment shall be eligible for gratuity, if he renders service under the contract for a period of one year and he shall be paid gratuity at the rate of fifteen days' wages, based on the rate of wages last drawn by him, for every completed year of service or part thereof in excess of six months.

(b) A nominee of an employee who is eligible for payment of gratuity under the second proviso to sub-section (1) of section 53 shall apply, ordinarily within thirty days from the date of gratuity became payable to him, in **Form-IV** to the employer:

Provided that an application in plain paper with relevant particulars shall also be accepted. The employer may obtain such other particulars as may be deemed necessary by him.

(c) A legal heir of an employee who is eligible for payment of gratuity under the second proviso to sub-section (1) of section 53 shall apply, ordinarily within one year from the date of gratuity became payable to him, in Form-IV to the employer.

(d) Where gratuity becomes payable under the Code before the commencement of these rules, the periods of limitation specified in clauses (a), (b) and (c) sub-rule (1) shall be deemed to be operative from the date of such commencement.

(e) An application for payment of gratuity filed after the expiry of the periods specified in this rule shall also be entertained by the employer, if the applicant adduces sufficient cause for the delay in preferring his claim, and no claim for gratuity under the Code shall be invalid merely because the claimant failed to present his application within the specified period. Any dispute in this regard shall be referred to the competent authority for his decision.

(f) An application under this rule shall be presented to the employer either by electronically or personal service or by registered post acknowledgement due.

(2) Notice for payment of gratuity: (a) Within fifteen days of the receipt of an application under sub-rule (1) for payment of gratuity, the employer shall-

(i) if the claim is found admissible on verification, issue a notice in **Form-V** to the applicant employee, nominee or legal heir, as the case may be, specifying the amount of gratuity payable and fixing a date, not being later than the thirtieth day after the date of receipt of the application, for payment thereof, or

(ii) if the claim for gratuity is not found admissible, issue a notice in **Form-V** to the applicant employee, nominee or legal heir, as the case may be, specifying the reasons why the claim for gratuity is not considered admissible.

In the case of denial of gratuity a copy of the notice shall be endorsed to the competent authority.

(b) In case payment of gratuity is due to be made in the employer's office, the date fixed for the purpose in the notice in **Form-V** under sub-clause (i) of clause (a) sub-rule (2) shall be re-fixed by the employer, if a written application in this

behalf is made by the payee explaining why it is not possible for him to be present in person on the date specified.

(c) If the claimant for gratuity is a nominee or a legal heir, the employer may ask for such witness or evidence as may be deemed relevant for establishing his identity or maintainability of his claim, as the case may be. In that case, the time limit specified for issuance of notices under clause (a) of sub-rule (2) shall be operative with effect from the date such witness or evidence, as the case may be, called for by the employer is furnished to the employer.

(d) A notice in **Form-V** shall be served on the applicant either by personal service after taking receipt or by registered post with acknowledgement due or electronically.

(e) A notice under sub-section (2) of section 56 shall be in **Form-V**.

(3) **Mode of payment of gratuity:** The gratuity payable under the Code shall be paid through Demand Draft or by crediting in the bank account of the eligible employee, nominee or legal heir, as the case may be:

Provided that intimation about the details of payment shall also be given by the employer to the competent authority of the area.

(4) **Application to competent authority for direction under clause (b) of sub-section (5) of section 56:** (a) If an employer-

(i) refuses to accept a nomination under rule 34 or to entertain an application sought to be filed under sub-rule (1), or

(ii) issues a notice under clause (a) of sub-rule (2) either specifying an amount of gratuity which is considered by the applicant less than what is payable or rejecting eligibility to payment of gratuity, or

(iii) having received an application under sub-rule (1) fails to issue notice as required under sub-rule (2) within the time specified therein, the claimant employee, nominee or legal heir, as the case may be, may, within one hundred eighty days of the occurrence of the cause for the application, apply in Form-VI to the competent authority for issuing a direction under sub-section (5) of section 56 with as many extra copies as are the opposite party:

Provided that the competent authority may accept any application under this sub-rule, on sufficient cause being shown by the applicant, after the expiry of the specified period.

(b) Application under clause (a) sub-rule (4) and other documents relevant to such an application shall be presented in person to the competent authority or shall be sent by registered post acknowledgement due or electronically.

(5) Procedure for dealing with application for direction: (a) On receipt of an application under sub-rule (4) the competent authority shall, by issuing a notice in **Form-VII**, by electronically or registered post acknowledgment due or in person call upon the applicant as well as the employer to appear before him on a specified date, time and place, either by himself or through his authorized representative together with all relevant documents and witnesses, if any.

(b) Any person desiring to act on behalf of an employer or employee, nominee or legal heir, as the case may be, shall present to the competent authority a letter of authority from the employer or the person concerned, as the case may be, on whose behalf he seeks to act together with a written statement explaining his interest in the matter and praying for permission so to act. The competent authority shall record thereon an order either according his approval or specifying, in the case of refusal to grant the permission prayed for, the reasons for the refusal.

(c) A party appearing by an authorized representative shall be bound by the acts of the representative.

(d) After completion of hearing on the date fixed under clause (a), or after such further evidence, examination of documents, witnesses, hearing and inquiry, as may be deemed necessary, the competent authority shall record his finding as to whether any amount is payable to the applicant under the Code. A copy of the finding shall be given to each of the parties.

(e) If the employer concerned fails to appear on the specified date of hearing after due service of notice without sufficient cause, the competent authority may proceed to hear and determine the application ex parte. If the applicant fails to appear on the specified date of hearing without sufficient cause, the competent authority may dismiss the application:

Provided that an order under clause (e) of sub-rule (5) may, on good cause being shown within thirty days of the said order, be reviewed and the application re-heard after giving not less than fourteen days' notice to the opposite party of the date fixed for rehearing of the application.

(6) **Place and time of hearing-** The sittings of the competent authority shall be held at such times and at such places as he may fix and he shall inform the parties of the same in such manner as he thinks fit.

(7) **Administration of oath-** The competent authority may authorize a clerk of his office to administer oaths for the purpose of making affidavits.

(8) **Summoning and attendance of witnesses-** The competent authority may, at any stage of the proceedings before him, either upon or without an application by any of the parties involved in the proceedings before him, and on such terms as may appear to the competent authority just, issue summons to any

person in Form-VII either to give evidence or to produce documents or for both purposes on a specified date, time and place.

(9) Service of summons or notice.- (a) Subject to the provisions of clause (b) any notice, summons, process or order issued by the competent authority may be served either personally or by registered post acknowledgement due or electronically or in any other manner as prescribed under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908).

(b) Where there are numerous persons as parties to any proceeding before the competent authority and such persons are members of any trade union or association or are represented by an authorized person, the service of notice on the Secretary, or where there is no Secretary, on the principal officer of the trade union or association, or on the authorized person shall be deemed to be service on such persons.

(10) Maintenance of records of cases by the competent authority- (a) The competent authority shall record the particulars of each case under section 56 and at the time of passing orders shall sign and date the particulars so recorded.

(b) The competent authority shall, while passing orders in each case, also record the findings on the merits of the case and file it together with the memoranda of evidence with the order sheet.

(c) Any record, other than a record of any order or direction, which is required by these rules to be signed by the competent authority, may be signed on behalf of and under the direction of the competent authority by any subordinate officer appointed in writing for this purpose by the competent authority.

(11) Direction for payment of gratuity: If a finding is recorded under clause (d) of sub-rule (5) that the applicant is entitled to payment of gratuity under the Code, the competent authority shall issue a notice to the employer concerned in

Form-VIII electronically or registered post acknowledgment due or in person specifying the amount payable and directing payment thereof to the applicant under intimation to the competent authority within thirty days from the date of the receipt of the notice by the employer. A copy of the notice shall be endorsed to the applicant employee, nominee or legal heir, as the case may be.

(12) **Appeal-** (a) The Memorandum of appeal under sub-section (8) of section 56 of the Code shall be submitted to the appellate authority with a copy thereof to the opposite party and the competent authority either through delivery in person or under registered post acknowledgement due or electronically.

(b) The Memorandum of appeal shall contain the facts of the case, the decision of the competent authority, the grounds of appeal and the relief sought.

(c) There shall be appended to the Memorandum of appeal a certified copy of the finding of the competent authority and direction for payment of gratuity.

(d) On receipt of the copy of Memorandum of appeal, the competent authority shall forward records of the case to the appellate authority.

(e) Within fourteen days of the receipt of the copy of the Memorandum of appeal, the opposite party shall submit his comments of each paragraph of the memorandum with additional pleas, if any, to the appellate authority with a copy to the appellant.

(f) The appellate authority shall record its decision after giving the parties to the appeal a reasonable opportunity of being heard. A copy of the decision shall be given to the parties to the appeal by electronically or registered post or in person and a copy thereof shall be sent to the competent authority returning his records of the case.

(g) The competent authority shall, on receipt of the decision of the appellate authority, make necessary entry in the records of the case maintained by him.

(h) On receipt of the decision of the appellate authority, the competent authority shall, if required under that decision, modify his direction for payment of gratuity and issue a notice to the employer concerned in **Form-VIII** specifying the modified amount payable and directing payment thereof to the applicant, under intimation to the competent authority within fifteen days of the receipt of the notice by the employer. A copy of the notice be endorsed to the appellant employee, nominee or legal heir, as the case may be, and to the appellate authority.

(13) **Application for recovery of gratuity-** Where an employer fails to pay the gratuity due under the Code in accordance with the notice by the competent authority under sub-rule (11) or sub-rule (12), as the case may be, the employee concerned, his nominee or legal heir, as the case may be, to whom the gratuity is payable may apply to the competent authority in duplicate in **Form IX** for recovery thereof under section 129 of the Code.

11. The manner of registration of an establishment by the employer under sub-section (3) and the manner of composition of Board of Trustees of the approved Gratuity Fund and the manner in which the competent authority may recover the amount of the gratuity payable to an employee from the insurer under sub-section (4) of section 57—

Obtaining Insurance for payment of Gratuity.—Every employer other than an employer of an establishment belonging to, or under the control of, the Central Government or a State Government, shall subject to provisions of clause (i) of sub-section (1) under section 57, obtain an insurance in the manner prescribed for his liability for payment towards the gratuity under this Act, from any Insurance Company regulated by the authority as defined under clause (b) of sub-section (1) of section 2 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999.

Recovery of the amount of Gratuity.—

- (i) The Competent Authority appointed under sub-section (4) of section 57 is authorized to recover the amount of the Gratuity payable to an

employee, from the insurer with whom an insurance has been taken under sub-section (1) or as the case may be, the Board of Trustees of the approved Gratuity Fund as defined in sub-section (5) of section 2 of the Income Tax Act, 1961 ;

- (ii) Such Board of Trustees should include equal number of representatives of the employer and the employees of the establishment.

Registration of Establishment.—

- (i) Every employer of an establishment covered by the Code shall get his establishment registered electronically with the Competent Authority of the area in Form-XX, within 30 days from the notification of the compulsory insurance provided under sub-section (1) of section 57 of the Code, along with details of employees of the establishment, to be furnished in Form-XXII ;
- (ii) The certificate of registration shall be issued electronically immediately if the application is complete in all respects but not later than seven days from the date of submission of complete application, failing which such establishment shall be deemed to have been registered and the certificate of registration shall be auto generated ;
- (iii) Every employer shall furnish the details of the employees insured, to the competent authority in Form-XXII at the time of registration of the establishment with the competent authority and thereafter whenever there is a change in the employees insured

Continuing approved Gratuity Fund.—Every employer of an establishment covered under the Code, who had already established an Approved Gratuity Fund in respect of his employees and who desires to continue such arrangement, and every employer employing 500 or more persons who establishes an Approved Gratuity Fund in accordance with sub-section (5) of section 2 of the Income Tax Act, 1961 may opt to continue/adopt such arrangement by submitting an option in Form-XXI, provided such existing Approved Gratuity Fund covers the entire liability of all the employees of the establishment, under the Act.

12. Qualifications and experience of the officer appointed as the competent authority under sub-section (1) of section 58- The competent authority shall be appointed by the State Government by notification.

CHAPTER VI
MATERNITY BENEFIT

13. Form of notice under sub-section (1) and the proof of pregnancy and proof of delivery under sub-section (5) of section 62 and proof of miscarriage or medical termination of pregnancy under sub-section (1), the proof of tubectomy operation under sub-section (2) and the proof of illness under sub-section (3) of section 65- (1) **Proof-** (a) The fact that a woman is

pregnant or has been delivered of a child or has undergone miscarriage or medical termination of pregnancy or tubectomy operation or is suffering from illness arising out of pregnancy, delivery, premature birth of a child or miscarriage or medical termination of pregnancy or tubectomy operation shall be proved by the production of a certificate in **Form-X**:

(i) from a Registered Medical Practitioner.

(b) The fact that a woman has been confined may also be proved by the production of a certified extract from a birth register maintained under the provisions of any law for the time being in force or a certificate signed by a registered midwife.

(c) The fact that a woman has undergone miscarriage may also be proved by the production of a certificate signed by a registered midwife.

(d) The fact of death of a woman or a child may be proved by the production of a certificate to that effect in Form-X from any of the authorities referred to in sub-rule (a) or by the production of a certified extract from a death register maintained under the provisions of any law for the time being in force.

(2) Payment of maternity and other benefit- (a) A woman employed in a establishment and entitled to maternity benefit shall give notice to her employer in **Form-XI** and the employer shall make payment of the maternity benefit and any other amount due under the Code to the woman concerned, or, in case of

her death before receiving such maternity benefit or amount, or where the employer is liable for maternity benefit under the second proviso to subsection (3) of section 60, to the person nominated by the woman in her notice in **Form-XI** and in case there is no such nominee to her legal representative.

(b) In case of doubt, the maternity benefit or other amount due to a woman employed in an establishment shall be deposited by the employer, within two months of the date of death of the woman concerned with the Competent Authority, who shall, after making necessary enquiries, pay it to the person who, in his opinion, is entitled to receive it.

(c) Whenever the payment referred to in sub-rule (a) is made, a receipt shall be obtained by the employer in **Form-XI** from the person to whom the payment is made. In cases falling under sub-rule (b), a receipt shall be given to the employer by the Competent Authority.

(d) The medical bonus shall be paid along with the second installment of the maternity benefit.

(e) The maternity benefit or any other amount payable under section 63 shall be paid within two months of the date of death of the woman entitled to receive such benefit or amount.

(f) The wages payable under section 65 shall be paid to the woman entitled to receive such wages within forty-eight hours of production of the certificate in **Form-X** by her.

14. Duration of nursing breaks under section 66- Each of the two breaks mentioned in section 66 shall be of 15 minutes' duration. An extra sufficient period, depending upon the distance to be covered, shall be allowed for the purpose of journey to and from the creche or the place where the children are left by women while on duty, provided that such extra period shall not be of less

than 5 minutes and more than 15 minutes' duration. If any dispute arises regarding such extra period, the matter shall be referred to the Competent Authority for decision.

15. Number of employees and distance for crèche facility under sub-section (1) of section 67- (1) in every establishment where fifty or more women employees are ordinarily employed, there shall be provided and maintained a creche for the use of children under the age of six years of such women.

(2) Such creche shall provide adequate accommodation with lighting, ventilation and shall be maintained in a clean and sanitary condition. The crèche shall be under the charge of women trained in the care of children and infants.

(3) The crèche facility shall be located within the establishment or at an appropriate distance from the establishment such that it is easily accessible to the women employees including a woman employee working from home.

16. Gross misconduct under the second proviso to sub-section (1) of section 68- (1) The following acts shall constitute gross misconduct for purpose of section 68, namely-

(a) willful destruction of employer's goods or property;

(b) assaulting any superior or co-employee at the place of work;

(c) criminal offence involving moral turpitude resulting in conviction in a court of law;

(d) theft, fraud, or dishonesty in connection with the employer's business or property; and

(e) willful non-observance of safety measure or rules on the subject or willful interference with safety devices or with firefighting equipment.

(2) **Appeal under section 68-**(a) An appeal under sub-section (2) of section 68 shall be preferred to the Competent Authority in **Form-XIII**.

(b) The appeal may be made in writing and either handed over personally or sent under a registered cover or electronically to the Competent Authority.

(c) When an appeal is received, the Competent Authority shall furnish a copy of the memorandum of appeal to the employer, call for his reply thereto and also ask him to produce documents connected with the issue of the appeal by a fixing date. The Competent Authority may ascertain further details, if necessary, from the employer as well as from the woman. On considering the facts presented to him and ascertained by him the Competent Authority shall give his decision. In case the employer fails to submit his reply or produce the required documents within the specified period, the Competent Authority may give his decision ex parte.

Chapter V

Maternity Benefit

17. Authority to whom an appeal may be preferred under sub-section (3) of section 72- (1) **Complaint under section 72-**

(a) A complaint under sub-section (1) of section 72 shall be made in writing in Form-XII as the case may be.

(b) When a complaint referred to in section 72 is received by an Inspector-cum-Facilitator, he shall examine the relevant records maintained by the employer in this behalf, examine any person employed in the establishment and take down necessary statement for the purpose of the enquiry and if he is satisfied that the maternity benefit or the amount has been improperly withheld, he shall direct the employer to make the payment to the woman or to the person claiming the payment under section 63, as the case may be, immediately or within a specified period.

(2) **Appeal under section 72-** (a) An appeal against the decision of the Inspector-cum-Facilitator under sub-section (2) of section 72, shall lie to the Competent Authority.

(b) The aggrieved person shall prefer an appeal in writing to the prescribed Authority in Form-XIII and file other supporting documents.

(c) When an appeal is received, the prescribed Authority shall call from the Inspector-cum-Facilitator before a fixed date, the record of the case. The prescribed Authority shall, if necessary, also record the statements of the aggrieved person, and of the Inspector-cum-Facilitator and seek clarification if any is required.

(d) Taking into account the documents, the evidence produced before him and the facts presented to him or ascertained by him, the prescribed Authority shall give his decision.

18. Rules under clause (zv) of sub-section 2 of section 155- (1) Duties and powers of the Competent Authority and Inspector-cum-Facilitator under Chapter VI of the Code-

(a) The Competent Authority shall be responsible for the administration of these rules in their respective areas notified.

(b) Every Inspector-cum-Facilitator shall discharge his duties within the area assigned to him by the State Government and shall act under the supervision and control of the Competent Authority.

(c) Every Inspector-cum-Facilitator shall at each inspection of an establishment see-

(i) whether due action has been taken on every notice given under section 62;

(ii) whether the Register of women employees prescribed under rule 55 is correctly maintained;

(iii) whether there have been any cases of discharge or dismissal or notices of discharge or dismissal in contravention of the provisions of section 68 since the last inspection;

(iv) whether the provisions of sub-section (1) of section 59, sub-sections (5) and (6) of section 62, section 64, sub-sections (1), (2) and (3) of section 65 , sections 66, 67, 69 and 71 have been complied with and whether amounts due have been paid within the prescribed time;

(v) whether there have been any cases of deprivation of maternity benefit or medical bonus in contravention of sub-section (2) of section 68; and

(vi) how far the irregularities pointed out at previous inspections have been remedied and how far orders previously issued have been complied with.

(d) Where an Inspector-cum-Facilitator observes irregularities against the Code or these Rules, he shall issue orders in writing to the employer asking the latter to rectify the irregularities within a specified period and to report compliance to the Inspector-cum-Facilitator.

(2) **Supply of forms**-The employer shall supply to every woman employed by him at her request free of cost copies of **Forms-X, XI, XII and XIII**.

(3) **Non-submission of notices, appeals or complaints in the prescribed form**- Nothing in sub-rule (1) of rule 37 and sub-rules (1) and (2) of rule 40 shall affect the right of a woman entitled to receive maternity benefit or any other amount due under the Code if she fails to submit a notice, appeal or complaint under the said rules, as the case may be, in a prescribed form:

Provided that where a notice, appeal or complaint under the said rules has been submitted by a woman entitled to receive maternity benefit or any other amount due under the Code in a form other than the prescribed form, the authority concerned may, within fifteen days of the receipt of such notice, appeal or complaint require the woman to submit the notice, appeal or complaint, as the case may be, in the prescribed form.

(4) **Abstract-** The abstract of the provisions of the Chapter V of the Code and the rules frame thereunder required to be exhibited under section 71 shall be in Form-XIV and shall be exhibited in such manner as the Competent Authority may require.

CHAPTER VII

SOCIAL SECURITY AND CESS IN RESPECT OF BUILDING AND OTHER CONSTRUCTION WORKERS

19. Manner and time of collection of cess under sub-section (2), manner of deposit of the cess so collected under sub-section (3), and the uniform rate or rates of advance cess under sub-section (4) of section 100 and manner of self-assessment of cess under sub-section (1) of section 103- (1) Information to be furnished by the employer-

(a) Every employer, within sixty days of commencement of his work or payment of cess, as the case may be, furnish to the Assessing Officer, information in Form-XV.

(b) Any change or modification in the information furnished under clause (a) shall be communicated to the Assessing Officer in **Form-XV** incorporating details of such modification(s) immediately but not later than thirty days from the date of affecting the modification or change.

(2) Time and manner of collection of Cess-

(a) The cess levied under sub-section (1) of section 100 of the Code shall be paid by an employer in advance, on the basis of his self-assessment duly certified by Chartered Engineer at the time of approval or before the commencement of the work.

(b) For the purpose of self-assessment of cost of construction, the employer shall calculate the cost of construction work on the uniform rate or rates of construction as specified by respective State's Public Works Department or the Central Public Works Department or as per return or document submitted to the Real Estate Regulatory Authority, applicable for that particular year in which the commencement of building and other construction work took place in **Form-XVI**:

Provided, if there is any such type of construction activity involved for which **neither State PWD nor Central PWD or Real Estate Regulatory Authority has** specified any rate(s), the employer will calculate the cost of construction, based on the documents to be produced by him along with his assessment statement in Form-XVI within sixty days on completion of his each building and other construction work or project, to the assessing officer.

(c) Notwithstanding the provisions clauses (a) and (b) , where the approval of a construction work by a local authority or such other authority notified by the Central Government or the State Government as the case may be, is required, every application for such approval shall be accompanied by a proof of online payment made in favour of the State Building and Other Construction Workers' Welfare Board for an amount of cess payable on the basis of self-assessment duly certified by the Chartered Engineer:

Provided that if the duration of the project is likely to exceed one year, the amount of cess payment may be for the amount of cess payable on cost of construction self-assessed to be incurred during one year from the date of commencement and further payments of due cess shall be made as per the provisions of clause (b) of sub-rule (2) of this rule.

(d) Notwithstanding the provisions of clauses (a) and (b), where the levy of cess pertains to building and other construction work of a Government or of a Public Sector Undertaking, such Government or the Public Sector Undertaking shall deduct or cause to be deducted the cess payable at the notified rates from the bills paid for such works. This deducted cess shall be deposited with the respective State Building and Other Construction Workers' Welfare Board within a period of thirty days from the date of such deduction made along with the details of the construction work to the Assessing Officer of the area concerned.

(e) In case, there is any stoppage or reduction of Building or construction work, employer shall furnish the information in **Form-XVII**, to the Assessing officer within sixty days of such stoppage or reduction of building or other construction.

(f) Every employer on completion of building or other construction work, shall be required to submit a return in **Form-XVIII**, to the Assessing officer within sixty days of each of his completed work.

(g) Advance cess paid as above shall be adjusted in the final assessment order made by Assessing Officer.

(3) Transfer of the proceeds of the cess to the Board-

(a) The proceeds of the cess collected under sub-rule (2), shall be transferred by such Central or State Government office, as the case may be, Public Sector Undertaking, local authority or such other authority notified by the State Government, or assessing officer, in the Bank account of the State Building Workers' Welfare Board, electronically through online payment system or through cheque/demand draft drawn in favour of the Board.

(b) The amount collected shall be transferred to the Board's fund within thirty days of its collection through online payment system or through cheque/demand draft drawn in favour of the Board.

(c) The State Building and Other Construction Workers' Welfare Board shall periodically reconcile the amount of cess collected, with the concerned authorities of the State Government or Central Government or Public Sector Undertaking of the State Government or the Central Government or any such other authority, as specified by the appropriate Government.

(d) The State Building and Other Construction Workers' Welfare Board shall submit half-yearly report, to the State Government with a copy to the Central

Government, on the amount of cess collected, cumulative and during the period, expenditure incurred during the period, number of live building and other construction workers, or for such period and with such details, as specified by the State Government.

(4) Assessment-

(a) The Assessing Officer, on receipt of information of return and cess paid in Form-XVIII from an employer shall make a scrutiny of such information furnished and, if he is satisfied about the correctness of the particulars so furnished, he shall make an order of assessment within a period not exceeding ninety days from the date of receipt of such information, indicating the amount of cess payable by the employer and endorse a copy thereof to the employer and to the cess-collector and to the Building and Other Construction Workers Welfare Board and despatch such order within five days of the date on which such order is made.

(b) The order shall inter-alia specify the amount of cess due, cess already paid by the employer or deducted at source and the balance amount payable and the date, consistent with the provision of sub-rule (2), by which the cess shall be paid to the cess collector.

(c) If on the scrutiny of information furnished by the employer in Form-**XVIII**, the Assessing Officer is of the opinion that employer has under-calculated or miscalculated the cost of construction or has calculated less amount of cess payable, he shall issue notice to the employer for assessment of the cess.

(d) On receipt of such notice the employer shall furnish to the Assessing Officer a reply together with copies of documentary or other evidences in support of his claim, within thirty days of the receipt of the notice:

Provided that the Assessing Officer may, in the course of assessment afford an opportunity to the assessee to be heard in person, if he so request to substantiate his claim.

(e) If the employer fails to furnish the reply within the stipulated period specified under clause (d) or where any employer fails to furnish information in Form-IV, the Assessing Officer shall proceed to make the assessment on the basis of the available records and other information incidental thereto.

(f) The assessing officer may, at any time while the work is in progress or in the process of assessment of cost of construction authorise such officer to make such enquiry at the work site or from documentary evidence or in any other manner as he may think fit for the purpose of estimating the cost of construction as accurately as possible.

(5) Refund of overpaid cess-

(a) Where the employer has deposited the cess in advance and the employer decides to withdraw from or foreclose the works or modifies the plan of construction thereby reducing the cost of construction undertaken or has been forced by other circumstances to call off the completion of the work undertaken, he may seek refund of the excess amount of advance cess paid by submitting information in **Form-XVII** to the Assessing Officer giving details of such reduction or stoppage of work.

(b) The Assessing Officer, on receipt of information in **Form-XVII** from an employer shall make a scrutiny of such information furnished and, if he is satisfied about the correctness of the particulars so furnished, he shall make an order of assessment within a period not exceeding within thirty days of receipt of such information.

(c) Following the assessment order made on receipt of **Form-XVII** as per clause (b), the Assessment Officer shall, wherever necessary, endorse a copy of the such assessment to the respective Building Workers Welfare Board, cess collector and to such other persons as he thinks appropriate, for making the refund of excess cess as ordered in the assessment made under clause (b).

(d) The Building and Other Construction Workers' Welfare Board shall, within thirty days of receipt of the endorsement from the Assessing Officer under clause (c), refund the amount specified in the order to the employer through electronically online payment System in the bank account or through cheque/demand draft as per details furnished by the employer for this purpose.

(e) Where the Appellate Authority has modified the order of assessment reducing the amount of cess, refund shall be made within such time as may be specified in that order or in the manner and time as specified under clause (d) above.

20. Time limit to pay the amount of cess and the rate of interest in case of delayed payment of cess under section 101- (1) Date of payment of cess shall be the date on which the amount is deposited with the Cess Collector under clauses (a) and (b) of sub-rule (2) of rule 43, or the date of deduction at source under clause (d) of sub-rule (2) of rule 43, or the date on which the amount has been deposited with the local authority under clause (c) of sub-rule (3) of rule 43, as the case may be.

(2) If any employer fails to pay any amount of cess payable under section 100 of the Code, within such time as may be specified in the assessment order, such employer shall be liable to pay interest on the amount of cess, to be paid, at the rate of one percent for every month or part of a month comprised in the period from the date on which such payment was due till such amount is actually paid.

21. Authority to inquire and impose penalty under section 104- (1) An Assessing Officer, if it appears to him that an employer has not paid the cess within the date as specified in the assessment order or has paid less cess, including the cess deducted at source or paid in advance, shall issue a notice to such employer that it shall be deemed to be in arrears and such Assessing Officer may, after such inquiry as it deems fit, impose on such employer, a penalty not exceeding such amount of cess:

Provided that, before imposing any such penalty, such employer shall be given a reasonable opportunity of being heard and if after such hearing the Assessment Officer is satisfied that the default was for any good and sufficient reason, no penalty shall be imposed on such employer.

(2) If any penalty is imposed on the employer or the notice for imposing the penalty is withdrawn, as mentioned in sub-rule (1), the Assessing Officer will pass a speaking order in this regard stating the reasons thereof. A copy of such order shall be endorsed to the employer, cess-collector and to the Secretary, Building and other Construction Workers Welfare Board.

22. Time limit to prefer appeal, appellate authority, form and manner of appeal under sub-section (1) and fees for appeal under sub-section (2) of section 105-

(1) An employer aggrieved by an order of the assessment made under sub-rule (4) of rule 43 or by an order imposing penalty made under rule 45, may file an appeal in Form-XIX against such order, within ninety days of the receipt of such order, to the Appellate Authority as notified by the State Government in this regard.

(2) The such appeal, inter-alia, shall be accompanied with—

(a) the order appealed against;

(b) a certificate from the Cess Collector to the effect that the amount of cess or penalty or both, as the case may be, relating to such appeal has been deposited;

(c) a non-refundable fee equivalent to half percent, but not exceeding rupees twenty five thousand of the amount in dispute or penalty or both, as the case may be, under such appeal;

(d) a statement of points in dispute; and

(e) documentary evidence relied upon.

(3) On receipt of the appeal, the Appellate Authority may, call details from the Assessing Officer or his statement on the basis of his assessment order appealed against, as such Appellate Authority may consider necessary for the disposal of such appeal.

(4) The Appellate Authority shall give the appellant an opportunity of being heard in the matter and dispose of the appeal as expeditiously as possible but not exceeding sixty days from the date of receipt of such appeal.

(5) On being satisfied on the quantum of cess the Appellate Authority shall confirm the order of the Assessing Officer or if in his opinion the assessment was wrong; or on the higher side shall modify the order of assessment or if in his opinion the assessment is on the lower side or if the basis of assessment is wrong, it shall remand back the assessment order to the Assessing Officer along with his observations to rectify the wrong.

(6) An order remanded back under sub-rule (5) shall be disposed of by the Assessing Officer within 30 days in view of the observation made by the Appellate Authority:

(7) Provided that, if the amount of cess is proposed to be enhanced the assessee shall be given an opportunity of being heard.

(8) If the Appellate Authority is of the opinion that the quantum of penalty imposed is on the higher side or not correctly made it shall suitably modify or set aside the order of the Assessing Officer, as the case may be.

(9) The appeal under this rule shall be disposed of by making a speaking order and a copy of such order shall be sent to each of the appellant, the Assessing Officer and to the Secretary, Building and Other Construction Workers Welfare Board within five days of the date on which such order is made.

(10) An order in appeal reducing the amount of cess shall also ask Secretary of the concerned Building and Other Construction Workers' Welfare Board to refund the excess cess stating clearly a specified time to the appellants.

(11) An order in appeal enhancing or reducing the amount of cess or penalty or both, as the case may be, shall also specify the date by which the amount of cess or penalty or both should be paid or refunded.

(12) No appeal shall lie against the order of the Appellate Authority under this rule.

23. Manner of registration of building worker as beneficiary under section 106-

(1) It shall be the responsibility of the State Government and the State Building Workers' Welfare Board to register all such workers working as building or other construction workers within the geographical area of the state, on the **specified portal of the State Government or Board through Aadhaar.**

(2) Every employer or contractor of such building and other construction workers shall ensure that their workers are registered on the specified portal of the State Government or Board within thirty days of the commencement of such construction work.

(3) The registration, renewal, and delivery of welfare scheme for the building workers shall be done electronically through the specified portal.

(4) Portability of the benefits of the building and other construction workers, process for their registration, de –registration, and manner of obtaining the benefits in the state where they are working as building and other construction workers, shall be undertaken in the manner and process as specified by the State Government.

(5) The registration of the Building workers shall be done in the same manner and procedure(s) as notified by the State Government from time to time.

(6) The State Government shall designate nodal officer for the purpose of registration, renewal and updation of particular(s) of building workers through official gazette.

(7) Registration or Renewal as the case may be of the building and other construction workers shall be done only if they have been engaged as building or other construction work for not less than ninety days in a year.

(8) Boards may utilise services of e-sewa kendras/common service centres of the Central Government and State Government or any other such agency for facilitating the registration, renewal, updation of particular(s) and delivery of welfare schemes for building workers.

(9) Every Board shall submit a report annually to the State Government with a copy to the Central government in the form as specified by the appropriate Government.

(10) Every building worker registered as a beneficiary under section 106 of the Code, shall be entitled to the benefits provided by the Board from its Fund.

(11) Every registered Building Worker shall be issued a digital identity card or otherwise bearing his photograph and other details as specified by appropriate government.

(12) Where identity card issued under sub-rule (1) above, is lost or accidentally destroyed, a duplicate identity card may be obtained after the payment of prescribed fees.

24. Benefits of a beneficiary under sub-section (2) of section 107- If any building worker has been beneficiary for at least three years continuously immediately before attaining the age of sixty years, for the benefit of such workers, the State Government may formulate such scheme (s) as may be notified by the State Government.

25. Rules framed under clause (zv) of sub-section (2) of section 155.- (1) Recovery of overdue amount- For the purpose of recovery of sums due on account of unpaid cess, interest or overdue payment or, penalty under these rules, the Assessing Officer shall prepare a certificate signed by him, specifying the amount due and send it to the Recovery Officer of the district concerned who shall proceed to recover from the said employer the amount specified thereunder as if it were an arrear of land revenue or by any other such laws prevailing in that State for this purpose.

(2) Powers of Assessing Officer and other officers- An Assessing Officer, or an officer authorized, under sub-rule (4) of rule 43, if empowered by the State Government under section 103 of the Code, may,-

(a) enter any establishment where building and other construction work is going on only with the prior approval of the Secretary, Building and Other Construction Workers Welfare Board;

(b) make an inventory of materials, machinery or other articles lying at the work place;

(c) enquire about the number of workers engaged in various activities;

(d) require the production of any prescribed register or any other documents relevant to the assessment of cost of construction or number of workers employed;

(e) seize or take copies of any such records;

(f) make general assessment of the stage of the construction work having been completed;

(g) take measurement, notes or photographs; and

(h) exercise such other powers considered absolutely necessary for reasonable assessment of cost of construction.

(3) Filing of complaints-

(a) The Assessing Officer, or any inspector-cum-facilitator under the Code, having come to know of violation of an obligation to furnish return, furnishing of false information, intentionally or willfully evading or attempting to evade the payment of cess may make a complaint with evidences pertaining to such complaint to the State Government with a copy to the Board in writing.

(b) The State Government may make such inquiry as considered necessary and authorize any officer as it thinks suitable to file a complaint in the court of law.

(4). Exemption-

(a) Any employer or class of employers in a State seeking exemption under section 102 of the Code may make an application to the Director General of Labour Welfare, Ministry of Labour and Employment, Government of India,

stating the details of works undertaken, name of the Act or any other corresponding law in force in that State under which he is liable to pay cess for the social security and welfare measure of the construction workers and amount of cess actually paid along with the date of such payment and proof thereof. A copy of such application shall be endorsed to each of the Assessing Officer and the Building Workers Welfare Board concerned.

(b) On receipt of such application the Central Government may, if it feels necessary, seek a report from the State Government concerned.

(c) On examining the grounds, facts and merits of such application the Central Government may, by notification in the Official Gazette, issue an order exempting the employer or class of employers, as the case may be, from payment of cess payable under the Code where such cess is already levied and payable under such corresponding law.

(d) Assessment proceedings shall be stopped by the Assessing Officer for a period of thirty days commencing from the date of the receipt of a copy of the application under clause (a) to him, or till the order of the Central Government under clause (c) is conveyed to an employer or class of employers who made the application under clause (a), whichever is earlier.

CHAPTER VIII

SOCIAL SECURITY FOR UNORGANISED WORKERS, GIG WORKERS AND PLATFORM WORKERS.

26. Eligible age for registration under clause (a) and form and manner of information under clause (b), of subsection (1) and the form of application, documents for registration and manner of self registration under subsection (2), of section 113.- (1) Registration of unorganized worker or any category or sub-category of unorganized workers –

(a) Every eligible unorganized worker, or any category or sub-category of unorganized worker under section 113 shall be required to be registered with Aadhaar, on self-declaration basis in the form on the portal, as specified by the State Government or the Central Government, as the case may be.

(b) In order to be eligible for any benefit under any scheme(s) framed under the Code for any unorganized worker or any category or sub-category of unorganized worker, the appropriate Government may notify specific condition(s) for eligibility, as deemed fit.

(c) The eligible unorganized worker, or any category or sub-category of unorganized worker shall submit application form, electronically, with Aadhaar on self-declaration basis for registration to such authority on the specified portal.

(d) On completion of registration, such worker shall be issued an acknowledgement, electronically or otherwise, bearing his Unique Registration Number.

(e) The **appropriate Government may** provide a facility such as mobile app, web portal or any other application, facilitating the unorganized workers to register themselves on the specified portal.

(f) In order to avail the facility of self-registration, an unorganized worker, or any category or sub-category of unorganized worker shall be required to establish his identity through OTP or any other procedure, as specified by the Central Government.

(g) For availing any benefit under any of the social security scheme(s) framed under the Code, an unorganized worker or any category or sub-category of unorganized worker shall require to be registered on the specified portal of the Central Government, with such details as may be specified by the appropriate Government.

(h) The unorganized worker, or any category or sub-category of unorganized worker shall be required to update their particulars such as current address, current occupation, mobile number, skill, or any other particular(s) from time to time, as may be specified by the appropriate Government. In the absence of such updation, any unorganized worker, or any category or sub-category of unorganized worker may not remain eligible to avail such benefit (s) of the social security scheme(s) notified under the Code.

(i) The appropriate Government shall access the information from the above portal of the Central Government for delivery of benefits of the social security scheme(s) to the unorganized workers, or any category or subcategory of unorganized worker.

(j) It shall be responsibility of the State Government or Building workers welfare board or the State Government(s) or any other such Board of the unorganized worker, employer of the Building workers or aggregators or the contractors of unorganized workers or any category or sub-category of unorganized workers, or gig workers or platform workers, to register such eligible workers with Aadhaar who are not registered with ESIC or EPFO on the portal specified by the Central Government.

(k) The Labour Commissioner, Uttarakhand from time to time, shall de-duplicate the workers registered on the specified portal of the Central Government, on the basis of Aadhaar and only such workers, shall be eligible to derive the benefits of the scheme(s) notified under the Code.

(l) The charges, if any, for registration or updation of particulars on the specified portal of the unorganized worker, or any category or sub-category of unorganized worker, may be borne by the Central Government or State Governments or unorganised worker, or any category or sub-category of unorganised worker, either partly or fully as may be specified by the appropriate Government.

(2) Registration of gig worker and platform worker and any other such worker–

(a) Every eligible gig worker or platform worker, under section 113 shall be required to be registered with Aadhaar, on self-declaration basis in the form on the portal, as specified by the Central Government.

(b) For identification and smooth registration of eligible gig workers and platform workers, each aggregator shall share monthly or such other periodicity in such form as specified, details of the information of their gig workers or platform workers electronically to generate Unique Registration Number or temporary registration number on the Portal, as specified by the State Government. Further, on issue of such number, each gig worker or platform worker shall authenticate himself through Aadhaar as per procedure specified by the Central Government.

(c) Aggregator(s) shall link their database with the unique registration number issued under clause(d) of sub-rule (1) to facilitate registration of their gig and platform workers on the portal specified by the Central Government.

(d) A gig worker or platform worker, who has completed the age of sixteen years, but not attained the age of sixty years, shall be eligible for registration as mentioned in clause (a) above:

Provided such worker has been engaged as gig worker or platform worker, for not less than ninety days during the preceding twelve months.

(e) The registration of the gig worker or platform worker or any other such worker, shall be done in the same manner and procedure(s) as prescribed for the registration of unorganized worker, or any category or subcategory of worker, under sub-rule(1).

(f) In order to be eligible for any benefit under any scheme(s) framed under the Code for gig workers and platform workers, **the State Government** may notify specific condition(s) for eligibility, as deemed fit.

(g) For availing any benefit under any of the social security scheme(s) framed under the Code, a gig worker or platform worker shall be required to be registered on the portal with such details as may be specified by **the State Government**.

(h) The unorganized worker, gig worker, platform worker shall be required to update his particulars such, as current address, current occupation, period of engagement with the concerned platform(s) or aggregator(s), mobile number, skill, or any other particulars from time to time, on the portal specified by the State Government. In the absence of such updation, a gig worker or platform worker, may not remain eligible to avail benefit (s) of the social security scheme(s) notified under the Code.

(i) The charges, if any, for registration or updation of particulars on the specified portal of the gig worker and platform worker, may be borne by the

State Government or aggregators or gig worker or platform worker, either partly or fully as may be specified by the State Government

27. Carrying out the matters specified in clause (i) of sub-section (7) of

section 114- (1) The authority to collect and to expend the proceeds of contribution collected.- (1) The State Government shall designate an Officer, or an agency, as the authority responsible to collect and expend the contributions from the aggregators.

(2) Such authority may seek any information as may be required from the aggregator(s) for registration of gig workers or platform workers, formulation of suitable welfare scheme(s) under section 114 and implementation thereof.

(3) The contribution collected under section 114 shall be part of the Social Security Fund in a separate account meant for gig workers and platform workers as mentioned in sub-section (2) of section 141.

(2) The rate of interest to be paid by an aggregator in case of delayed payment, less payment or non-payment of contribution- If any aggregator fails to pay any amount of contribution payable under sub-section (4) of section 114, **within such time as may be specified by the State Government, such** aggregator shall be liable to pay interest on the amount of contribution, to be paid, at the rate of one per cent. for every month or part of a month comprised in the period from the date on which such payment was due till such amount is actually paid.

(3) Self-assessment of contribution by aggregators- (a) Every aggregator shall assess contribution payable under sub-section 4 of section 114 in the Form-XX and pay provisional contribution as assessed in the designated account of the Social Security Fund, for the preceding year not later than 30th June, of the current year in which the contribution is payable.

(b) Aggregator after finalization of the audited statement of the account for the previous financial year as per the relevant provisions of the Income-Tax Act, 1961 or the Companies Act, 2013 or the Limited Liability Partnership Act, 2008, shall submit a final return in the **Form-XXI**, detailing the provisional payment of contribution made along with the details of outstanding contribution, if any paid by 31st October, of the current year in which the contribution is payable.

(c) In case of excess contribution, if any paid by any aggregator, such aggregator shall claim the refund in the **Form XXI** of such excess amount. The authority designated by the State Government in this regard, shall scrutinize the **Form-XXI**, as submitted by the aggregator and excess paid amount, if any, shall be refunded electronically in the bank account provided in **Form-XXI**, within a period not exceeding ninety days from the date of receipt of such claim.

If any aggregator feels aggrieved against the authority's order as mentioned in sub-rule (2) or sub-rule (3), an appeal shall lie with the Secretary, Ministry of Labour and Employment and his order in the matter shall be final.

(4) Conditions for cessation of a gig worker or a platform worker- (a) Any gig worker or platform worker registered as a beneficiary under section 113 shall cease to be as such, when he attains the age of sixty years or when he is not engaged as gig worker or platform worker, with any of the aggregator(s) for a period less than ninety days in the preceding twelve months.

(b) Every aggregator shall share on monthly or in such other periodicity and in such form as specified, details of the information of their gig workers or **platform workers electronically to the State Government.**

(5) Any other matter relating to smooth functioning of the social security scheme notified under section 114- Every aggregator as defined under sub-

section (2) of section 2, shall register on the Shram Suvidha portal or any other portal, as may be specified by the State Government.

CHAPTER IX

FINANCE AND ACCOUNTS

28. Conditions to acquire, hold, sell or otherwise transfer any movable or immovable property under sub-section (1), conditions to invest moneys, re-invest or realise investments under sub-section (2) terms to raise loans and take measures for discharging such loans under sub-section (3) and terms to constitute for the benefit of officers and staff or any class of them, provident or other benefit funds under sub-section (4) of section 120.—The Uttarakhand Government in this regard and in consultation with Uttarakhand Unorganised Social Security Board and the Uttarakhand Building and Other Construction Workers Welfare Board shall frame a detailed policy.

29. Conditions and manner of writing off irrecoverable dues under section

121.—(1) Where the Uttarakhand Unorganised Social Security Board and the Uttarakhand Building and Other Construction Workers Welfare Board is of the opinion that the amount of contribution, cess, interest and damages due to these boards has become irrecoverable, the said Boards or any other officer authorised by them in this behalf may sanction the writing off of the said amount, subject to the following conditions, namely :—

- (i) Establishment has been closed for more than five years and the whereabouts of the employer cannot be ascertained, despite all possible efforts ;
- (ii) Decree obtained by the said Boards could not be executed successfully for want of sufficient assets of the defaulting employer ; or
- (iii) Claim for contribution is not fully met by—
 - (a) The Official Liquidator in the event of factories/establishments having gone into liquidation ; or
 - (b) The Competent Authority of payments in the event of unit being nationalised or taken over by the Government.

30. Rules under clause (zv) of sub-section (2) of section 155- (1) **Maintenance of accounts-** The Corporation shall maintain complete and accurate accounts in such form as the Standing Committee may, with the

approval of State Government, specified from time to time. The books shall be balanced on the thirty-first of March each year.

(2) **Revenue Accounts** - The Corporation shall prepare Revenue Accounts for the financial year ended on the thirty first March and Balance Sheet as on the thirty-first March by the thirty-first of May:

Provided that on the application of the Corporation, the State Government may extend the said date by a period not exceeding thirty days:

Provided further that the Corporation may, and if so required by the State Government shall, cause to be prepared the Revenue Accounts and the Balance Sheet for any other period or as on any other date.

(3) **Production of accounts before the Comptroller and Auditor General of India**- The annual accounts shall be set out and produced before the Comptroller and Auditor General of India for scrutiny on or before the fifteenth of June each year following the close of the financial year to which they relate:

Provided that on the application of the State Government may extend the said date by a period not exceeding thirty days.

(4) **Powers of the Comptroller and Auditor General of India**- The Corporation shall submit all accounts to the Comptroller and Auditor General of India as required by them. The Comptroller and Auditor General of India may-

(i) by written notice, require the production before them or before any officer subordinate to him, of any document which they may consider necessary for the proper conduct of their audit;

(ii) by written notice, require any person accountable for or having the custody or control of, any such documents, to appear in person before them or before any officer subordinate to them; and

(iii) require any persons so appearing before them or before any officer subordinate to them to make and sign a declaration with respect to such document or to answer any question or prepare and submit any statement.

(5) Report of Comptroller and Auditor General of India- The report of the Comptroller and Auditor General of India] on the annual accounts shall be submitted to the Corporation on such date and in such form as the State Government may specify in this behalf and they shall state whether in their opinion the Balance Sheet is a full and fair Balance Sheet containing all necessary particulars and properly drawn up so as to exhibit a true and correct view of the state of the Corporation's affairs and in case they have called for any explanation or information from the Corporation or any of its officers whether it has been given and whether it is satisfactory.

(6) Consideration of reports- (a) The annual report on the work and activities of the Corporation (excluding the unaudited accounts for the year incorporated therein) shall be considered by the Standing Committee and shall be placed for adoption at a meeting of the Corporation to be held before the tenth of December following the close of the financial year concerned.

(b) The annual accounts relating to a financial year duly authenticated by the Financial Commissioner and the Director General and approved by the Standing Committee shall be submitted for audit to the Comptroller and Auditor General [of India and the audited accounts together with the report of the Comptroller and Auditor General of India shall be placed for adoption at a meeting of the Corporation to be held before the tenth of December following the close of the financial year concerned:

Provided that the report of the Comptroller and Auditor General of India is received by the twentieth November, following the year to which it pertains.

(7) Authentication and submission of annual accounts and reports- The annual accounts together with the report of the Comptroller and Auditor General of India thereon and the annual report on the work and activities of the Corporation as adopted by the Corporation shall be authenticated by affixing the common seal of the Corporation and four copies thereof, together with the comments of the Corporation on the report of the Comptroller and Auditor General shall be submitted to the State Government not later than the twentieth of December following the close of the financial year concerned for being placed before the Parliament:

Provided that if the report of the Comptroller and Auditor General of India is not received by the twentieth of November following the financial year to which it pertains the annual accounts together with the report of the Comptroller and Auditor General of India thereon shall be submitted to the State Government separately from the annual report on the work and activities of the Corporation.

(8) Cost of audit- The cost of audit shall be paid by the Corporation by such date as may be specified by the State Government.

(9) Impropriety or irregularity in accounts - (a) The auditors shall submit to the Corporation and the State Government a separate statement, if necessary, in regard to—

(i) any material impropriety or irregularity which they may observe in the expenditure, or in the recovery of moneys due to, or in the accounts of the Corporation; or

(ii) any loss or waste of money or other property owned by or vested in the Corporation which has been caused by neglect or misconduct, with the names of the persons who in their opinion are directly or indirectly responsible for such loss or waste.

(b) The Standing Committee shall forthwith remedy any defect or irregularity that may be pointed out by the auditors and shall report to the State Government the action taken by it thereon within ninety days of the receipt of the report of the auditors:

Provided that if there is a difference of opinion between the Standing Committee and the auditors, or if the Standing Committee does not remedy any defect or irregularity within a reasonable period, the State Government may, and on a reference specifically made therefor, shall pass such orders thereon as they think fit and the Standing Committee shall thereafter take action in accordance therewith within such time as may be specified by the State Government.

(10) Disallowance of expenditure incurred and surcharge for loss or deficiency- (a) The Standing Committee or any authority authorized by it in this behalf may after giving the person concerned an opportunity to submit an explanation, and after considering any such explanation, disallow any item of account contrary to the provisions of the Code or of the Rules or Regulations made thereunder, and surcharge the same on the person making or authorizing the making of payment of such account and shall charge against any person accounting, the amount of any deficiency or loss incurred by the negligence or misconduct of that person, or of any sum which ought to have been but is not brought into account by that person, and shall in every such case certify the amount due from such person:

Provided that no certificate made by the authority authorised by the Standing Committee shall have effect unless it is approved by the Standing Committee.

(b) The Standing Committee shall state in writing its reasons for every disallowance, surcharge or charge made or approved by it and shall serve a certificate of the amount due and a copy of the reasons for its decision on the

person against whom the certificate is made and shall also furnish copies thereof to the State Government.

(c) Any person aggrieved by a certificate made under sub-rule (10) may, within one month from the date of the service of certificate on him under clause (b) sub-rule (10), file an application to the State Government for setting aside or modifying the disallowance, surcharge or charge in respect of which the certificate was made.

(d) On receipt of an application under clause (c) or on its own motion, the State Government may, after making such inquiry as may be necessary, pass such order as it thinks fit either confirming, modifying or setting aside the disallowance, surcharge or charge in respect of which the certificate was made, and the Standing Committee shall thereupon take action in accordance with such order within such time as may be specified by the State Government.

(e) The State Government may by order direct that all further action under the certificate made under sub-rule (10) shall be stayed until the disposal of the matter pending before it under clause (d).

(11) Recovery of amounts certified to be due-

(a) Every sum certified to be due from any person by the Standing Committee or if the certificate has been modified by the State Government, the sum shown to be due from such person in the modified certificate, shall be paid by such person to the Corporation within three months after he has been served with the certificate of the Standing Committee ; or within such longer period as may be allowed by the State Government ; any such sum, if not so paid, shall be recovered as if it were an arrear of land revenue.

(b) Any sum or part of a sum so paid or recovered, the certificate in respect of which is set aside or modified, shall, as the case may require, be wholly or partly refunded to the person who paid it.

CHAPTER X

AUTHORITIES, ASSESSMENT, COMPLIANCE AND RECOVERY

31. Form and manner for maintenance of records and registers and other particulars and details under clause (a), manner and form for display of notices at the work places of the employees under clause (b) and the manner and period of filing returns to the officers or authority under clause (d) of section 123.- (1) Register of Women Employees-

(a) The employer of every establishment in which women are employed shall prepare and maintain a register of women employees in **Form XXII** electronically or in hard copy and shall enter therein particulars of all women workers in the establishment.

Further, it shall always be available for inspection under notified inspection scheme for the Inspector-cum-Facilitator.

(b) The employer may enter in the register of women employees such other particulars as may be required for any other purpose of the Code.

(2) **Records-** Records kept under the provisions Chapter V of the Code and the rules framed thereunder shall be preserved for a period of two years from the date of their preparation.

(3) **Annual returns-**

(a) The employer to which the provisions of Chapter V of the Code applies, on or before the 1st day of February in each year, upload a unified annual return in **Form-XXIII** online on the web portal of the State Government in the Ministry of Labour and Employment, giving information as to the particulars specified,

in respect of the preceding year: Provided that during inspection, the Inspector-cum-Facilitator may require the production of accounts, books, register and other documents maintained in electronic form or otherwise. Explanation.- For the purposes of this sub-rule, the expression “electronic form” shall have the same meaning as assigned to it in clause (r) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000).

(b) If the employer to which the Code applies sells, abandons or discontinues the working of the establishment, then, he shall, within one month of the date of such sale or abandonment or four months of the date of such discontinuance, as the case may be, upload online, on the web portal of the State Government in the Ministry of Labour and Employment, a further unified return in **Form XXIII** referred to in clause(a) in respect of the period between the end of the preceding year and the date of the sale, abandonment or discontinuance.

CHAPTER XI

OFFENCES AND PENALTIES

32. Manner of compounding of offences by the authorized officer specified under sub-section (1) of section 138 and the form and manner of making application for the compounding of an offence under sub-section (4) of section 138-

(1) The officer authorized by the State Government by notification for the purposes of compounding of offences under sub-section (1) of section 138 shall issue electronically a compounding notice in **Form-XXIV** for the offences for which are compoundable under section 138.

(2) The person so noticed may apply in **Part III** of the **Form-XXIV** to the officer electronically and deposit the entire compounding amount by electronic transfer or otherwise, within fifteen days of the receipt of the notice.

(3) The Compounding Officer shall issue a composition certificate in **Part IV** of **Form-XXIV** within ten days of receipt of the composition amount, to such person from whom such amount has been received in satisfaction of the composition notice.

(4) If a person so noticed fails to deposit the composition amount within the prescribed time, the prosecution shall be instituted before the competent Court or the offence in respect of which the compounding notice was issued, against such person.

(5) Composition after institution of prosecution.-

(a) The Court may compound any compoundable offence at any time after filing of a complaint under section 138 of the Code.

(b) The provisions of section 320 of the Code of Criminal Procedure, 1973 shall apply to such compositions.

CHAPTER XIII
MISCELLANEOUS

33. Manner of establishment and administration of the Social Security Fund under sub-section (4) of section 141-

(1) All the following funds received shall be credited to separate account(s) and called as Social Security Fund and all expenses towards the scheme (s) notified under sections 109 and 114 for the Unorganized Workers, Gig Workers and Platform Workers shall be met out of this fund:

(a) under sub-section (1) of section 141 of the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020); and

(b) under sub-section (1) of section 115 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (37 of 2020).

(2) The Central Government shall identify the source(s) for initial funding/ replenishing the Social Security Fund from time to time.

(3) The fund shall be administered by the Central Government through an agency designated by the Central Government in the manner, as notified by the Central Government.

(4) Directions of the Central Government, if any shall be complied by the agency designated for the administration of the Social Security Fund.

(5) The Statement of accounts of Social Security Fund shall be maintained by the agency, in the form(s) and manner as specified by the Central Government and shall be submitted to the Central Government from time to time.

(6) The accounts of the Social Security Fund shall be audited by Comptroller and Auditor General of India.

34. Submission of a copy of the Form to the office of Director General, Labour Bureau under clause (zv) of subsection (2) of section 155 – A copy of Form V (notice for Payment/Rejecting claim of Gratuity) shall be shared electronically with the Director General, Labour Bureau in auto-mode.

FORM- I

APPEAL UNDER SECTION 23 OF THE CODE ON SOCIAL SECURITY, 2020

Title of the case:

APPEAL INDEX

Serial No.	Description of documents relied	Page No.
1.		
2.		
3.		
4		

Signature of the Applicant

For use in Tribunal's office

Date of filing (or) Date of receipt by post Registration No.

Signature of Registrar

IN THE STATE GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL

BETWEEN

A. B.

APPELLANT

Vs.

C. D.

RESPONDENT

DETAILS OF APPEAL

1. Particulars of the appellant:

- (i) Name of the appellant
- (ii) Office address
- (iii) Address for service of notices

2. Particulars of the Respondent:

- (i) Name of the respondent
- (ii) Office address
- (iii) Address for service of notices

3. Particulars of the order/notification against which appeal is made:

The appeal is against the following order/notification

- (i) Order/notification No. _____ with reference to Annexure _____
- (ii) Date _____
- (iii) Passed by _____
- (iv) Subject in brief _____

4. Jurisdiction of the Tribunal: The appellant declares that the subject of the matter against which he wants redressal is within the jurisdiction of the Tribunal.

5. Limitation- The appellant further declares that the appeal is within the limitation prescribed in Section 127 of the Social Security Code, 2020.

6. Facts of the case: The facts of the case are given below:

(Give here a concise statement of facts in a chronological order, each paragraph containing as nearly as possible a separate issue, fact or otherwise)

7. Details of remedies exhausted-The appellant declares that he has availed of all the remedies available to him under the Code.

(Give here chronologically the details of representations made and the outcome of such representation with reference to the Annexure numbers).

8. Matters not previously filed or pending with any other Court-The appellant further declares that he had not previously filed any appeal, writ petition or suit regarding the matter in respects of which this appeal has been made, before any court of law or any other authority or any other bench of the Tribunal nor any such appeal writ petition or suit is pending before any of them.

In case the appellant has previously filed any appeal, writ petition or suit, the stage at which it is pending and if decided, the gist of the decision should be given with reference to the Annexure.

9. Relief(s) sought- In view of the facts mentioned in para 6 above the appellant prays for the following relief(s):

[Specify below the relief(s) sought explaining the ground for relief(s) and the legal provisions (if any) relied upon].

10. Interim order, if any prayed for- Pending final decision on the appeal the applicant seeks issue of the following interim order-

(Give here the nature of the interim order prayed for with reasons)

11. In the event of appeal being sent by Registered post, it may be stated whether the appellant desires to have oral hearing at the admission stage and if so, he shall attach a self-addressed Post Card, Inland Letter, at which intimation regarding the date of hearing could be sent to him.

12. Particulars of Bank Draft/Postal order in respect of the Appeal Fee:

1. Name of the Bank on which drawn
2. Demand Draft No. (OR)
3. Details of online fund transfer

13. List of enclosures

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

VERIFICATION

I, (Name of the Appellant) S/O, D/O, W/O
..... Age..... working asin the office of
..... Resident of do hereby verify that the
contents of paras to..... are true to my personal
knowledge and paras to..... believed to be true on legal advice
and that I have not suppressed any material fact.

Signature of the Appellant

Date:

Place:

To,

The Registrar

FORM-II

RECEIPT SLIP

Receipt of the appeal filed in the State Government Industrial Tribunal at
..... by Sri/Smt/Kum..... working
in/for..... of..... residing
at..... is hereby acknowledged.

For Registrar

State Government Industrial Tribunal

Date:

Seal:

FORM-III

Nomination/Fresh Nomination/Modification of Nomination

(Strike out the words not applicable)

To.....
..... (Give here name or description
of the establishment with full address) I,
Shri/Shrimati/Kumari.....(Name in full
here)whose particulars are given in the statement below, hereby nominate
the person(s) mentioned below/ have acquired a family within the
meaning of clause (33) of section 2 of Code on Social Security, 2020 with
effect from the(date here) in the manner indicated
below and therefore nominate afresh the person(s) mentioned below to
receive the gratuity payable after my death as also the gratuity standing to
my credit in the event of my death before that amount has become
payable, or having become payable has not been paid and direct that the
said amount of gratuity shall be paid in proportion indicated against the
name(s) of the nominee(s). or I,
Shri/Shrimati/Kumari.....(Name in full here)
whose particulars are given in the statement below, hereby give notice
that the nomination filled by me on date and recorded under
your reference No.....dated..... shall stand modified
in the following manner-

Strike out unnecessary portion.

2. I hereby certify that the person(s) mentioned is/are a member(s) of my
family within the meaning of clause(33) of section 2 of the Code on
Social Security, 2020.

3. I hereby declare that I have no family within the meaning of clause (33) of section 2 of the said Code.

4 (a) My father/mother/parents is/are not dependent on me.

(b) My husband's father/mother/parents is/are not dependent on my husband.

5. I have excluded my husband from my family by a notice dated the..... to the competent authority in terms of clause (33) of section 2 of the said Code.

6. Nomination made herein invalidates my previous nomination.

Nominee(s)

S.No.	Name in full with full address of nominee(s)	Relationship with the employee	Age of nominee	Proportion by which the gratuity will be shared
1				
2				
3				
So on				

Manner of acquiring a “Family”

(Here give details as to how a family was acquired, i.e., whether by marriage or parents being rendered dependent or through other process like adoption)

Statement

1. Name of employee in full
2. Sex
3. Religion
4. Whether unmarried/married/widow/widower
5. Department/Branch/Section where employed
6. Post held with Ticket No. or Serial No., if any
7. Date of appointment
8. Permanent address:

Village..... Thana.....

Sub-division.....Post Office.....

Pin-

Code.....District.....State.....

E-mail ID.....

Mobile Number.....

Place:

Date:

Signature/Thumb-impression of the Employee

Certificate by the Employer

Certified that the particulars of the above nomination have been verified and recorded in this establishment. Employer's Reference No., if any

Signature of the employer/Officer authorized

Designation

Date:

Name and address of the establishment or
rubber stamp thereof.

Acknowledgement by the Employee

Received the duplicate copy of nomination in Form-III filed by me and duly certified by the employer.

Date:

Signature of the Employee

FORM-IV

Application for Gratuity by an Employee/Nominee/Legal Heir

(Strike out the words not applicable)

To,.....

...

(Give here name or description of the establishment with full address)

Sir/Madam,

I,(name of employee/nominee/legal heir)
/nominee of late.....(Name of the employee)/ as a
legal heir of late.....(Name of the employee), beg
to apply for payment of gratuity to which I am entitled under sub-section
(1) of section 53 of the Code on Social Security, 2020 on account of-

(a) my superannuation/retirement/resignation after completion of not less
than five years of continuous service/total disablement due to
accident/total disablement due to disease/ on termination of contract
period under fixed term employment with effect from
the.....or;

(b) death of the aforesaid employee while in service/superannuation
on.....after completion of.....years of service/total
disablement of the aforesaid employee due to accident or disease while in
service with effect from the..... or;

(c) death of aforesaid employee of your establishment while in
service/superannuation on.....(date) without making
any nomination after completion ofyears of service/total

disablement of the aforesaid employee due to accident or disease while in service with effect from.....

Necessary particulars relating to my appointment are given in the statement below.

1. Name of employee in full, (if, the gratuity is claimed by an employee)

a. Marital status of employee (unmarried/married/widow/widower)

b. Address in full of employee

or

2. Name of nominee/legal heir, (if the gratuity is claimed by nominee/legal heir)

a. Name of Employee

b. Marital status of nominee/legal heir (unmarried/married/widow/widower)

c. Relationship of nominee/legal heir with the employee

d. Address in full of nominee/legal heir

e. Date of death and proof of death of the employee

f. Reference No. of recorded nomination if available

3. Department/Branch/Section where last employed

4. Post held by employee.

5. Date of appointment.

6. Date and cause of termination of service

7. Date of Death

8. Total period of service of the employee

9. Total wages last drawn by the employee.

10. Total gratuity payable to the employee/ share of gratuity claimed by a nominee/legal heir.

11. Payment may please be made by crossed bank cheque/credit in my bank account no.....

Yours faithfully,

Signature/Thumb-impression of the
applicant employee/nominee/legal heir.

Place:

Date:

FORM-V

Notice for Payment/Rejecting claim of Gratuity

(Strike out the words not applicable)

To,.....
.....

(Name and address of the applicant employee/nominee legal heir)

You are hereby informed that

(a) as required under sub-clause (ii) of clause (a) of sub-rule (2) of rule 35 of the Code on Social Security (State) Rules, 2020, that your claim for payments of gratuity as indicated on your application in Form-IV under the said rules is not admissible for the reasons stated below:

Reasons (Here specify the reasons); or

(b) as required under sub-clause (i) of clause (a) of sub-rule (2) of rule 35 the Code on Social Security (State) Rules, 2020 that a sum of Rs.(Rupees.....) is payable to you as gratuity/as your share of gratuity in terms of nomination made byonand.....recorded in thisas a legal heir of.....an employee of this establishment.

2. Please call aton..... (Here specify place).....(date) at.....(time) for collecting your payment of gratuity crossed cheque.

3. Amount payable shall be sent to you through demand draft or shall be credited in your bank account as desired by you.

4. Brief statement of calculation

(a) Date of appointment.

(b) Date of termination/superannuation/resignation/ disablement/death.

(c) Total period of service of the employee concerned:
.....years..... months.

(d) Wages last drawn:

(e) Proportion of the admissible gratuity payable in terms of nomination/as a legal heir:

(f) Amount payable: strike out para, if, not applicable

Place:

Date:

Signature of the Employer/authorized officer.

Name or description of establishment or
rubber stamp thereof.

Copy to: The Competent Authority in case of denial of gratuity.

Copy also to: Office of DG Labour Bureau, Ministry of Labour and
Employment, Chandigarh.

FORM-VI

Application for Direction

Before the Competent Authority for Chapter V under the Code on Social Security, 2020

Application No.

Date

BETWEEN

(Name in full of the applicant with full address)

AND

(Name in full of the employer concerned with full address)

The applicant is an employee of the above-mentioned employer/a nominee of late..... an employee of the above-mentioned employer/a legal heir of late..... and employee of the abovementioned employer, and is entitled to payment of gratuity under section 53 of the Code on Social Security, 2020 on account of his own/aforesaid employee's superannuation on.....(date)/his own retirement/aforesaid employees' resignation on.....(date) completion of.....years of continuous service/his own/aforesaid employees' total disablement with effect from(date)due to accident/disease death of aforesaid employee on..... 2. The applicant submitted an application under Rule..... of the Code on Social Security (State) Rules, 2020 on thebut the above-mentioned employer refused to entertain it/issued a notice dated the..... under clauseof sub-rule of ruleoffering an amount of gratuity which is less than my

due/issued a notice datedthe under clause..... of sub-rule.....of rule..... rejecting my eligibility to payment of gratuity. The duplicate copy of the said notice is enclosed. 3. The applicant submits that there is a dispute on the matter (specify the dispute).

4. The applicant furnishes the necessary particulars in the annexure hereto and prays that the Competent Authority may be pleased to determine the amount of gratuity payable to the petitioner and direct the above-mentioned employer to pay the same to the petitioner.

5. The applicant declares that the particulars furnished in the annexure hereto are true and correct to the best of his knowledge and belief.

Date:

Signature/Thumb impression of the applicant.

ANNEXURE

1. Name in full of applicant with full address
2. Basis of claim (Death/Superannuation/Retirement/Resignation/Disablement of Employee/Completion of contract period under Fixed Term Employment)
3. Name and address in full of the employee
4. Marital status of the employee (unmarried/married/widow/widower)
5. Name and address in full of the employer
6. Department/Branch/Section where the employee was last employed (if known)
7. Post held by the employee with Ticket or Sl. No., if any (if known)

8. Date of appointment of the employee (if known)
9. Date and cause of termination of service of the employee (Superannuation /retirement/resignation/disablement/death/Completion of contract period under Fixed Term Employment)
10. Total period of service by the employee
11. Wages last drawn by the employee
12. If the employee is dead, date and cause thereof
13. Evidence/witness in support of death of the employee
14. If a nominee, No. and date of recording of nomination with the employer
15. Evidence/witness in support of being a legal heir if a legal heir
16. Total gratuity payable to the employee (if known)
17. Percentage of gratuity payable to the applicant as nominee/legal heir
18. Amount of gratuity claimed by the applicant

Place:

Date:

Signature/Thumb-impression of the applicant

FORM – VII

Notice for Appearance before the Competent Authority/Summon

(Strike out the words not applicable)

To,

(Name and address of the employer/applicant)

Whereas Shrian employee under you/a nominee(s)/legal heir(s) ofShri.....an employee under the above-mentioned employer, has/have filed an application under sub-rule (4) of rule 35 of the Code on Social Security(State) Rules, 2020 alleging that (A copy of the said application is enclosed, if, summon is issued then copy of application is not required) Now, therefore, you are hereby called upon/summoned to appear before the Competent Authority at(place)either personally or through a person duly authorized in this behalf for the purpose of answering all material questions relating to the application on the day of20..... at 'O' clock in the forenoon/afternoon in support of/to answer the allegation; and as the day fixed for your appearance is appointed for final disposal of the application, you must be prepared to produce on that day all the witnesses upon whose evidence, and the documents upon which you intend to rely in support of your allegation/defence.

Take notice that in default of your appearance on the day before-mentioned, the application will be dismissed/heard and determined in your absence.

Whereas your attendance is required to give evidence/you are required to produce the documents mentioned in this list below, on behalf of in the case arising out of the claim for gratuity by.....

Form..... and referred to this Authority by an application under section 56 of the Code on Social Security, 2020, you are hereby summoned to appear personally before this Authority on the day of20..... at ‘O’clock in the forenoon/afternoon and to bring with you for to send to this Authority) the said documents.

List of documents

- 1.
- 2.
- 3.

so on

Given under my hand and seal, thisday of20.....

Competent Authority

under the Code on Social Security Code, 2020

Note:

1. Strike out the words and paragraphs not applicable.
2. The portion not applicable to be deleted.
3. The summons shall be issued in duplicate. The duplicate is to be signed and returned by the persons served before the date fixed.
4. In case the summons is issued only for producing a document and not to given evidence it will be sufficient compliance to the summons if the documents are caused to be produced before the Competent authority on the day and hour fixed for the purpose.

FORM – VIII

**Notice for Payment of Gratuity as Determined by
Competent/Appellate Authority**

(Strike out the words not applicable)

To,

(Name and address of employer)

1. Whereas Shri/Smt./Kumari..... of an
employee.....

(address)under you/a nominee(s)/legal heir(s) of late

.....an employee under you,

filed an application under section 56 of the Code on Social Security,

2020, before me; or Whereas a notice was given to you on

.....requiring you to make payment of

Rs..... to

Shri/Smt./Kumari.....as gratuity under the

Code on Social Security, 2020.

2. And whereas the application was heard in your presence

on.....and after the hearing have come to the finding that the said

Shri/Smt./Kumari..... is entitled to a

payment of Rs..... as gratuity under the Code on Social

Security, 2020; or

Whereas you/the applicant went in appeal before the appellate authority,

who has decided that an amount of Rs..... is due to be paid

to Shri/Smt./Kumari.....as gratuity due under the

Code on Social Security, 2020.

Now, therefore, I hereby direct you to pay the said sum of Rs.

.....to

Shri/Smt./Kumari

..... within thirty days of the receipt of this notice with an intimation thereof to me.

Given under my hand and seal, thisday of.....20.....

Competent Authority

under the Code on Social Security Code, 2020

Copy to:

1. The Applicant- He is advised to contact the employer for collecting payment.
2. The Appellate Authority if applicable. Note. (Strike out paragraphs if not applicable)

FORM – IX

Application for Recovery of Gratuity

Before the Competent Authority for Chapter V under the Social Security Code, 2020

Application No.

Date

BETWEEN

(Name in full of the applicant with full address)

AND

(Name in full of the employer/Trust/Insurer concerned with full address)

1. The applicant is an employee of the above-mentioned employer/a nominee of late..... an employee of the above mentioned employer/a legal heir of latean employee of the above-mentioned employer, and you were pleased to direct the said employer in your notice dated theunder sub-rule (11) or sub-rule (12) of rule 35 of Code on Social Security (State) Rules, 2020 for payment of a sum of Rs..... as gratuity payable under the Code on Social Security, 2020.

2. The applicant submits that the said employer failed to pay the said amount of gratuity to me as directed by you although I approached him for payment.

3. The applicant therefore prays that a certificate may be issued under section 129 of the Code for recovery of the said sum of Rs.due to me as gratuity in terms of your direction.

Signature/Thumb-impression of applicant.

Place:

Date:

Note.—Strike out the words not applicable.

FORM – X

**Certificate of Medical Officer/Medical Practitioner for
confinement/miscarriage/ Medical termination of pregnancy or
tubectomy operation/ delivery of a child/adoption of child**

This is to certify that

1. I examined.....wife/ daughter of Woman employee in.....
(Name of the establishment) on..... (Date) and found/ cannot discover
that she is pregnant and is expected to be delivered of a child within
(month and/days) from the above mentioned date/ has undergone
miscarriage/ Medical termination of pregnancy or tubectomy
operation/has been delivered of a child on..... (Date) or is suffering
from.....(date) from illness arising out of pregnancy/delivery/
premature birth of a child or miscarriage/ Medical termination of
pregnancy or tubectomy operation.

2. Smt..... wife/daughter of..... employed in..... (Name of the
establishment) expired onbefore/during/ after confinement. The
child died on...../survives her.

3. I examined....wife/ daughter of....a woman employed in.....
(Name of establishment) and found that she has been delivered of a child/
has undergone miscarriage on..... (date).

Strike out unnecessary portion.

Signature, qualifications and designation of

Medical Officer/Medical Practitioner/Midwife

Date.....

Definitions of "child" and "miscarriage" as in the Code on Social Security, 2020-

1. "Child" includes a still-born child.
2. "Miscarriage" means expulsion of the contents of a pregnant uterus at any period prior to or during the twenty-sixth week of pregnancy but does not include any miscarriage, the causing of which is punishable under the Indian Penal Code.

FORM – XI

(Notice of Claim for Maternity Benefit and Payment thereof under section 62 & 63)

To

(name of establishment)

PART I

Notice

I (name of woman) wife/ daughter of..... employed as..... at.....(name of establishment), hereby give notice that I expect to be confined within six weeks next following from the date of this notice/ have given birth to a child on.....(date) and shall be absent from work from.....(date). I shall not work in any establishment during the period for which I receive maternity benefit.

2. For the purpose of section 63, I hereby nominate..... (Here enter name and address of the nominee) to receive maternity benefit and/ or any other amount due to me under the Code in case of my death.

Signature of an Attester in case

Signature or impression of woman

the woman is not able to sign

and affix thumb impression.

Date.....

PART II

FORM OF RECEIPT OF MATERNITY BENEFIT

I,....., the undersigned, a woman employee/ the nominee of..... woman employee/ legal representative of..... woman employee deceased in.....(name of establishment) at..... in..... district received maternity benefit and/or other amount due under the Code on Social Security ,2020 from the employer of the establishment referred to above, as detailed below:-

Rs..... being the first installment of maternity benefit paid on.....

Rs..... being the second installment of maternity benefit after delivery paid on.....

Rs..... being the medical bonus under section 64 of the Code paid on.....

Rs.....being the wages for the leave period from..... to..... mentioned under section 65.

My/Her confinement/miscarriage Medical termination of pregnancy or tubectomy operation took place on.....or I/she fell ill because of pregnancy, delivery, premature birth of a child or miscarriage Medical termination of pregnancy or tubectomy operation on..... In consequence I..... her nominee/legal representative has received the aforesaid amounts prescribed in sections 60, 64 and 65 of the Code on Social Security, 2020.

Signature or thumb impression of.....

Woman employee or her nominee or legal representative

Signature of an Attester in case the woman is not able to sign and affixes
thumb impression

Date.....

Strike out unnecessary portion.

FORM – XII
Complaint to the Inspector-cum-Facilitator

To,

The Inspector-cum-Facilitator

(Under The Code on Social Security, 2020)

Sir,

I..... (Name of woman) employed in..... (name and full address of the establishment) or I....., (name), a person nominated under section 62 by or a legal representative of.....(name of woman) employed in.....(name and full address of the establishment) having fulfilled the conditions laid down in the Code on Social Security , 2020 and the Rules thereunder, am entitled to Rs..... being maternity benefit and/ or Rs..... being the medical bonus and/ or Rs..... being wages for leave due under section 65 but the same has been improperly withheld by the employer/discharged or dismissed during or on account of her absence from work in accordance with the provisions of this Chapter VI of Code on Social Security , 2020.

You are therefore requested, to direct the employer to pay the amount to me/ to set aside the discharge or dismissal done by the employer.

Signature or thumb impression of the Woman/
nominee/ legal representative

Date.....

Signature of an Attester in case the woman/
nominee/legal representative is
unable to sign and affixes thumb impression.

Full address of the women/nominee/legal representative.

FORM-XIII

Appeal

To,

The Authority,

(Appointed under the Code on Social Security, 2020)

.....(Address)

Sir,

I....., the undersigned, woman employee of..... (name and full address of the establishment)

Feel aggrieved by the order of Inspector-cum-Facilitator under sub section (2) of section 72 for the reasons attached hereto, prefer this appeal under sub-section (2) of section 68 and request that the said employer be ordered to pay the above mentioned amount to me. A copy of the order of Inspector-cum-Facilitator cum Facilitator in this behalf is enclosed; or

Shri....., Inspector-cum-Facilitator, having directed under sub-section (2) of section 72 to pay the maternity benefit or other amount being..... (Nature of amount) to which..... (Name of woman) is said to be entitled/to set aside my discharge or dismissal during or on account of absence from work in accordance with the provisions of this Chapter V of the Code on Social Security, 2020 (*Strike out unnecessary portion*).

I prefer this appeal under sub-section (3) of section 72. In view of the facts mentioned in the memorandum attached hereto and other documents filed herewith it is submitted that the woman is not entitled to the

maternity benefit or the said amount and hence the order of the Inspector-cum-Facilitator in the copy of which is enclosed, may be set aside.

Strike out unnecessary portion.

Signature or thumb impression of the Women/Aggrieved person

Date.....

.....

Signature of an Attester in case the woman is
not able to sign and affixes thumb impression.
Full address of the nominee/legal representative

FORM – XIV

(Abstract for the Maternity Benefit, and the rules made under the Code on Social Security, 2020).

1. No employer shall knowingly employ a woman during the six weeks immediately following the day of her delivery of miscarriage/ Medical termination of pregnancy and no woman shall work in any establishment during the said period.

2. No pregnant woman shall, on a request being made by her in this behalf, be required by her employer to do during the period of one month immediately preceding the period of six weeks before the date of her expected delivery and also for any period during this period of six weeks for which she does not avail of leave of absence, any work which is of an arduous nature or which involves long hours of standing, or which in way is likely to interfere with her pregnancy or the normal development of the foetus, or is likely to cause her miscarriage or otherwise to adversely affect her health. [

3. (a) Subject to the provisions of the Code, every woman who has actually worked in an establishment of the employer from whom she claims maternity benefit for a period of not less than eighty days, including the days during which she was laid off, shall be entitled to, and her employer shall be liable for, the payment of maternity benefit at the rate of her average daily wages, **or the minimum rate of wage fixed or revised under the Code on Wages, 2019 or Two hundred rupees a day**, whichever is higher, for the period of her actual absence not exceeding six weeks immediately preceding the day of delivery and the remaining period immediately following that day:

Provided further that where a woman dies during the period for which maternity benefit is payable, to her, the benefit shall be payable only for

the days up to and including the day of her death. However, where the woman having been delivered of a child, dies during her delivery or during the remaining period of maternity benefit leaving behind in either case the child, the employer shall be liable for the, payment of maternity benefit for the entire period of maternity benefit following the day of her delivery but if the child also dies during the said period, then, for the days up to and including the day of the death of the child.

(b)The amount of maternity benefit for the period preceding the date of her expected delivery shall be paid in advance by the employer to the woman on production of a certificate in **Form-X** stating that she is pregnant and is expected to be delivered of a child within six weeks of the date of production of the certificate, and the amount due for the subsequent period shall be paid by the employer to the woman within forty-eight hours of production of the certificate in **Form-X** stating that she has been delivered of a child or production of a certified extract from a Birth Register maintained under the provisions of any law for the time being in force.

4. (a) Any woman employed in an establishment and entitled to maternity benefit under the provisions of this Code may give notice in writing in **Form-XI** to her employer, stating that her maternity benefit and any other amount to which she may be entitled under this Code may be paid to her or to such person as she may nominate in the notice and that she will not work in any establishment during the period for which she receives maternity benefit.

(b) In the case of a woman who is pregnant, such notice shall state the date from which she will be absent from work, not being a date earlier than six weeks from the date of her expected delivery.

(c) Any woman who has not given the notice when she was pregnant may give such notice as soon as possible after the delivery.

(d) On receipt of the notice, the employer shall permit such woman to absent herself from establishment until the expiry of the remaining period of maternity benefit after the day of her delivery.

5. (a) Every woman entitled to maternity benefit under the Code shall also be entitled to receive from her employer a medical bonus of rupees three thousand and five hundred, if no pre-natal, confinement and post-natal care is provided for by the employer free of charge. The medical bonus shall be paid along with the second installment of the maternity benefit.

(b) In case of miscarriage/medical termination of pregnancy, a woman shall, on production of a certificate in **Form-X** be entitled to leave with wages at the rate of maternity benefit, for a period of six weeks immediately following the day of her miscarriage. The wages shall be paid within 48 hours of production of the certificate in **Form-X**.

(c) A woman suffering from illness arising out of pregnancy, delivery, premature birth of child or miscarriage/ medical termination of pregnancy or tubectomy operation shall, on production of a certificate in **Form-X**, be entitled, in addition to the period of absence allowed to her on account of maternity or miscarriage/ medical termination of pregnancy or tubectomy operation, as the case may be, to leave with wages at the rate of maternity benefit for a maximum period of one month. The wages for the leave period shall be paid within 48 hours of the expiry of that period.

6. Every woman delivered of a child who returns to duty after such delivery shall, in addition to the interval for rest allowed to her, be allowed in the course of her daily work two breaks of 15 minutes'

duration for nursing the child until the child attains the age of fifteen months. An extra sufficient period, depending upon the distance to be covered, shall be allowed for the purpose of the journey to and from the creche or the place where the children are left by women while on duty, provided that such extra period shall not be less than 5 minutes and more than 15 minutes' duration.

7. (1) When a woman absents herself from work in accordance with the provisions of the Code, it shall be unlawful for her employer to discharge or dismiss her during or on account of such absence or to give notice of discharge or dismissal on such a day that the notice will expire during such absence, or to vary to her disadvantage any of the conditions of her service.

(2) (a) The discharge or dismissal of a woman at any time during her pregnancy, if the woman but for which discharge or dismissal would have been entitled to maternity benefit or medical bonus shall not have the effect of depriving her of the maternity benefit or medical bonus:

Provided that where the dismissal is for one or more of the following acts, the employer may, by order in writing communicate to the woman, deprive her of the maternity benefit or medical bonus or both-

(i) Willful destruction of employer's goods or property;

(ii) Assaulting any superior or co-employee at the place of work;

(iii) Criminal offence involving moral turpitude resulting in conviction in a court of law;

(iv) theft, fraud, or dishonesty in connection with the employer's business or property; and

(v) willful non-observance of safety measures or rules on the subject or willful interference with safety devices or with fire-fighting equipment.

(b) Any woman deprived of maternity benefit or medical bonus or both, may within sixty days from the date on which the order of such deprivation is communicated to her, appeal in **Form-XIII** to the Competent Authority and his decision on such appeal whether the woman should or should not be deprived of maternity benefit or medical bonus or both, shall be final.

8. If a woman works in any establishment after she has been permitted by her employer to absent herself under the provisions of the Act, she shall forfeit her claim to the maternity benefit for such period.

9. (1) Any woman claiming the maternity benefit or any other amount to which she is entitled under the Act and any person claiming that payment due has been improperly withheld may make complaint to the Inspector-cum-Facilitators in writing in **Form-XIII** as the case may be.

(2) The Inspector-cum-Facilitators may, on his own motion or on receipt of a complaint in **Form-XII**, make an inquiry or cause an enquiry to be made and if satisfied that payment has been wrongfully withheld, may direct the payment to be made in accordance with his orders.

(3) Any person aggrieved by the decision of the Inspector-cum-Facilitator may, within, thirty days from the date on which such decision is communicated to such person, appeal to the Authority prescribed by the Appropriate Government.

(4) The decision of Authority where an appeal has been preferred to him or of the Inspector-cum-Facilitator where no such appeal has been preferred, shall be final.

10. (a) The employer shall supply to every woman employed by him at her request free of cost copies of **Forms X, XI, XII and XIII**.

(b) The failure to submit a notice, appeal or complaint in the prescribed form will not affect the right of a woman entitled to receive maternity benefit or any other amount due under the Code. Where a notice, appeal or complaint has been received in a form other than the prescribed form, the authority concerned shall within fifteen days of the receipt of such notice, appeal or complaint, require the woman to submit the notice, appeal or complaint, as the case may be in the prescribed form.

11. (a) (1) The employer of the establishment in which women are employed shall prepare and maintain a register of women employees in **Form-XXII** and shall enter therein particulars of all women workers in the establishment.

(2) All entries in the register of women employees shall be made in ink and maintained up-to-date and it shall always be available for inspection by the Inspector-cum-Facilitator during working hours.

(b) The employer to which the Code applies, on or before the 1st day of February in each year, upload a unified annual return in **Form-XXIII** online on the web portal of the State Government in the Ministry of Labour and Employment, giving information as to the particulars specified, in respect of the preceding year:

Provided that during inspection, the Inspector-cum-Facilitator may require the production of accounts, books, register and other documents maintained in electronic form or otherwise.

Explanation.- For the purposes of this sub-rule, the expression “electronic form” shall have the same meaning as assigned to it in clause (r) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000).

FORM – XV

**Information for commencement or modification in respect of
Building or Other Construction Work by the Employer**

1	Name and address (permanent) of the establishment.	
2	Name of the employer and address details	
3	Name and address/ location of place where the building and other construction is proposed to be carried on.	
4	Name, designation and address of the authorized Person along with contact details	
5	Correspondence address for the proposed building or other construction work may be sent	
6	Nature of proposed construction work	
7	Date of commencement of work(in case construction has started)	
8	Approximate duration of work	
9	Details of any change /modifications in the proposed construction work	

I/we hereby intimate that the building or other construction work (name of work) have you registration number dated

..... is likely to commence/ is likely to modify with effect from (date)/ [on (date)].

Signature of employer

Name:

Date:

Place:

Mobile Number:

E-mail (if any):

FORM – XVI

Format for Self- assessment of Cess for Building or other Construction Work to be furnished by Employer

1	Name and address (permanent) of the establishment.	
2	Name of the employer and address details	
3	Name and address/ location of place where the building and other construction is proposed to be carried on.	
4	Name, designation and address of the authorized Person along with contact details	
5	Correspondence address for the proposed building or other construction work may be sent	
6	Nature of proposed construction work	
7	Date of commencement of work(in case construction has started)	
8	Approximate duration of work	
9	Details of any change /modifications in	

	the proposed construction work		
10	Total estimated cost of the construction based on the rates of (PWD or CPWD or RERA or some other rates as the case may be) along with documents (original) as per Rule 43.		
11	Total estimated cost of construction as certified by chartered engineer		
12	Amount of provisional cess	% age of total estimated cost of construction as notified by the State Government	Total estimated cess (in Rs.)
13	Advance cess paid, along with details (at the time of approval of the Project or before the commencement of the construction work)/deduction at source		
14	Details of cess paid (when duration of the proposed construction work is more than one year)		
	Sl No.	Year	Amount (in Rs.)
	14.1	1 st year	

	14.2	2 nd year	
	14.3	3 rd year	
15	Total of the cess paid (Srl.No. 13 + 14)		

Declaration

1. I/We hear by declare that the particulars given above are true to the best of my/our knowledge and belief and I/We hereby declare that nothing has been concealed or any fact has been mis-represented in the above calculation made by me/us.

2. I/We hear by declare that I/We are quite aware of the penal provisions of the Code on Social Security, 2020 and if in future anything mentioned in the above self-assessment of cess amount, is found to be incorrect or inappropriate or any incidence of hiding the facts or under calculation of cess amount is found, punitive action may be taken against me/us.

Signature and seal of
employer

Name:

Date:

Place:

Mobile Number:

E-mail (if any):

Certified by Chartered Engineer Along with his registration number, duly stamp.

FORM- XVII

Notice for stoppage or reduction of Building or Other Construction Work

1	Name of establishment.	
2	Registration number of establishment	
3	Address of establishment	
4	Date of commencement of work	DD MM YY
5	Approximate proposed period of work	DD MM YY
6	Date of stoppage or reduction of the building or other construction work	
7	Total estimated cost of the construction based on the rates of (PWD or CPWD or RERA or some other rates as the case may be) along with documents (original) as per Rule 43.	
8	Total incurred cost of the construction work	
9	Total amount of cess payable	%age of total incurred cost of the construction as notified by the State Total cess payable (in Rs.)

		Government	
10	Advance cess paid, along with details (at the time of approval of the Project or before the commencement of the construction work)/deduction at source, if any		
11	Details of cess paid (when duration of the proposed construction work is more than one year)		
	Sl No.	Year	Amount (in Rs.)
	11.1	1 st year	
	11.2	2 nd year	
	11.3	3 rd year	
12	Total of the cess paid (Sl. No. 10 + Sl. No. 11)		
13	Amount of outstanding cess (Sl. No. 13- Sl. No. 16)		
14	Proof of payment of outstanding cess, if applicable		
15	Amount of overpaid cess, if applicable		
16	In case overpaid, details of the bank account in which excess amount is to be refunded		

17	Remark, if any	
----	----------------	--

Declaration

1. I/We hear by declare that the particulars given above are true to the best of my/our knowledge and belief and I/We hereby declare that nothing has been concealed or any fact has been mis-represented in the above calculation made by me/us.

2. I/We hear by declare that I/We are quite aware of the penal provisions of the Code on Social Security, 2020 and if in future anything mentioned in the above self-assessment of cess amount, is found to be incorrect or inappropriate or any incidence of hiding the facts or under calculation of cess amount is found, punitive action may be taken against me/us.

Signature and seal of
employer

Name:

Date:

Place:

Mobile Number:

E-mail (if any):

Certified by Chartered Engineer

Along with his registration number, duly stamp.

FORM- XVIII

Return on completion of building or other construction work submitted by employer

1	Name and address (permanent) of the establishment.	
2	Name of the employer and address details	
3	Name and address/location of place where the building and other construction is proposed to be carried on.	
4	Name, designation and address of the authorized Person along with contact details	
5	Correspondence address for the proposed building or other construction work may be sent	
6	Nature of proposed construction work	
7	Date of commencement of work(in case construction has started)	
8	Date of completion of work	
9	Duration of work	

10	Total completed area of construction work		
11	Total estimated cost of the construction based on the rates of (PWD or CPWD or RERA or some other rates as the case may be) along with documents (original) as per Rule 43.		
12	Total incurred cost of the construction work		
13	Total amount of cess payable	% age of total estimated cost of construction as notified by the State Government	Total estimated cess (in Rs.)
14	Advance cess paid, along with details (at the time of approval of the Project or before the commencement of the construction work)/deduction at source		
15	Details of cess paid (when duration of the proposed construction work is more than one year)		
	Sl No.	Year	Amount (in Rs.)

	15.1	1 st year	
	15.2	2 nd year	
	15.3	3 rd year	
16	Total of the cess paid (Srl.No. 14 + 15)		
17	Amount of outstanding cess (Sl No. 13- Sl. No. 16)		
18	Proof of payment of outstanding cess, if any		
19	Amount of overpaid cess, if applicable		
20	In case overpaid, details of the bank account in which excess amount is to be refunded		
21	Remark, if any		

Declaration

1. I/We hear by declare that the particulars given above are true to the best of my/our knowledge and belief and I/We hereby declare that nothing has been concealed or any fact has been mis-represented in the above calculation made by me/us.

2. I/We hear by declare that I/We are quite aware of the penal provisions of the Code on Social Security, 2020 and if in future anything mentioned in the above self-assessment of cess amount, is found to be incorrect or inappropriate or any incidence of hiding the facts or under calculation of cess amount is found, punitive action may be taken against me/us.

Signature and seal of
employer

Name:

Date:

Place:

Mobile Number:

E-mail (if any):

Certified by Chartered Engineer

Along with his registration number, duly stamp.

FORM – XIX

[See Rule 46(1) and section 105 of the Code on Social Security, 2020]
Proforma for Appeal before the Appellate Authority against Order of Assessment or Order Imposing Penalty

1	Name and address (permanent) of the establishment.	
2	Name of the employer and address details	
3	Name and address/location of place where the building and other construction is proposed to be carried on.	
4	Name, designation and address of the authorized Person along with contact details	
5	Correspondence address for the proposed building or other construction work may be sent	
6	Nature of proposed construction work	
7	Date of commencement of work(in case construction has started)	
8	Date of completion of work	
9	Duration of work	

10	Total completed area of construction work		
11	Total estimated cost of the construction based on the rates of (PWD or CPWD or RERA or some other rates as the case may be) along with documents (original) as per Rule 43.		
12	Total incurred cost of the construction work		
13	Total amount of cess payable	% age of total estimated cost of construction as notified by the State Government	Total estimated cess (in Rs.)
14	Advance cess paid, along with details (at the time of approval of the Project or before the commencement of the construction work)/deduction at source		
15	Details of cess paid (when duration of the proposed construction work is more than one year)		
	Sl No.	Year	

	14.1	1 st year
	14.2	2 nd year
	14.3	3 rd year
16	Total of the cess paid (Srl.No. 14 + 15)	
17	Amount of outstanding cess (Sl No. 13-Sl. No. 16)	
18	Proof of payment of outstanding cess, if any	
19	Amount of overpaid cess, if applicable	
20	Amount of cess assessed by the Assessing Officer	
21	Amount of outstanding cess to be paid by the employer	
22	Amount of penalty for non-payment of cess imposed/outstanding cess claimed by the Assessing Officer	
23	Ground for appeal with supporting documents	
24	Remark, if any	

Declaration

1. I/We hear by declare that the particulars given above are true to the best of my/our knowledge and belief and I/We hereby declare that nothing has been concealed or any fact has been mis-represented in the above calculation made by me/us.

2. I/We hear by declare that I/We are quite aware of the penal provisions of the Code on Social Security, 2020 and if in future anything mentioned in the above self-assessment of cess amount, is found to be incorrect or inappropriate or any incidence of hiding the facts or under calculation of cess amount is found, punitive action may be taken against me/us.

Signature and seal of employer

Name:

Date:

Place:

Mobile Number:

E-mail (if any):

FORM – XX

Format for Self- assessment of contribution by Aggregators of gig workers and platform workers

(to be submitted by 30th June of the current year in which the contribution is payable.)

1	Registration number of Aggregator / platform	
2	Name of the Aggregator/ platform and address/location of Aggregator / platform	
3	Name and address of the authorized person along with contact details	
4	Number of gig workers and platform workers associated with the Aggregator / platform / as on opening day of the current financial year, i.e. 1st day of April in the year in which contribution is payable	
5	Annual turn-over of such Aggregator / platform of the preceding year	
6	Liability of the aggregator, payable to gig workers and platform workers, during the preceding year	
7	Provisional Contribution assessment	(Amount in Rs.)
	7.1%	% of the annual turnover as

		notified under subsection (4) of section 114 for the preceding year	
	7.2%	5% of the liability of the aggregator to gig workers and platform workers	
8	Amount of contribution payable (minimum of 7.1 and 7.2) (in Rs.)		
9	Payment of provisional contribution as assessed above.		
10	Details of the Provisional payment		
11	Remark, if any		

Note-1: For purposes of calculating contribution, turnover of an aggregator as defined under sub-section (91) under Section 2 of the Companies Act, 2013, means the gross amount of revenue recognized in the profit and loss account from the sale, supply, or distribution of goods or on account of services rendered, or both, by a company during a financial year.

Note-2: For this purpose, the annual turnover of an aggregator shall not include any tax, levy and cess paid or payable to the State Government.

Declaration

1. I/We hereby declare that the particulars given above are true to the best of my/our knowledge and belief and I/We hereby declare that nothing has

been concealed or any fact has been mis-represented in the above calculation made by me/us.

2. I/We hereby declare that I/We are quite aware of the penal provisions of the Code on Social Security, 2020 and if in future anything mentioned in the above self-assessment of contribution amount, is found to be incorrect or inappropriate or any incidence of hiding the facts or under calculation of contribution amount is found, punitive action may be taken against me/us.

Signature of authorized person

Along with seal and stamp

Name:

Date:

Place:

Mobile Number:

E-mail (if any):

FORM – XXI

**Format for return to be submitted by Aggregators of gig workers
and platform workers**

**(to be submitted by 31st October, of the current year in which the
contribution is payable)**

1	Registration number of Aggregator/ platform	
2	Name of the Aggregator/platform and address/location of Aggregator / platform	
3	Name and address of the authorized person along with contact details	
4	Number of gig workers and platform workers associated with the Aggregator / platform / as on opening day of the current financial year, i.e. 1st day of April in the year in which contribution is payable	
5	Annual turn-over of such Aggregator / platform of the preceding year	
6	Liability of the aggregator, payable to gig workers and platform workers, during the preceding year	
7	Final Contribution assessment after audited statement of account	(Amount in Rs.)
	7.1% % of the annual turnover as	

		notified under subsection (4) of section 114 for the preceding year	
	7.2%	5% of the liability of the aggregator to gig workers and platform workers	
8	Amount of contribution payable (minimum of 7.1 and 7.2) (in Rs.)		
9	Amount paid as provisional contribution		
10	Details of the Provisional payment (along with receipt)		
11	Amount of outstanding contribution to be paid (Sl No. 8- Sl. No. 9)		
12	Proof of payment of outstanding contribution, if any		
13	Amount of excess paid contribution, if any		
14	In case excess paid, details of the bank account in which refund amount is to be refunded		
15	Remark, if any		

Note-1: For purposes of calculating contribution, turnover of an aggregator as defined under sub-section (91) under section 2 of the Companies Act, 2013, means the gross amount of revenue recognised in the profit and loss account from the sale, supply, or distribution of goods or on account of services rendered, or both, by a company during a financial year.

Note-2: For this purpose, the annual turnover of an aggregator shall not include any tax, levy and cess paid or payable to the State Government.

Declaration

1. I/We hereby declare that the particulars given above are true to the best of my/our knowledge and belief and I/We hereby declare that nothing has been concealed or any fact has been mis-represented in the above calculation made by me/us.

2. I/We hereby declare that I/We are quite aware of the penal provisions of the Code on Social Security, 2020 and if in future anything mentioned in the above self-assessment of contribution amount, is found to be incorrect or inappropriate or any incidence of hiding the facts or under calculation of contribution amount is found, punitive action may be taken against me/us.

Signature of authorized person

Along with seal and stamp

Name:

Date:

Place:

Mobile Number:

E-mail (if any):

FORM – XXII

REGISTER OF WOMEN EMPLOYEES

Name of establishment

1. Serial Number.
2. Name of woman and her father's (or, if married, husband's) name.
3. Date of appointment.
4. Nature of work.
5. Dates with month and year in which she is employed, laid off and not employed.

Month	No. of days employed	No of days laid off	No of days not employed	Remark
a	b	c	d	E

6. Date on which the woman gives notice under section 62.
7. Date of discharge/dismissal, if any.
8. Date of production of proof of pregnancy under section 62.
9. Date of birth of child.
10. Date of production of proof of delivery/miscarriage/Medical Termination of pregnancy/ tubectomy operation /death / adoption of child.
11. Date of production of proof of illness referred to in section 65.

12. Date with the amount of maternity benefit paid in advance of expected delivery.
13. Date with the amount of subsequent payment of maternity benefit.
14. Date with the amount of bonus, if paid, under section 64.
15. Date with the amount of wages paid on account of leave under section 65(1) & 65(3).
16. Date with the amount of wages paid on account of leave under section 65(2) and period of leave granted.
17. Name of the person nominated by the woman under section 62.
18. If the woman dies, the date of her death, the name of the person to whom maternity benefits and/or other amount was paid, the amount thereof, and the date of payment.
19. If the woman dies and the child survives, the name of the person to whom the amount of maternity benefit was paid on behalf of the child and the period for which it was paid.
20. Signature of the employer of the establishment authenticating the entries in the register of women employees.
21. Remarks column for the use of the Inspector-cum-Facilitator.

FORM XXIII

Unified Annual Return

A. General Part:

(a) Name of the establishment.....

Address of the establishment:

House No./Flat No.Street No./Plot No.

.....

Town.....District.....State.....

.....pin code.....

(b) Name of the employer.....

Address of the employer:

House No./Flat No.Street No./Plot No.

.....

Town.....District.....State.....

.....pin code..... E-mail

ID.....

Telephone Number.....Mobile number.....

(c) Name of the manager or person responsible for supervision and control of establishment.....

Address:

House No./Flat No.....Street No./Plot No.....
 Town.....District.....State.....
pin code..... E-mail ID.....

Telephone Number.....Mobile number...

B. Employer's Registration/Licence number under the Codes mentioned in column (2) of the table below:

S.No.	Name	Registration		If yes (Registration No.)
1	2	3		4
1	The code on Occupational Safety Health and working condition code 2020			
2	The Code on Social Security, 2020			
3	Any other Law for the time being in force			

C. Details of Employer, Contractor and Contract Labour:

1	Name of the employer in the case of a contractor's establishment	
2	Date of commencement of the establishment	
3	Number of Contractors engaged in the establishment during the year	
4	Total Number of days during the year on which Contract Labour was employed	
5	Total number of man-days worked by Contract Labour during the year	
6	Name of the Manager or Agent (in case of mines)	
7	Address House No./Flat No. Street/Plot No. Town District State Pin Code E-mail ID Telephone Number Mobile Number	

D. Working hours and weekly rest day:

1	Number of days worked during the year.	
2	Number of mandays worked during the year.	
3	Daily hours of work	
4	Weekly day of rest	

G. (a) Details of Payments:

Gross wages paid		Deduction			Net wages paid	
In cash	In kind	Fines	Deductions for damage or loss	other	In cash	In kind

(b) Number of workers who were granted leave with wages during the year:

Sl. No.	During the year	Number of workers	Granted leave with wages

H. Details of various welfare amenities provided under the statutory schemes:

Sl No.	Nature of various welfare amenities provided	Statutory (specify the statute)

I. Maternity Benefit under the Code on Social Security, 2020:

(a) Details of establishment, medical and para-medical staff:

1	Date of opening of establishment	
2	Date of closing, if closed	

3	Name of Medical Officer	
3.i	Qualification of Medical Officer	
3.ii	Is Medical Officer at (the mines or circus)?	
3.iii	If a part time, how often does he/she pay visit to establishment?	
3.iv	Is there any Hospital?	
3.v	If so, how many beds are provided?	
3.vi	Is there a lady Doctor?	
3.vii	If so, what is her qualification?	
3.viii	Is there a qualified mid-wife?	
3.ix	Has any crèche been provided?	

(b) Leave Granted under the Code on Social Security, 2020

01. Total number of female employees in the establishment

02. Total number days of leave granted

03. Number of employees granted maternity leave/benefited by ESI

Declaration

It is to certify that the above information is true and correct and also I certify that I have complied with the all provisions of Labour Laws applicable to my establishment.

Place

Date

Sign. Here

FORM-XXIV

**Notice to the Employer who committed an offence for the first time
for compounding of offence under subsection (1) of section 138 of the
Code on Social Security, 2020**

Notice No.....

Date:

On the basis of records and documents produced before me, the undersigned has reasons to believe that you, being the employer of the establishment..... (Registration No.....), have committed offence for the violation of provision of the Code or the Schemes or the Rules or the Regulations framed thereunder as per the details given below:-

PART – I

1	Name of the Person:	
2	Name and Address of the Establishment	
3	Registration No of the Establishment	
4	Particulars of the offence:	
5	Provisions of the Code/Scheme/Rules/Regulations under which the offence is committed	
6	Compounding amount required to be paid towards composition of the offence	
7	Name and Details of Account for depositing the Amount specified in Column 6	

PART –II

In view of the above, you have an option to pay the above-mentioned amount within fifteen days from the date of issue of this notice and return the application duly filled in Part – III of this notice.

In case the said amount is not paid within the specified time, necessary action for filing of prosecution shall be initiated without giving any further opportunity in this regard.

(Signature of the Compounding Officer)

Date:

Place:

PART – III

Application under sub-section (4) of section 138 for compounding of offence

Ref: Notice No.....

Date:

The undersigned has deposited the entire amount as specified in Column 6 of Part-I and the details of payment are given below with a request to compound the offences mentioned in Part-I.

1. Details of the compounding amount deposited (Copy of electronically generated receipt to be attached):
2. Details of the prosecution, if filed for the violation of above-mentioned offences may be given:
3. Whether the offence is first offence or the applicant had committed any other offence prior to this offence, if committed, then, full details of the offence:
4. Any other information which the applicant desires to provide:

Signature of the applicant (Name and Designation)

Dated:

Place:

PART – IV

Composition Certificate [See Rule 56 (3)]

Ref: Notice No.....

Date:

This is to certify that the offence under sub-section of section 133 of the Code in respect of which Notice No. Dated: _____ was issued to Sh..... (Applicant), the employer of (name and Registration Number of establishment) has been compounded on account of remission of full amount _____ of Rs (Rupees _____) towards the composition of offences to the satisfaction of the said Notice.

(Signature)

Name and Designation of the Officer

Date:

Place:

अधिसूचना

श्रम एवं सेवायोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन
देहरादून, फरवरी, 2021

संख्या: /श्रम-VIII-अधिसूचना/2021 दिनांक:-

सा.का.नि. 713(अ).-निम्नलिखित प्रारूप नियम, जिन्हें राज्य सरकार सामान्य खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 24 के साथ पठित सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 की 36) की धारा 154, 155 और 158 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा-

- (i) उत्तराखण्ड (उ०प्र० मातृत्व लाभ नियम, 1983) अनुकूलन और उपांतरण आदेश, 2002
- (ii) उत्तराखण्ड (उ०प्र० उपादान संदाय नियम, 1975) अनुकूलन और उपांतरण आदेश, 2002
- (iii) उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक (विनियम) रोजगार की सेवा की शर्तों) नियम, 2005
- (iv) उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर नियम, 1998
- (v) उत्तराखण्ड अंसगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा नियम, 2009

(1)

जिन्हें राज्य सरकार द्वारा मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 (1961 का 53), उपादान संदाय अधिनियम, 1972 (1972 का 39), भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (1996 का 28) और असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 (2008 का 33), जैसा भी मामला हो, के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके बनाया गया था, जिन्हें सामाजिक सुरक्षा संबंधी उक्त संहिता की धारा 164 द्वारा निरस्त किया गया है, का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किए जाने वाले कार्यों को अथवा किए जाने को छोड़कर, बनाने का प्रस्ताव किया जाता है और इन्हें धारा 158 में यथा वांछित प्रावधान के अनुसार इससे प्रभावित होने वाले सभी संभावित व्यक्तियों की सूचना के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है और यह नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर सरकारी राजपत्र जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित हुई है, की प्रतियां प्रकाशित होने की तारीख से इन्हें आम जनता को उपलब्ध कराए जाने के 45 दिनों की अवधि के समाप्त होने के बाद विचार किया जाएगा।

यदि कोई आपत्तियां और सुझाव हों, तो उन्हें श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को या ई-मेल -----पर भेजा जा सकता है। आपत्तियों और सुझावों को प्रोफॉर्मा में भेजा जाना चाहिए जिसके कॉलम (1) में व्यक्ति /संगठन का नाम और पता और कॉल (2) में अध्याय तथा संशोधित किए जाने हेतु प्रस्तावित नियम अथवा उप-नियम और कॉलम (3) में प्रतिस्थापित किए जाने हेतु प्रस्तावित संशोधित नियम अथवा उप नियम और कॉलम (4) में उसके कारणों को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

उक्त मसौदा अधिसूचना के संबंध में किसी भी व्यक्ति से निर्धारित समाप्ति अवधि से पहले प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त शीर्षक, सीमा और प्रारंभ।—(1)** इन नियमों को उत्तराखण्ड सामाजिक सुरक्षा संहिता (राज्य) नियम, 2020 कहा जाए।
 - (2) ये नियम पूरे उत्तराखण्ड में लागू होंगे।
 - (3) ये नियम सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) के प्रारंभ होने की तारीख से सरकारी राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख के बाद लागू होंगे।
2. **परिभाषाएँ—(1)** इन नियमों में, जब तक कि अन्यथा किसी विषय या संदर्भ की आवश्यकता न हो, —
 - (क) “एजेंसी” का अर्थ किसी भी निगम, निकाय या संस्था से है। जिसे संसद के किसी अधिनियम के अंतर्गत या राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या विशेष प्रयोजन साधन के रूप में स्थापित किया गया है।
 - (ख) “अपील” का अर्थ धारा 23 की उपधारा (1) के तहत की गई अपील है,
 - (ग) “अपीलीय प्राधिकारी” का अर्थ है राज्य सरकार या धारा 56 के उप-धारा (8) के तहत राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी या संहिता के धारा 105 के प्रयोजनों के लिए मूल्यांकन अधिकारी के पद पर वरिष्ठ, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी, जैसा भी मामला हो,

- (घ) "मूल्यांकन करने वाले अधिकारी" का अर्थ है राज्य सरकार का कोई राजपत्रित अधिकारी या स्थानीय प्राधिकरण का कोई अधिकारी जो राज्यसरकार के राजपत्रित अधिकारी के समतुल्य हो जिसे ऐसी राज्य सरकार द्वारा संहिता के तहत उपकर के मूल्यांकन के लिए नियुक्त किया गया है,
- (ङ) "प्राधिकारी" का अर्थ है राज्य सरकार या धारा 72 के उप-धारा (3) के तहत राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी,
- (च) एक कर्मचारी के संबंध में संहिता के अध्याय IV के तहत "अंशदान अवधि के दौरान औसत दैनिक मजदूरी" का तात्पर्य उस अवधि के दौरान उस दिन के लिए विभाजित मजदूरी की कुल राशि से है जिसके लिए ऐसी मजदूरी देय थी,
- (छ) संहिता के अध्याय IV के तहत "एक मजदूरी अवधि के दौरान औसत दैनिक मजदूरी" का तात्पर्य है –
- (i) किसी कर्मचारी के संबंध में जो समय-दर के आधार पर नियुक्त किया जाता है, के मामले में मजदूरी की वह राशि जो उसे पूरी मजदूरी अवधि के लिए देय थी यदि उसने उस वेतन अवधि में सभी कार्य दिवसों पर काम किया होता, जिसे 26 से विभाजित किया गया हो, यदि उसकी पाक्षिक आधार पर दर निर्धारित की जाती है तो 13 से विभाजित हो और यदि उसे साप्ताहिक रूप से निर्धारित किया जाता है तो 6 से विभाजित हो और यदि उसका दैनिक आधार पर निर्धारण किया जाता है तो 1 से विभाजित हो।
- (ii) किसी अन्य आधार पर कार्यरत कर्मचारी के संबंध में, अंशदान अवधि में पूर्ण वेतन अवधि के दौरान अर्जित मजदूरी की राशि जिसे पूर्ण या भाग में दिनों की संख्या से विभाजित किया गया है, जिसके लिए उसने उस मजदूरी अवधि में मजदूरी के लिए काम किया है:
- बर्षों कि किसी कर्मचारी को ऐसी मजदूरी अवधि के दौरान किसी भी दिन काम किए बिना मजदूरी मिलती है, तो उसे 16, 13, 6 या 1 दिन या दिन के लिए काम करने के लिए माना जाएगा यदि मजदूरी की अवधि क्रमशः एक महीने, एक पखवाड़े, एक सप्ताह या एक दिन हो।
- स्पष्टीकरण – जहां कोई भी रात्रि पारी आधी रात से पहले जारी रहती है, आधी रात के बाद की रात्रि पारी की अवधि को उस दिन की गणना के लिए गिना जाएगा, जो पहले के दिन के हिस्से के रूप में काम करता था:
- (ज) "लाभ की अवधि" का अर्थ है योगदान अवधि के अनुरूप लगातार छह महीने से अधिक न होने की अवधि, जैसा कि विनियमों में निर्दिष्ट किया जा सकता है,

- (झ) "उपकर कलेक्टर" का अर्थ है संहिता के तहत उपकर संग्रह के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक अधिकारी,
- (ञ) "अध्यक्ष" का मतलब निगम के अध्यक्ष, केंद्रीय बोर्ड, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड, राज्य असंगठित कामगार बोर्ड, स्थायी समिति, चिकित्सा लाभ समिति या कार्यकारी समिति, जैसा भी मामला हो,
- (ट) "चार्टर्ड इंजीनियर" का अर्थ है एक व्यक्ति जिसके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है और इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया की कॉर्पोरेट सदस्यता है,
- (ठ) "कोड" का अर्थ है सामाजिक सुरक्षा पर कोड, 2020 (2020 का 36),
- (ड) "योगदान अवधि" का अर्थ है कि लगातार छह महीने से अधिक की अवधि, जैसा कि विनियमों में निर्दिष्ट किया जा सकता है,
- (ण) "इलेक्ट्रॉनिक रूप से" कोड के उद्देश्य के लिए किसी भी मोड में ईमेल द्वारा प्रस्तुत या निर्दिष्ट पोर्टल पर अपलोड करने या किसी भी मोड में डिजिटल भुगतान का मतलब है,
- (य) "फॉर्म" का अर्थ है कि इन नियमों से जुड़ा एक रूप,
- (र) "फंड" या अर्थ है कर्मचारी राज्य बीमा कोष, कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी पेंशन कोष, कर्मचारी जमा-लिंकड बीमा कोष या सामाजिक सुरक्षा कोष, जैसा भी मामला हो,

- (व) "अचल संपत्ति" में भूमि शामिल है, भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ, पृथ्वी से जुड़ी चीजें या स्थायी रूप से पृथ्वी से जुड़ी किसी भी चीज के लिए,
- (श) "चल संपत्ति" का अर्थ है अचल संपत्ति को छोड़कर हर विवरण की संपत्ति,
- (स) "नोडल ऑफिसर" का अर्थ है उत्तराखण्ड भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड या राज्य सरकार द्वारा नामित व्यक्ति, जो माइग्रेषन प्रमाण पत्र का पंजीकरण, नवीकरण और जारी करने की सुविधा के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा या निजी रूप से काम करने वाले भवन निर्माण श्रमिकों के किसी भी अन्य कार्य के लिए है। सेक्टर, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और केंद्र और राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के सार्वजनिक उपक्रम। नोडल अधिकारी उपयुक्त सरकार द्वारा नामित लाभार्थी पंजीकरण अधिकारियों के कार्यों की देखरेख और निगरानी भी करेगा,
- (ह) "नामांकन" का अर्थ है कोड की धारा 55 के तहत किया गया नामांकन,
- (त्र) "पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी" का अर्थ है एक चिकित्सा व्यवसायी, जिसका नाम किसी भी कानून के तहत बनाए गए रजिस्टर में दर्ज किया गया है, जो दवा के चिकित्सकों के पंजीकरण को नियंत्रित करने के लिए लागू होता है,
- (त्र क) "महिला कर्मचारियों का रजिस्टर" का अर्थ है नियम – के तहत बनाए गए महिला कर्मचारियों का एक रजिस्टर,
- (त्र ख) "अनुसूची" का अर्थ है संहिता की अनुसूची,
- (त्र ग) "धारा" का अर्थ कोड का एक भाग है,
- (त्र घ) 'पोर्टल' का अर्थ है इलैक्ट्रॉनिक्स एवं वेब सेवा उत्तराखण्ड या राज्य सरकार द्वारा विनियमित सेवा।
- (त्र ङ) "निर्दिष्ट" से अभिप्राय केन्द्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार अथवा ऐसी सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के आदेश द्वारा निर्दिष्ट से है।
- (त्र च) "मानक लाभ दर" का अर्थ है कि उन दिनों की कुल संख्या द्वारा योगदान अवधि के दौरान भुगतान की गई कुल मजदूरी को विभाजित करके प्राप्त औसत दैनिक मजदूरी, जिसके लिए इन मजदूरी का भुगतान किया गया था,
- (त्र छ) "टर्नओवर" का मतलब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के तहत उप-धारा (91) के तहत एक एग्रीगेटर का कारोबार है, जिसका अर्थ बिक्री, आपूर्ति, या वित्तीय वर्ष के दौरान किसी कंपनी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं, या दोनों के आधार पर लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त राजस्व की सकल राशि है।
- (त्र ज) "वर्ष" अर्थ वित्तीय वर्ष होगा, जो कि एक अप्रैल से शुरू होता है और अगले वर्ष के इक्कीस मार्च को समाप्त होता है।
- (2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्द और भाव जो इसमें परिभाषित नहीं हैं, लेकिन इसमें परिभाषित हैं कोड, कोड में निर्धारित किए गए रूप में उनके संबंधित अर्थ होगा।

ग. राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड

9. उप-धारा (1) के तहत राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड द्वारा शक्तियों और कार्यों के निष्पादन की प्रणाली, सदस्यों के नामांकन का तरीका, उनके कार्यकाल की अवधि और सेवा की अन्य शर्तें, उनके निर्वहन में पालन की जाने वाली प्रक्रिया उप-धारा (4) के तहत रिक्तियों को भरने के कार्य और तरीके, उप-धारा (6) की उप-धारा 6 (1) के तहत कार्य संचालन से संबंधित प्रक्रिया के नियम और असंगठित कर्मियों के राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन—(क) धारा-6 के तहत गठित बोर्ड को "असंगठित" श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड कहा जाएगा।

(ख) पदेन सदस्य के अलावा एक सदस्य अपने नामांकन की तारीख से तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पद पर रहेगा।

बशर्ते कि कोई सदस्य कुल दो कार्यकाल से अधिक समय के लिए पद पर नहीं रहेगा।

(ग) राज्य सरकार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और नियोक्ताओं के संघों के प्रतिनिधियों के बीच, असंगठित श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में, उप-खंड (i) और (ii) की श्रेणी में नामांकन ले सकती है। धारा 6 के उप-धारा (2) के खंड (ग) में इन तरह से जैसा कि सरकार द्वारा तय किया गया है।

(घ) धारा 6 की उपधारा (2) के उपखंड (iii) के उपखंड (iii) के तहत राज्य सरकार श्रम कल्याण प्रबंधन, वित्त, कानून और प्रशासन के क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से सात व्यक्तियों को नामित करेगी।

(ड) राज्य सरकार लोक सभा के अध्यक्ष से दो लोक सभा सदस्यों और राज्य सभा के सभापति से एक सदस्य को जैसा मामला हो धारा 6 की उप-धारा के खंड (ग) के उपखंड (iv) के तहत नामांकित करने का अनुरोध करेगी।

(च) राज्य सरकार, धारा 6 की उप-धारा (2) के उपखंड (ग) के उपखंड (V) के तहत राज्य सरकार के मंत्रालयों/ विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले दस सदस्यों को नामित करेगी जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण से संबंधित मामलों से जुड़े हैं।

(छ) राज्य सरकार धारा 6 के उप-खंड (2) के उपखंड (ग) के उपखंड (VI) के तहत राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले पाँच सदस्यों और धारा 6 की उप-धारा (vi) के खंड (ग) के उप-खंड (2) के तहत एक सदस्य को रोटेशन के आधार पर ऐसी प्रणाली में जिसे सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए, नामित करेगी।

(ज) धारा 6 के उप-धारा (2) के खंड (ग) के उपखंड (i), (ii) और (iii) के तहत नामित सदस्य, बोर्ड का सदस्य नहीं रहेगा यदि वह उस श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो लाभ की श्रेणी है।

बशर्ते कि उपखंड (i) के तहत नामित सात व्यक्तियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों और महिलाओं में से एक-एक सदस्य का प्रतिनिधित्व होगा।

(झ) धारा 6 की उप-धारा (2) के खंड (ग) के उप-खंड (iv) के तहत नामित एक सदस्य बोर्ड का सदस्य नहीं रहेगा यदि वह संसद का सदस्य नहीं रहता है।

(ञ) किसी व्यक्ति को बोर्ड के सदस्य के रूप में नहीं चुना जाएगा या जारी रखा जाएगा यदि ऐसा व्यक्ति धारा 8 के किसी प्रावधान (प्रावधानों) में शामिल है।

(2) गिग वर्कर्स और प्लेटफार्म वर्कर्स के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन— (क) संहिता की धारा (6) जो संहिता की धारा 114 की उप-धारा 6 के साथ पठित है, के अंतर्गत गठित बोर्ड को गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड कहा जाएगा।

(ख) पदेन सदस्य को छोड़कर कोई सदस्य अपने नामांकन की तारीख से तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पद पर नहीं रहेगा।

(ग) एक सदस्य पुनः नामांकन के लिए पात्र होगा।

(घ) राज्य सरकार धारा 114 की उपधारा (6) के खंड (क) के तहत पाँच सदस्यों को सातवीं अनुसूची में उल्लिखित कुछ संयोजकों में से रोटेशन के आधार पर एग्रीग्रेटर्स के प्रतिनिधित्व के रूप में नामांकित करेगी।

(ड) राज्य सरकार विभिन्न प्रकार के टमटम श्रमिकों और प्लेटफॉर्म श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, रोटेशन के आधार पर, गिग वर्कर्स और प्लेटफार्म वर्कर्स के बीच रोटेशन 114 के उप धारा (6) के क्लौज (ख) के तहत पाँच सदस्यों को नामित करेगी।

(च) संहिता की धारा 114 की उपधारा (6) के क्लौज (ड) के तहत, राज्य सरकार श्रम कल्याण प्रबंधन, वित्त, कानून, प्रशासन, ई-कॉमर्स या सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से पाँच सदस्यों को विशेषज्ञों के रूप में नामित कर सकती है।

(छ) असंगठित श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के कार्यों के तरीके और निर्वहन के नियम, गिग श्रमिकों और प्लेटफार्म श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड पर भी लागू होंगे, सिवाय इसके कि किसी भी बैठक में व्यापार के लेनदेन के लिए कोरम गिग और प्लेटफार्म वर्कर्स के लिए बोर्ड छह सदस्य होंगे।

(ज) गिग वर्कर्स और प्लेटफार्म वर्कर्स के लिए नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड, गिग वर्कर्स और प्लेटफार्म वर्कर्स कि संख्या आकलन करने, नए प्रकार के एग्रीग्रेटर्स की पहचान करने या गिग कामगारों और प्लेटफार्म श्रमिकों से संबंधित किसी अन्य मामले से संबंधित मामलों पर सलाह देने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन कर सकता है।

(3) **राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के शक्तियों के उपयोग और कार्य निष्पादन की प्रणाली**— (क) बोर्ड धारा-6 की उप-धारा (7) के तहत, इसके कार्यों को सौंपे जाने के लिए एक समिति का गठन ऐसी समिति को सौंपे गए विषिष्ट मुद्दे पर विचार-विमर्श करने और सिफारिश करने के लिए कर सकता है।

(2) ऐसी समिति, (यों) द्वारा जिन विषयों पर इस समिति द्वारा विचार-विमर्श किया जा सकता है से संबंधित विशेषज्ञों को सह-योजित किया जा सकता है, जो बोर्ड या बोर्ड के बाहर के सदस्य, जैसा कि मामला हो सकते हैं

(4) **बोर्ड का पुनर्गठन**— (क) राज्य सरकार बोर्ड के कार्यकाल कि समाप्ती के छह महीने से पहले राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू करेगी।

(ख) यदि बोर्ड का कार्यकाल पूरा होने के बाद नए बोर्ड का पुनः गठन नहीं किया जाता है, तो बोर्ड की छुट्टी और कार्य के लिए ऐसी व्यवस्था की जा सकती है जैसा कि राज्य सरकार द्वारा एक अधिसूचना के माध्यम से नए बोर्ड के गठन तक तय किया जा सकता है।

(ग) ऐसी व्यवस्था के परिणामस्वरूप, सभी कार्यवाहियों पर उसी तरह का प्रभाव पड़ेगा जैसा कि बोर्ड द्वारा किया गया है।

(5) **त्यागपत्र**—(क) बोर्ड का सदस्य, पदेन सदस्य नहीं होने के कारण केंद्र सरकार को संबोधित एक पत्र द्वारा इस्तीफा दे सकता है।

(ख) ऐसे सदस्य की सीट उस तारीख से खाली हो जाएगी जिस दिन उसका इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाता है या त्यागपत्र की प्राप्ति की तारीख से तीस दोनों की समाप्ती पर जो भी पहले हो।

(ग) किसी सदस्य के इस्तीफे को स्वीकार करने की शक्ति केन्द्र सरकार के पास होगी।

(6) पते का परिवर्तन—यदि कोई सदस्य अपना पता बदलता है, तो वह बोर्ड के सदस्य-सचिव को अपना नया पता बताएगा, जो आधिकारिक रेकॉर्ड में अपना नया पता दर्ज करेगा।

बशर्ते कि यदि कोई सदस्य अपने नये पते को सूचित करने में विफल रहता है तो सभी उद्देश्यों के लिए आधिकारिक रेकॉर्ड में दिये गये पते को सदस्य का सही पता माना जाएगा।

(7) **रिक्त पदों को भरने का तरीका**— जब बोर्ड की सदस्यता में कोई रिक्ति आती है या होने की संभावना होती है, तो बोर्ड के सदस्य सचिव राज्य सरकार को एक रिपोर्ट जमा देंगे और इस तरह की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी व्यक्ति को ऊपर नियम 9 के उप-नियम (1) और (2) के तहत निर्धारित तरीके से रिक्त स्थान को भरने के लिए नामित करेंगे, और नामित व्यक्ति उस सदस्य के कार्यकाल के शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा, जिनके जगह पर वह नामित होगा।

(8) **असंगठित श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के सदस्य को हटाने की प्रक्रिया**—(क) धारा 8 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) और (ग) के तहत कार्यवाही की पेंडेंसी के दौरान, असंगठित श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के एक सदस्य को हटाने के लिए, ऐसा सदस्य को बोर्ड की बैठक (बैठक) से अलग रखा जाएगा।

(ख) इस धारा के तहत किसी सदस्य के पदार्पण, अयोग्यता और निष्कासन पर राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

10 धारा 7 की उपधारा (6) के खंड (ग) के तहत लाभार्थियों की समूह बीमा योजना, खंड (घ) के तहत लाभार्थियों के बच्चों के लाभ के लिए शैक्षिक योजनाएं और खंड (ड) के तहत लाभार्थी की प्रमुख बीमारियों के उपचार के लिए चिकित्सा व्यय या इस तरह के आश्रित के लिए प्रीमियम के संबंध में राशि— कोड की धारा 7 की उप-धारा (6) में उल्लिखित कल्याणकारी योजनाओं के बावजूद, राज्य भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड श्रमिकों के लिए निम्नलिखित योजनाएं बना सकती हैं, जो राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट की गई हैं:—

(i) लाभार्थियों की समूह बीमा योजना के लिए प्रीमियम के संबंध में ऐसी राशि का भुगतान करना:

(ii) लाभार्थियों के बच्चों के लाभ के शैक्षिक योजनाओं को तैयार: तथा

(iii) किसी लाभार्थी या उनके आश्रित की प्रमुख बीमारियों के उपचार के लिए इस तरह के चिकित्सा व्यय को प्रदान

करना।

11. धारा 7 की उपधारा (6) के खंड (अ) के तहत अन्य कल्याणकारी उपाय और सुविधाएं—यदि राज्य सरकार की राय में, यह स्थापित किया गया है कि भवन निर्माण श्रमिकों की भलाई में सुधार के लिए, यह आवश्यक है किसी राज्य (यों) में एक नई कल्याणकारी योजना या योजनाएं बनाने के लिए, राज्य सरकार समय-समय पर उस सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसी योजनाएं बना सकती है। यदि राज्य सरकार की राय में, यह स्थापित किया गया है कि भवन निर्माण श्रमिकों की भलाई में सुधार के लिए, राज्य में नई कल्याण योजना (योजनाएं) तैयार करना आवश्यक है तो, उस सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए अनुसार राज्य सरकार इस तरह की योजना तैयार कर सकती है।

(घ) सामान्य

12. ऐसे अंतराल जिन पर सामाजिक सुरक्षा संगठन या किसी भी समिति की बैठक होगी और उप-धारा (1) के तहत बैठकों में व्यापार के लेन-देन के संबंध में प्रक्रिया, और उस के तहत ऐसे सामाजिक सुरक्षा संगठन या समिति के सदस्यों के शुल्क और भत्ते-सेक्शन 9-(1) मीटिंग्स।-धारा 9 के उप-धारा (4) के तहत अंतराल जिन पर सामाजिक सुरक्षा संगठन या किसी भी समिति की बैठक होगी और उप-धारा (1) के तहत बैठकों में व्यापार के लेन-देन के संबंध में प्रक्रिया और उप-धारा के तहत ऐसे सामाजिक सुरक्षा संगठन या समिति के सदस्यों के शुल्क और भत्ते (1) बैठकें-

प्रतिनिधित्व करता है, तो वह उसके द्वारा हस्ताक्षरित एक लिखित पत्र द्वारा, संबन्धित निकाय के अध्यक्ष को संबोधित करते हुए और बैठक में भाग लेने में असमर्थता के कारणों की व्याख्या करते हुए, केन्द्रीय बोर्ड या नियम की उस बैठक में भाग लेने के लिए उसके विकल्प के रूप में संगठन के किसी भी प्रतिनिधि को नियुक्त करने का अनुरोध करता है,

बशर्ते कि कोई भी नियुक्ति तब तक मान्य नहीं होगी जब तक कि-

- i) ऐसी नियुक्ति को संबन्धित निकाय के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया गया हो, तथा
- ii) इस तरह की नियुक्ति करने वाले आवेदन बैठक के लिए तय की गई तारीख से पहले संबन्धित निकाय के अध्यक्ष द्वारा प्राप्त किये गये हैं।

ख) खंड (क) के तहत वैद्य रूप से नियुक्त एक विकल्प के पास ट्रस्टी या सदस्य के सभी अधिकार और शक्तियां होगी, जैसा कि संबन्धित निकाय की बैठक के संबंध में हो सकता है, जिसके बदले में वह नियुक्त है और भत्ते प्राप्त करेगा, और वह उन दायित्वों के तहत होगा जैसे कि वह एक ट्रस्टी या सदस्य कोड के तहत नियुक्त हो।

ग) एक ट्रस्टी या सदस्य, जो केन्द्रीय बोर्ड या निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड कि किसी भी बैठक में भाग लेने के लिये कोई विकल्प नियुक्त करता है और इस नियम में निहित किसी भी विषय के बावजूद, गलत उपयोग या गलत व्यवहार के लिये उत्तरदायी होता है। स्थानापत्र द्वारा निधि एवं उसके द्वारा नियुक्त स्थानापत्र द्वारा निधि के संबंध में किये गये किसी भी अविश्वास या गैर-व्यवहार के लिए उत्तरदायी होगा।

(6) **विषय का निपटान:-**केन्द्रीय बोर्ड या निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या उसके किसी भी समिति की बैठक में विचार किये जाने वाले प्रत्येक प्रश्न पर ट्रस्टियों या संबन्धित निकाय के सदस्यों के बहुमत और वर्तमान वॉटिंग द्वारा निर्णय लिया जायेगा। मतों की सामानता की स्थिति में अध्यक्ष एक अतिरिक्त वोट देगा। बशर्ते के अध्यक्ष उचित समझे तो यह निर्देश दे सकता है कि ट्रस्टी या केन्द्रीय बोर्ड या निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या किसी समिति के सदस्यों को आवश्यक कागजात जारी करके किसी प्रश्न पर लिखित रूप से उनकी राय हासिल करेगा। इस तरह के किसी भी प्रश्नों पर फ़ैसला ट्रस्टी के बहुमत या सदस्यों का समय सीमा के भीतर प्राप्त राय के अनुसार किया जायेगा और राय यदि समान रूप से विभाजित है, तो अध्यक्ष की राय मान्य होगी।

आगे कहा गया है कि केन्द्रीय बोर्ड या निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या उसके किसी भी समिति के किसी ट्रस्टी या सदस्य अनुरोध कर सकता है कि ट्रस्टी या संबन्धित निकाय के सदस्यों को संदर्भित प्रश्न जैसा भी हो, बैठक में लिखित राय लेकर विचार किया जाना चाहिये और यदि अनुरोध कम से कम तीन ट्रस्टियों या संबन्धित निकाय के सदस्यों द्वारा किया जाता है, तो केन्द्रीय बोर्ड या निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या उसके किसी भी समिति के अध्यक्ष, यह निर्देश देगा कि ऐसा माना जायें

(7) बैठकों का कार्यवृत्त:-

(क) प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्तों में वहा उपस्थित सदस्यों के नाम को दिखाते हुये, प्रत्येक ट्रस्टी या राज्य बोर्ड या निगम या राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के सदस्य या समिति को केंद्र सरकार को जितनी जल्दी हो सके और किसी भी मामले में बैठक के समाप्ती बाद चार सप्ताह से अधिक समय बाद नहीं, अग्रेषित किया जाय।

(ख) राज्य बोर्ड और कार्यकारी समिति की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त के रिकार्ड पर अध्यक्ष के अनुमोदन के साथ केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे।

(ग) बैठक के कार्यवृत्तों की पृष्ठि अगली बैठक में आवश्यक संशोधनों के साथ की जायेगी।

(घ) राज्य बोर्ड या निगम या राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या इसके बाद की किसी भी बैठक के कार्यवृत्तों को अलग पुस्तकों में रखा जायेगा (बाद में मिनट - बुक्स (कार्यवृत्त पुस्तकों) के रूप में संदर्भित और उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे, जिस पर कार्यवाही की पृष्ठि की जाती हैं।

(ङ) इस तरह की पृष्ठि होने की तारीख से पन्द्रह दिनों के भीतर पृष्ठि की गई कार्यवृत्तों की एक प्रति राज्य सरकार को भेज दी जायेगी।

(च) मिनट बुक्स को किसी भी संबन्धित सदस्य द्वारा निशुल्क निरीक्षण के लिए कार्य दिवसों पर राज्य बोर्ड या निगम या राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के मुख्य कार्यालय में खुले रखा जायेगा।

(8) शुल्क और भत्ते:-

(क) राज्य बोर्ड या निगम या सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या उसके किसी भी गैर सरकारी ट्रस्टी या सदस्य, जैसा भी मामला हो, को पे मैट्रिक्स लेवल 12 में पदस्थ राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए स्वीकार्य दरों पर उन बैठकों में भाग लेने के लिए यात्रा और दैनिक भत्ते की अनुमति दी जायेगी।

(ख) ऐसे ट्रस्टी या सदस्य, जो संसद सदस्य या राज्य विधानमंडलके सदस्य हैं उन्हें संसद अधिनियम 1954(30) के वेतन भत्ते और पेन्शन के प्रावधानों के अनुसार यात्रा भत्ता दैनिक भत्ता का भुगतान किया जायेगा। 1954 का (30) या संबन्धित राज्य विधानमंडल के सदस्यों से संबन्धित कानून से संबन्धित प्रावधान, जैसा भी मामला हो:

बशर्ते कि जब किसी मंत्री को राज्य बोर्ड या निगम या सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के अध्यक्ष या ट्रस्टी के रूप में नियुक्त किया जाता है और उसके बाद वे समिति की बैठक में भग लेती है, उसकी यात्रा और दैनिक भत्ता अधिकाधिक तौर पर यात्रा के लिए उसके लिए लागू नियमों द्वारा नियंत्रित किया जायेगा और इसका भुगतान उनके वेतन भुगतान प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा।

(ग) किसी भी दैनिक यात्रा के संबंध में जैसा भी मामला हो, किसी भी ट्रस्टी या राज्य बोर्ड या निगम या राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के सदस्य या किसी समिति द्वारा दैनिक या यात्रा भत्ता का दावा नहीं किया जायेगा अगर उन्होंने अपने नियोक्ता से या समिति के सदस्य या किसी विधानमंडल या समिति या सम्मेलन के सदस्य के रूप में सरकार द्वारा गठित या बुलाई गई भत्तों को प्राप्त किया हो या यदि सरकार या अपने नियोक्ता के खर्च पर परिवहन के साधनों का उपयोग करता है तो किसी यात्रा भत्ते का दावा नहीं किया जायेगा।

(घ) राज्य बोर्ड या निगम या सामाजिक सुरक्षा बोर्ड द्वारा गठित किसी भी उप समिति की बैठक के संबंध में दैनिक और यात्रा भत्ता भी देय होगा।

(ङ) राज्य बोर्ड या निगम या सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या उसके बाद की किसी भी समिति या राज्य बोर्ड या निगम या राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या किसी समिति द्वारा गठित उप समिति की बैठक में भाग लेने के लिए, एक अधिकारिक ट्रस्टी या राज्य सरकार के सदस्य अपने विभाग से अपने यात्रा भत्ते को राज्य सरकार के नियमों के तहत स्वीकार्य पैमाने पर और आहरित राशि प्राप्त करेगा। उक्त प्राप्त राशि राज्य सरकार द्वारा की जा रही मांग पर राज्य बोर्ड या निगम या राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या समिति द्वारा प्रतिपूर्ति की जायेगी।

(च) भत्ते का दावा अंतिम तिथि से पहले किसी गैर सरकारी सदस्य को नहीं किया जायेगा।

प्रस्थान एवं आगमन दोनों के लिए यात्रा भत्ता यात्रा भत्ता बिल में शामिल किया जायेगा और यात्रा पूरी होने की तारीख के बावजूद भुगतान को अंतिम रूप दिया जायेगा।

07-धारा 11 की उपधारा (2) के तहत संहिता के संगत प्रावधानों के प्रशासन के प्रयोजनार्थ वैकल्पिक व्यवस्था करने तथा निगम अथवा राज्य बोर्ड अथवा राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या राज्य अंसगठित कामगार बोर्ड या बिल्लिंग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड या उप धारा (1) के तहत किसी भी समिति के पुनर्गठन की प्राणाली-संहिता की धारा 11 के प्रावधानों के तहत-जब राज्य बोर्ड या निगम या राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या राज्य अंसगठित कामगार बोर्ड या भवन श्रमिक कल्याण बोर्ड को हटा दिया जाता हो, राज्य सरकार या राज्य सरकार जैसा भी मामला हो,

(क) धारा 4,5,6 और 7 के अनुसार जैसा कि मामला हो, राज्य बोर्ड या निगम या राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या राज्य अंसगठित कामगार बोर्ड या बिल्लिंग वर्कर्स कल्याण बोर्ड में नये ट्रस्टी या सदस्य नियुक्त हों या चुने जाने का कारण,।

(ख) अपने विवेक से, ऐसी अवधि के लिए ऐसी व्यवस्था करें जैसा कि वह उचित समझें, राज्य बोर्ड या निगम या राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या राज्य अंसगठित श्रमिक बोर्ड या भवन निर्माण कल्याण बोर्ड के शक्तियों का प्रयोग करने और कार्य करने के लिए।

(क) राज्य बोर्ड या निगम या राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या इसके बाद की कोई भी समिति उप-नियम के अधीन होगी

(२) ऐसी जगह और समय पर बैठक होगी जो अध्यक्ष द्वारा तय की जा सकती है। उप-नियम (२) के अधीन केंद्रीय बोर्ड या निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या अन्य समिति अध्यक्ष द्वारा तय की गई स्थान या समय पर बैठक करेगी।

(ख) केंद्रीय बोर्ड या निगम वर्ष में कम से कम दो बार मिलेंगे।

(ग) केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारी समिति और निगम की स्थायी समिति की बैठक वर्ष में कम से कम चार बार होगी। निगम की चिकित्सा लाभ समिति प्रत्येक वर्ष कम से कम दो बार बैठक करेगी।

(घ) राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड वर्ष में कम से कम तीन बार मुलाकात करेगी।

(ङ) केंद्रीय बोर्ड या निगम या उसके पास की समिति का अध्यक्ष जब भी यह उचित समझेगा, और किसी विशेष विषय के लिए संबन्धित समिति के कम में कम आधे सदस्यों से लिखित रूप में प्राप्त मांग प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर बैठक बुला सकता है। इस तरह की मांग की प्रस्तावित बैठक का उद्देश्य कहा जाएगा।

(2) बैठक की सूचना और विषय-

(क) केंद्रीय बोर्ड या निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या किसी भी समिति की प्रत्येक साधारण बैठक की तिथि और स्थान को जारी करने की तिथि से कम से कम पंद्रह दिनों के बाद, प्रस्तावित विषय सूची के साथ चेयरपर्सन द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद ई-मेल या पंजीकृत डाक के माध्यम से या विशेष दूत द्वारा केंद्रीय न्यासी या निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या उसके किसी सदस्य जैसा कि मामला हो, को भेजेगा। एजेंडा के प्रत्येक मद पर एक संक्षिप्त नोट एजेंडा के साथ जल्द से जल्द भेजेगा।

(ख) जब अध्यक्ष किसी भी मामले पर विचार करने के लिए केंद्रीय बोर्ड या निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या किसी समिति की आपात बैठक बुलाता है, जो कि उसकी में जरूरी है, तो एक नोटिस जो इस तरह के उचित समय देने वाले नोटिस आवश्यक माना जा सकता है, को पर्याप्त माना जाएगा।

(ग) वे विषय जिसके लिए केंद्रीय बोर्ड या निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या किसी समिति की बैठक बुलाई गई है, वे अलावा अन्य विषय पर बैठक के अध्यक्ष की अनुमति के अलावा बैठक में विचारा नहीं किया जाएगा।

(3) बैठकों में अध्यक्षता करने के लिए:— अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में केंद्रीय बोर्ड या निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के उपाध्यक्ष, जैसा भी मामला हो, बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति की स्थिति में, बैठक की अध्यक्षता ऐसे ट्रस्टी या सदस्य द्वारा की जाएगी, जिसे अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है।

(4) कोरम:— केंद्रीय बोर्ड या निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या उसके किसी भी समिति की बैठक में कोई भी विचार तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि इसके उपर्युक्त कोरम न हो:

(क) केंद्रीय बोर्ड के मामले में ग्यारह ट्रस्टी और कार्यकारी समिति के मामले में चार सदस्य: या

(ख) निगम के मामले में पंद्रह सदस्य, स्थायी समिति के मामले में पांच सदस्य और चिकित्सा लाभ समिति के मामले में सात सदस्य; या

(ग) असंगठित कर्मियों के राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के मामले में 10 सदस्य और गिग वर्कर्स और प्लेटफार्म वर्कर्स के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के मामले में 6 सदस्य उपस्थित हों :

बशर्ते कि अगर किसी भी बैठक में कोरम बनाने के लिए पर्याप्त संख्या में ट्रस्टी या सदस्य मौजूद नहीं हैं, जैसा कि मामला हो सकता है, बैठक के अध्यक्ष बैठक को एक घंटे के लिए स्थगित कर देंगे और यह ट्रस्टियों या सदस्यों की संख्या के बावजूद इस तरह की स्थगित बैठक का आयोजन कानूनन वैध होगा।

(5) ट्रस्टी या सदस्य की अनुपस्थिति के दौरान विकल्प का नामांकन:—(क) यदि कोई ट्रस्टी या सदस्य राज्य बोर्ड या निगम या राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या उसके किसी समिति की बैठक में भाग लेने में असमर्थ है, जिस राज्य बोर्ड या निगम या राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या उसके बाद किसी समिति का

अध्याय V

उपादान

33. बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान जिसमें धारा 53 की उप-धारा (1) के तहत तीसरे प्रावधान के तहत नाबालिग के लाभ के लिए ग्रेच्युटी का निवेश किया जाएगा। नॉमिनी या वारिस के मामले में, जो नाबालिग है, सक्षम प्राधिकारी भारतीय स्टेट बैंक या नेशनल बैंक के साथ सावधि जमा में ऐसे नाबालिग के लाभ के लिए उसके साथ जमा क गई ग्रेच्युटी राशि का निवेश करेगा।

स्पष्टीकरण—“राष्ट्रीयकृत बैंक” का अर्थ है बैंकिंग कंपनियों की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट एक नया बैंक (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) या बैंकिंग कंपनियों की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट एक नया बैंक। (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम 1980 (1980 का 40)।

34. उप-धारा (1) के तहत एक कर्मचारी द्वारा नामांकन का समय, फॉर्म और तरीके (उप-धारा (4) के तहत नया नामांकन करने का समय, उप-धारा (5) के तहत नामांकन के संशोधन का रूप और तरीका) और धारा 55 की उप-धारा (6) के तहत नए नामांकन के लिए फॉर्म। नामांकन—(1) एक नामांकन फॉर्म—III में होगा और कर्मचारी द्वारा डुप्लीकेट या तो व्याक्तिगत सेवा में, उचित रसीद लेने के बाद या नियोक्ता को नियत या इलेक्ट्रॉनिक रूप से या पंजीकृत डाक पावती द्वारा प्रस्तुत करेगा।

(i) ऐसे कर्मचारी के मामले में, जो इन नियमों के प्रारंभ होने की तिथि पर एक वर्ष या उससे अधिक के लिए पहले से ही नियोजित है, लेकिन ऐसी तिथि से नब्बे दिनों के भीतर, आमतौर पर, नामांकन प्रस्तुत नहीं किया जाता है; तथा

(ii) एक कर्मचारी के मामले में, जो इन नियमों के शुरू होने की तारीख के बाद सेवा का एक वर्ष पूरा करता है, जो समातान्यतया सेवा के एक वर्ष पूरा होने के तीस दिनों के भीतर होता है:

बशर्ते कि प्रपत्र-III में नामांकन निर्दिष्ट अवधि के बाद नियोक्ता द्वारा स्वीकार किया जाएगा, अगर दायर किया गया है और कोई नामांकन स्वीकार नहीं किया गया है तो यह केवल इसलिए, अमान्य होगा क्योंकि यह निर्दिष्ट अवधि के बाद दाय किया गया।

- (2) उप-नियम (1) के तहत फॉर्म-III में नामांकन क प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर, नियोक्ता के कर्मचारी के सेवा विवरण प्राप्त होंगे, जैसा कि नामांकन के रूप में उल्लेख किया गया है, को प्रतिष्ठान के अभिलेखों के संदर्भ में सत्यापित और कर्मचारी को वापसी के पश्चात् एक रसीद प्राप्त करने के बाद, फॉर्म-III में नामांकन की डुप्लिकेट कॉपी विधिवत रूप से नियोक्ता या उसके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत अधिकार द्वारा सत्यापित की जाती है जो कि नियोक्ता द्वारा नामांकन की रिकॉर्डिंग के टोकन के रूप में रखा जाएगा और नामांकन की दूसरी प्रति दर्ज की जाएगी।
- (3) एक कर्मचारी जिसके पास नामांकन करने के समय कोई परिवार नहीं है, परिवार होने के 90 दिनों के भीतर उप-नियम (1) में निर्दिष्ट एक नया नामांकन, जैसा कि उप-धारा के तहत आवश्यक है (4) सेक्शन 55 की, नियोक्ता को फॉर्म-III में डुप्लिकेट और उसके बाद उप-नियम (2) के प्रावधान म्यूटिस म्यूटेंडिस को लागू करेंगे जैसे कि यह उप-नियम (1) के तहत किया गया था।
- (4) एक नामांकन के संशोधन की सूचना, उन मामलों सहित जहां एक नॉमिनी एक कर्मचारी को पूर्वनिर्धारित करता है, उसे उप-नियम (1) में निर्दिष्ट तरीके से नियोक्ता को फॉर्म-III में डुप्लिकेट में प्रस्तुत किया जाएगा, और उसके बाद उप के प्रावधान-उपनियम (2) म्यूटेंडिस म्यूटेंडिस लागू करेगा।
- (5) एक नामांकन या एक नया नामांकन या नामांकन के संशोधन की एक सूचना कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित होगी या, यदि वह निरक्षर है, तो उसके अंगूठे का निषान कर्मचारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से या पंजीकृत पोस्ट पावती के कारण प्रस्तुत किया जाएगा।
- (6) एक नामांकन, नए नामांकन या नामांकन के संशोधन की सूचना नियोक्ता द्वारा प्राप्ति की तारीख से प्रभावी होगी।

35. वह समय जिसके भीतर और जिस रूप में उप-धारा (1) के तहत एक लिखित आवेदन किया जाएगा और धारा 56 की उपधारा (5) के खंड (बी) के तहत सक्षम प्राधिकारी को आवेदन का रूप-(1) ग्रेच्युटी के लिए आवेदन:
(क) फॉर्म IV में नियोक्ता को, एक कर्मचारी जो कोड के तहत ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए पात्र है, या कोई भी व्यक्ति, जो लिखित रूप में अधिकृत है, अपनी ओर से कार्रवाई करने के लिए, आमतौर पर, ग्रेच्युटी देय होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर लागू होगा।

बशर्ते कि किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति या सेवानिवृत्ति की तारीख ज्ञान हो, कर्मचारी सेवानिवृत्ति या सेवानिवृत्ति की तारीख के तीस दिनों से पहले नियोक्ता को आवेदन कर सकता है।

आगे यह प्रावधान किया जाता है कि नियतकालिक रोजगार पर नियुक्त कोई कर्मचारी उपदान के लिए पात्र होगा यदि वह संविदा के अंतर्गत एक वर्ष की अवधि के लिए सेवा प्रदान करता है और उसे 15 दिनों के वेतन की दर पर उपादान का भुगतान किया जाए गए जो उसके द्वारा प्रत्येक सेवा के पूर्ण किए गए वर्ष अथवा उसके कुछ भाग जो छः माह से अधिक हो, के लिए उसके द्वारा आहरित अंतिम मजदूरी की दर पर आधारित होगा।

- (ख) IV में नियोक्ता को एक कर्मचारी का नाम जो धारा 53 की उप-धारा (1) के तहत दूसरे प्रोविज़ो के तहत ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए पात्र है, जो कि ग्रेच्युटी की तारीख से तीस दिनांक के भीतर, उसके लिए देय हो, **फार्म-**

बशर्ते कि संबंधित विवरण के साथ सादे कागज में एक आवेदन भी स्वीकार किया जाएगा। नियोक्ता ऐसे अन्य विवरण प्राप्त कर सकता है जो उसके द्वारा आवश्यक समझा जा सकता है।

- (ग) IV में नियोक्ता को एक कर्मचारी का कानूनी उत्तराधिकारी, जो धारा 53 की उप-धारा (1) के तहत दूसरे प्रोविज़ो के तहत ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए पात्र है, आमतौर पर ग्रेच्युटी की तारीख से एक वर्ष के भीतर, उसके लिए देय हो जाता है।
- (घ) जहां इन नियमों के लागू होने से पहले संहिता के तहत ग्रेच्युटी देय हो जाती है, धारा (क), (ख) और (ग) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट सीमा की अवधि को तारीख से ऑपरेटिव माना जाएगा।

- (ड) इस नियम में निर्दिष्ट अवधियों की समाप्ति के बाद दायर ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए एक आवेदन नियोक्ता को भी दिया जाएगा, यदि आवेदक अपने दावे को प्राथमिकता देने में देरी के लिए पर्याप्त कारण जोड़ता है, और कोड के तहत ग्रेच्युटी के लिए कोई दावा नहीं करता है तो यह केवल इसलिए अमान्य होगा क्योंकि दावेदार निर्दिष्ट अवधि के भीतर अपना आवेदन प्रस्तुत करने में विफल रहा। इस संबंध में किसी भी विवाद को उसके निर्णय के लिए सक्षम प्राधिकारी को संदर्भित किया जाएगा।
- (च) इस नियम के तहत एक आवेदन नियोक्ता को इलेक्ट्रॉनिक या व्यक्तिगत सेवा या पंजीकृत डाक पावती द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।
- (2) ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए सूचना:** (क) उप-नियम (1) के तहत ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए आवेदन प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर, नियोक्ता यह कर सकता है—(i) यदि सत्यापन पर दावा स्वीकार्य पाया जाता है, तो आवेदक कर्मचारी, नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी को फॉर्म-V में एक नोटिस जारी करें, जैसा भी मामला हो, देय ग्रेच्युटी की राशि निर्दिष्ट करना और एक तारीख तय करना, बाद की तुलना में नहीं होना आवेदन की प्राप्ति की तिथि के बाद तीसवां दिन, उसके भुगतान के लिए, या
- (ii) यदि ग्रेच्युटी के लिए दावा स्वीकार्य नहीं है, तो आवेदक कर्मचारी, नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी को फॉर्म-V में एक नोटिस जारी करें, जैसा भी मामला हो, कारण बताते हुए कि ग्रेच्युटी के लिए दावे को स्वीकार्य क्यों नहीं माना जाता है।
- ग्रेच्युटी को अस्वीकार करने के मामले में नोटिस की एक प्रति सक्षम प्राधिकारी को दी जाएगी।
- (ख) यदि ग्रेच्युटी का भुगतान नियोक्ता के कार्यालय में किया जाना है, तो धारा (क) उप नियम (92) के उप-खंड (i) के तहत फॉर्म-V में नोटिस में उद्देश्य के लिए तय की गई तारीख नियोक्त द्वारा फिर से तय किया जा सकता है, अगर इस संबंध में एक लिखित आवेदन आदाता द्वारा बताया गया है कि उसके लिए निर्दिष्ट तारीख पर व्यक्ति में उपस्थित होना क्यों संभव नहीं है।
- (ग) यदि ग्रेच्युटी के लिए दावेदार नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी है, तो नियोक्ता ऐसे गवाह या सबूत मांग सकता है, जो उसकी पहचान स्थापित करने या उसके दावे की स्थिरता के लिए प्रासंगिक माना जा सकता है, जैसा कि मामला हो सकता है। उस मामले में, नियोक्ता को उप-नियम (2) के खंड (क) के तहत नोटिस जारी करने के लिए निर्दिष्ट समय सीमा इस तरह के गवाह या साक्ष्य से प्रभावी होगी, जैसा कि मामला हो सकता है, नियोक्ता द्वारा बुलाया गया है।
- (घ) धारा 56 की उप-धारा (2) के तहत एक नोटिस फॉर्म-V में होगा।
- (ड) **फॉर्म-V** में एक नोटिस आवेदक को रसीद लेने के बाद या इलेक्ट्रॉनिक रूप से या पावती के साथ पंजीकृत डाक द्वारा या तो व्यक्तिगत सेवा द्वारा दिया जाएगा।
- (3) ग्रेच्युटी के भुगतान का तरीका:** कोड के तहत देय ग्रेच्युटी का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से या पात्र कर्मचारी, नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी के बैंक खाते में जमा करके किया जाएगा, जैसा भी मामला हो:
- (4) धारा 56 की उप-धारा (5) के खंड (ब) के तहत निर्देश के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन:** (क) यदि कोई नियोक्ता—
- (i) नामांकन को स्वीकार करने या **उप-नियम (1)**, या के तहत किए गए आवेदन को लेने से इनकार करता है।
- (ii) उप-नियम के खंड (क) के तहत एक नोटिस जारी करता है या तो ग्रेच्युटी की राशि निर्दिष्ट करता है, जो आवेदक के विचार में जितना देय है उससे कम है या ग्रेच्युटी के भुगतान हेतु पात्रता अस्वीकार करता है या
- (iii) **उप-नियम (5)** के तहत एक आवेदन प्राप्त होने के बाद, उप-नियम (2) के तहत आवश्यक सूचना जारी करने में विफल रहता है, उसमें निर्दिष्ट कर्मचारी, नामिति या कानूनी वारिस, जैसा भी मामला हो, हो सकता है। घटना के एक सौ अस्सी दिनों के भीतर, धारा 56 के उप-खंड (5) के तहत एक दिषा-निर्देश जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को फॉर्म-V में आवेदन करेगा बशर्ते कि सक्षम प्राधिकारी इस उप-नियम के तहत किसी भी आवेदन को स्वीकार कर सकता है, निर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने के बाद आवेदक द्वारा दिखाए जाने वाले पर्याप्त कारण पर।
- (ख) खंड (क) उप-नियम (4) और इस तरह के आवेदन से संबंधित अन्य दस्तावेजों को सक्षम प्राधिकारी को व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया जाएगा या इलेक्ट्रॉनिक या नियत समय से पंजीकृत डाक पावती द्वारा भेजा जाएगा।
- (5) निर्देशन के लिए आवेदन से निपटने की प्रक्रिया:** (क) उप-नियम (4) के तहत एक आवेदन प्राप्त होने पर सक्षम प्राधिकारी **प्रपत्र-VII** में एक नोटिस जारी करके इलेक्ट्रॉनिक या पंजीकृत पोस्ट पावती के कारण या व्यक्ति में आवेदक के

साथ-साथ नियोक्ता को भी निर्दिष्ट तिथि, समय और स्थान पर उसके समक्ष उपस्थित होने के लिए, या तो स्वयं या उसके अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से सभी दस्तावेजों और गवाहों के साथ, यदि कोई हो, पर बुलाएं।

- (ख) कोई भी व्यक्ति नियोक्ता या कर्मचारी, नामिति या कानूनी उत्तराधिकारी की ओर से कार्रवाई करने की इच्छा रखता है, जैसा कि मामले हो सकते हैं, सक्षम प्राधिकारी को नियोक्ता या संबंधित व्यक्ति से अधिकार पत्र प्रस्तुत करेगा, जैसा कि मामला हो सकता है किसकी ओर से वह इस मामले में अपनी रुचि को स्पष्ट करते हुए लिखित बयान के साथ मिलकर कार्रवाई करने की अनुमति देने से इनकार करने के मामले में, इनकार करने के कारण।
- (ग) अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रदर्शित होने वाली पार्टी प्रतिनिधि के कृत्यों से बाध्य होगी।
- (घ) धारा (क) के तहत तय की गई तारीख पर सुनवाई पूरी होने के बाद, या इस तरह के अन्य सबूतों के बाद, दस्तावेजों, गवाहों, सुनवाई और पूछताछ की जांच, जैसा कि आवश्यक समझा जा सकता है, सक्षम अधिकारी अपनी खोज को रिकॉर्ड करेगा कि क्या कोई कोड के तहत आवेदक को राशि देय है। प्रत्येक पक्ष को खोजने की एक प्रति दी जाएगी।
- (ङ) यदि संबंधित नियोक्ता पर्याप्त कारण के बिना नोटिस की उचित सेवा के बाद सुनवाई की निर्दिष्ट तिथि पर प्रकट होने में विफल रहता है, तो सक्षम अधिकारी आवेदन पूर्व पक्ष को सुनने और निर्धारित करने के लिए आगे बढ़ सकता है। यदि आवेदक पर्याप्त कारण के बिना सुनवाई की निर्दिष्ट तिथि पर उपस्थित होने में विफल रहता है तो सक्षम प्राधिकारी आवेदन को खारिज कर सकता है:
- बर्षते कि उप-नियम (5) के खंड (ङ) के तहत एक आदेश, उक्त आदेश के तीस दिनों के भीतर दिखाए जाने वाले अच्छे कारण पर समीक्षा की जा सकती है और नोटिस के चौदह दिनों के भीतर आवेदन पर पुनः विचार करने हेतु विपरीत पक्ष को आवेदन के सुनवाई हेतु तिथि निर्धारित किया जाएगा।
- (6) **सुनवाई का स्थान और समय**— सक्षम अधिकारी की बैठकें ऐसे समय पर और ऐसे स्थानों पर आयोजित की जाएंगी, जो वे उसी तरह से पक्षों के सदस्यों को सूचित करेंगे जैसे वह ठीक समझते हैं।
- (7) **शपथ का प्रशासन**—शपथ पत्र बनाने के उद्देश्य से सक्षम प्राधिकारी अपने कार्यालय के एक लिपिक को शपथ दिला सकता है।
- (8) **गवाहों की सम्मन और उपस्थिति**—सक्षम अधिकारी, उनके समक्ष कार्यवाही में शामिल किसी भी पक्ष द्वारा या उसके बिना आवेदन के किसी भी स्तर पर या उससे पहले की कार्यवाही के किसी भी स्तर, और सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार **फॉर्म-VII** में किसी भी व्यक्ति को समन जारी कर सकता है या तो सबूत देने के लिए या किसी निर्दिष्ट तिथि, समय और स्थान पर दस्तावेजों का निर्माण करने के लिए या दोनों उद्देश्यों के लिए।
- (9) **सम्मन या नोटिस देना**—(क) उपबंधों के प्रावधानों के अधीन (ख) नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908, (1908 का 5) के तहत निर्धारित किसी अन्य तरीके से। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए किसी भी नोटिस, सम्मन, प्रक्रिया या आदेश को व्यक्तिगत रूप से या इलेक्ट्रॉनिक रूप से या सेवा में पंजीकृत पोस्ट पावती द्वारा दिया जा सकता है।
- (ख) जहां सक्षम प्राधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही के लिए (पक्षों के रूप में) कई व्यक्ति होते हैं, और ऐसे व्यक्ति किसी भी ट्रेड यूनियन या एसोसिएशन के सदस्य होते हैं या किसी अधिकृत व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सचिव पर नोटिस की सेवा, या जहां कोई सचिव नहीं है, ट्रेड यूनियन या एसोसिएशन के प्रमुख अधिकारी पर, या अधिकृत व्यक्ति को ऐसे व्यक्तियों पर सेवा करने के लिए समझा जाएगा।
- (10) **सक्षम प्राधिकारी द्वारा मामलों के अभिलेखों का रखरखाव**—(क) सक्षम अधिकारी धारा 56 के तहत प्रत्येक मामले के विवरण दर्ज करेगा और आदेश पारित करते समय प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर विवरण दर्ज करेगा।

- (ख) सक्षम प्राधिकारी प्रत्येक मामले में आदेश पारित करते समय, मामले के गुणों पर निष्कर्ष भी दर्ज करता है और आदेश पत्र के साथ साक्ष्य के ज्ञापन के साथ इसे दर्ज करता है।
- (ग) किसी भी आदेश या निर्देश के रिकॉर्ड के अलावा कोई भी रिकॉर्ड, जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा इस प्रयोजनार्थ लिखित रूप में नियुक्त किसी भी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा सक्षम अधिकारी की ओर से उसके निर्देशन में
- (11) **ग्रेच्युटी के भुगतान हेतु दिषा निर्देश:** यदि कोई उप-नियम (5) के खंड (डी) के तहत दर्ज किया जाता है कि आवेदक संहिता के तहत ग्रेच्युटी के भुगतान का हकदार है, तो सक्षम अधिकारी नियोक्ता को संबंधित नोटिस जारी करेगा। **फॉर्म-VIII** इलेक्ट्रॉनिक या पंजीकृत पोस्ट पावती की वजह से या नियोक्ता द्वारा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकारी को सूचना के तहत आवेदक को देय राशि और उसके भुगतान का निर्देश निर्दिष्ट करता है। जैसा भी मामला हो, नोटिस की एक प्रति आवेदक कर्मचारी, नामित या कानूनी उत्तराधिकारी को दी जाएगी।
- (12) **अपील—(क)** संहिता की धारा 56 की उप-धारा (8) के तहत अपील का ज्ञान, अपीलीय प्राधिकारी को उसकी प्रति और पक्ष में सक्षम प्राधिकारी को उसकी प्रति के साथ या पंजीकृत पोस्ट पावती द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक रूप से
- (ख) अपील के ज्ञापन में मामले के तथ्य, सक्षम प्राधिकारी का निर्णय, अपील का आधार और मांगी गई राहत शामिल होगी।
- (ग) ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए सक्षम प्राधिकारी और दिषा की खोज की प्रमाणित प्रति अपील ज्ञापन के लिए संलग्न किया जाएगा।
- (घ) मेमोरेंडम ऑफ अपील की प्रतिलिपि प्राप्त होने पर, सक्षम प्राधिकारी अपीलीय प्राधिकारी को मामले के रिकॉर्ड को अग्रेषित करेगा।
- (ङ) अपील के ज्ञापन की प्रति प्राप्त होने के चौदह दिनों के भीतर, विपरीत पक्ष अपीलकर्ता को एक प्रति के साथ अपीलीय प्राधिकारी को, अतिरिक्त दलीलों के साथ, ज्ञापन के प्रत्येक अनुच्छेद की अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करेगा।
- (च) अपील प्राधिकारी अपील को सुनने का एक उचित अवसर पर पार्टियों को देने के बाद अपना निर्णय दर्ज करेगा। निर्णय की एक प्रति पार्टियों को इलेक्ट्रॉनिक या पंजीकृत डाक या व्यक्ति द्वारा अपील करने के लिए दी जाएगी और उसकी एक प्रति सक्षम अधिकारी को मामले के अपने रिकॉर्ड को वापस भेज दी जाएगी।
- (छ) सक्षम प्राधिकारी, अपील प्राधिकारी के निर्णय की प्राप्ति कर, उसके द्वारा बनाए गए मामले के रिकॉर्ड में आवश्यक प्रविष्टि करेगा।
- (ज) अपील प्राधिकारी के निर्णय की प्राप्ति पर, सक्षम प्राधिकारी, यदि उस निर्णय के तहत आवश्यक हो, तो ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए उसकी दिषा निर्देश में संशोधन करता है और **फॉर्म-VIII** में संबंधित नियोक्ता को संशोधित राशि देय और निर्देशन को निर्दिष्ट करने के लिए एक नोटिस जारी कर सकता है। नियोक्ता द्वारा नोटिस प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकारी को सूचित करते हुए अपीलीय प्राधिकारी को नोटिस की एक प्रति के साथ—साथ अपीलकर्ता कर्मचारी, नामित या कानूनी उत्तराधिकारी को नोटिस दी जा सकती है।
- (13) **ग्रेच्युटी की वसूली के लिए आवेदन**—जहां एक नियोक्ता उप-नियम (11) या उप-नियम (12) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा नोटिस के अनुसार संहिता के तहत ग्रेच्युटी का भुगतान करने में विफल रहता है, जैसा भी मामला हो, संबंधित कर्मचारी, उसका नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी, जैसा भी मामला हो, जिस पर ग्रेच्युटी देय हो, संहिता की धारा 129 के तहत वसूली के लिए **फॉर्म-IX** में डुप्लिकेट में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवेदन कर सकता है।

36. नियोक्ता द्वारा किसी प्रतिष्ठान के पंजीकरण का तरीका उप-धारा 3 और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की संरचना का तरीका स्वीकृत ग्रेच्युटी फंड और जिस तरीके से सक्षम है प्राधिकरण किसी कर्मचारी को देय ग्रेच्युटी की राशि वसूल सकता है बीमाकर्ता से धारा 57 की उपधारा (4) के तहत

ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए बीमा प्राप्त करना । — इसके अलावा हर नियोक्ता से संबंधित , या के नियंत्रण में एक प्रतिष्ठान का नियोक्ता केंद्र सरकार या राज्य सरकार , के प्रावधानों के अधीन होगी धारा 57 के तहत उप-धारा (1) के खंड (i) में एक बीमा प्राप्त

प्राधिकृत द्वारा विनियमित के रूप में परिभाषित किया गया हैबीमा नियामक की धारा 2 की उपधारा (1) का खंड (बी) और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999।

ग्रेच्युटी की राशि की वसूली।-

- (i) सेक्शनकेउप-सेक्शन (4) केतहतनियुक्तसक्षमप्राधिकारी57एककेलिएदेयग्रेच्युटीकीराशिकीवसूलीकेलिएअधिकृतहैकर्मचारी, बीमाकर्तासेजिसकेसाथबीमालियागयाहैउप-धारा (1) केतहतयाजैसाभीमामलाहो, न्यासीमंडलउप-धारा (5)काखंड(2) मेंपरिभाषितअनुमोदितग्रेच्युटीफंडआयकरअधिनियम, 1961
- (ii) एसेन्यासीबोर्डमेंसमानसंख्यामेंशामिलहोनाचाहिएनियोक्ताऔरकर्मचारियोंकेप्रतिनिधिस्थापना।

पंजीकरण का पंजीकरण-

- (i) संहिता द्वारा कवर की गई स्थापना के प्रत्येक नियोक्ता को उसकी प्राप्ति होगीसक्षम प्राधिकारी के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से पंजीकृत स्थापनाकी अधिसूचना से 30 दिनों के भीतर फॉर्म-XX में क्षेत्रअनिवार्य बीमा धारा 57 की उप-धारा (1) के तहत प्रदान किया गयाकोड, स्थापना के कर्मचारियों के विवरण के साथप्रपत्र- XXII में सुसज्जित;
- (ii) पंजीकरण का प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक रूप से तुरंत जारी किया जाएगायदि आवेदन सभी मामलों में पूर्ण है लेकिन बाद में सात से अधिक नहीं हैपूरा आवेदन जमा करने की तिथि से दिन , जो गिर रहा हैइस तरह की स्थापना को पंजीकृत किया गया माना जाएगा औरपंजीकरण का प्रमाण पत्र स्वतः उत्पन्न होगा;
- (iii) प्रत्येकनियोक्ताबीमाकिएगएकर्मचारियोंकेविवरणप्रस्तुतकरेगापंजीकरणकेसमयफॉर्म-XXII मेंसक्षमप्राधिकारीसक्षमप्राधिकारीकेसाथस्थापनाऔरउसकेबादजबभीबीमितकर्मचारियोंमेंबदलावहोताहै

स्वीकृतग्रेच्युटीफंडकोजारीरखना-

प्रत्येकनियोक्तासंहिताकेतहतकवरकीगईस्थापना, जिसनेपहलेसेहीएकस्थापितकियाथाअपनेकर्मचारियोंकेसंबंधमेंग्रेच्युटीफंडकोमंजूरीदीऔरजोचाहतेहैंइसतरहकीव्यवस्थाजारीरखें, औरप्रत्येकनियोक्ता500याअधिककोरोजगारदेवेव्यक्तिजोस्वीकृतग्रेच्युटीफंडकीस्थापनाकरतेहैंआयकरअधिनियम, 1961कीधारा2कीउपधारा (5) चुनसकतीहैफॉर्म-XXI मेंएकविकल्पप्रस्तुतकरकेऐसीव्यवस्थाजारीरखें / अपनाएं, इसतरहकेमौजूदास्वीकृतग्रेच्युटीफंडमेंसंपूर्णदेयताशामिलहैअधिनियमकेतहत, प्रतिष्ठानकेसभीकर्मचारी।

37. धारा 58 की उपधारा (1) के तहत सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त अधिकारी की योग्यता और अनुभव। सक्षम प्राधिकारी को अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

अध्याय VI

मातृत्व लाभ

37. उप-धारा (1) के तहत नोटिस का रूप और गर्भावस्था का प्रमाण और धारा 62 की उप-धारा (5) के तहत प्रसव का प्रमाण और गर्भपात या उप-धारा (1) के तहत गर्भधारण की चिकित्सा समाप्ति का प्रमाण, प्रमाण उप-धारा (2) और धारा 65 की उप-धारा (3) के तहत बीमारी के सबूत के तहत ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन।-(1) प्रमाण (क) यह तथ्य कि एक महिला गर्भवती है या एक बच्चे की डिलीवरी हुई है या गर्भावस्था या ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन के गर्भपात या चिकित्सा समाप्ति से गुजरना पड़ा है या गर्भावस्था, प्रसव, बच्चे के समय से पहले जन्म या गर्भपात या गर्भावस्था या ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन के चिकित्सा समाप्ति से उत्पन्न बीमारी से पीड़ित है, जो एक फॉर्म-X प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने से साबित होगा।
- (i) एक क्षेत्रीय अस्पताल के एक चिकित्सा अधिकारी या कोल माइंस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के तहत गठित डिस्पेंसरी से; या
- (ii) जहां एक माइंस स्वास्थ्य बोर्ड है, जिसके अधिकारी क्षेत्र में, उस बोर्ड के चिकित्सा अधिकारी से है; या
- (iii) एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से।
- (ख) यह तथ्य कि एक महिला घर पर ही है, वह किसी भी कानून के प्रावधानों के तहत बनाए गए जन्म रजिस्टर से प्रमाणित अंक के दिखाने या किसी पंजीकृत दाई द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र को दिखाने से भी साबित हो सकती है।
- (ग) यह तथ्य कि एक महिला का गर्भपात हो चुका है, एक पंजीकृत दाई द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र के उत्पादन से भी साबित हो सकता है।
- (घ) किसी महिला या बच्चे की मृत्यु का तथ्य उप-नियम (क) में या किसी प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करने से संदर्भित अधिकारियों में से किसी को भी फॉर्म-X में इस आषय के प्रमाण पत्र जारी करने से या उस समय किसी भी कानून के प्रावधानों के तहत बनाए गए मृत्यु रजिस्टर से प्रमाणित भाग को जारी करने से साबित हो सकता है।
- (2) **मातृत्व और अन्य लाभ का भुगतान**—(क) एक महिला जो प्रतिष्ठान में कार्यरत है और मातृत्व लाभ की हकदार है, अपने नियोक्ता को फॉर्म-XI में नोटिस देगी और नियोक्ता संबंधित महिला को कोड के तहत मातृत्व लाभ और किसी अन्य राशि का भुगतान करेगा, या इस तरह के मातृत्व लाभ या राशि प्राप्त करने से पहले उसकी मृत्यु के मामले में, या जहां नियोक्ता धारा 60 की उप-धारा (3) के लिए दूसरे प्रावधान के तहत मातृत्व लाभ के लिए जिम्मेदारी है, जो महिला द्वारा फॉर्म नोटिस में उसके द्वारा नामित व्यक्ति को ग्यारहवीं और उसके कानूनी प्रतिनिधि के मामले में ऐसा कोई उम्मीदवार नहीं है।
- (ख) संदेह के मामले में, एक प्रतिष्ठान में कार्यरत महिला के कारण मातृत्व लाभ या अन्य राशि नियोक्ता द्वारा जमा की जाएगी, सक्षम अधिकारी के साथ संबंधित महिला की मृत्यु की तारीख के दो महीने के भीतर, जो बाद में आवश्यक पूछताछ करना, उसे उस व्यक्ति को भुगतान करना, जो उसकी राय में, इसे प्राप्त करने का हकदार है।
- (ग) जब भी उप-नियम (क) में उल्लिखित भुगतान किया जाता है, तो नियोक्ता को फॉर्म-XI में नियोक्ता द्वारा उस व्यक्ति से प्राप्त किया जाएगा, जिसे भुगतान किया जाता है। उप-नियम (बी) के तहत आने वाले मामलों में, नियोक्ता को सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक रसीद दी जाएगी।
- (घ) चिकित्सा बोनस का भुगतान मातृत्व लाभ की दूसरी किस्त के साथ किया जाएगा।
- (ङ) मातृत्व लाभ या धारा 63 के तहत देय किसी अन्य राशि का भुगतान इस तरह का लाभ या राशि प्राप्त करने की हकदार महिला की मृत्यु की तारीख के दो महीने के भीतर किया जाएगा।
- (च) धारा 65 के तहत देय मजदूरी का भुगतान उस महिला को किया जाएगा, जो फॉर्म-X में प्रमाण पत्र के उत्पादन के अड़तालिस घंटे के भीतर ऐसी मजदूरी प्राप्त करने का हकदार है।

36. **धारा 66 के तहत नर्सिंग ब्रेक की अवधि**—धारा 66 में उल्लिखित दो ब्रेक में से प्रत्येक 15 मिनट की अवधि का होगा। एक अतिरिक्त पर्याप्त अवधि, कवर की जाने वाली दूरी के आधार पर, क्रेच या उस स्थान से यात्रा के उद्देश्य के लिए अनुमति दी जाएगी जहां या जहां ड्यूटी पर हते हुए महिलाओं द्वारा बच्चों को छोड़ दिया जाता है, बशर्ते कि ऐसी अतिरिक्त अवधि 5 मिनट से कम और 15 मिनट से अधिक नहीं होगी। यदि इस तरह की अतिरिक्त अवधि के बारे में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो मामले को निर्णय के लिए सक्षम प्राधिकरण को भेजा जाएगा।
39. **कर्मचारियों की संख्या और धारा 67 की उप-धारा (1) के तहत क्रेच सुविधा के लिए दूरी**—(1) प्रत्येक प्रतिष्ठान में जहां पचास या अधिक महिला कर्मचारी नियोजित हैं, वहां उपयोग के लिए क्रेच उपलब्ध कराया जाएगा और बनाए रखा जाएगा। जहां ऐसी महिलाओं की बच्चों की आयु छह साल से कम है।
- (2) इस तरह के कमरे में पर्याप्त प्रकाश, वेंटिलेशन और साफ और स्वच्छता स्थिति में बनाए रखा जाएगा। क्रेच बच्चों और बच्चों की देखभाल प्रशिक्षित महिलाओं द्वारा किया जाएगा।
- (3) क्रेच सुविधा प्रतिष्ठान के भीतर या प्रतिष्ठान से उचित दूरी पर स्थित होगी, ताकि यह घर से काम करने वाली महिला कर्मचारी सहित महिला कर्मचारियों को आसानी से उपलब्ध हो सके।
40. **धारा 68 की उपधारा (1) के लिए दूसरे प्रावधान के तहत सकल कदाचार**—(1) निम्नलिखित अधिनियम धारा 68 के सकल कदाचार के उद्देश्य से गठित किया गया है अर्थात्:—
- (क) नियोक्ता के सामान या संपत्ति का स्वेच्छा से नाश करना;
- (ख) कार्यस्थल पर किसी भी उच्च या सह कर्मचारी के साथ मारपीट करना;
- (ग) कानून की अदालत में सजा में जिसके परिणामस्वरूप नैतिक उत्पीड़न शामिल आपराधिक अपराध;
- (घ) नियोक्ता के व्यवसाय या संपत्ति के संबंध में चोरी, धोखाधड़ी, या बेईमानी; तथा
- (ङ) सुरक्षा उपायों या विषय पर या सुरक्षा उपकरणों के साथ या अग्निषमन उपकरणों के साथ विलफुल हस्तक्षेप की इच्छाधारी गैर-पालन।
- (2) **धारा 68 के तहत अपील**—(क) धारा 68 की उप-धारा (2) के तहत **फार्म—XIII** में एक अपील सक्षम प्राधिकारी को मान्यता दी जाएगी।
- (ख) अपील लिखित में की जा सकती है और या तो व्यक्तिगत रूप से सौंप दी जाएगी या किसी पंजीकृत कवर के तहत या इलेक्ट्रॉनिक रूप से सक्षम प्राधिकारी को भेज दी जाएगी।
- (ग) जब कोई अपील प्राप्त होती है, तो सक्षम प्राधिकारी नियोक्ता को अपील के ज्ञापन की एक प्रति प्रस्तुत करेगा, उसके उत्तर के लिए कॉल करेगा और उसे एक फिक्सिंग तिथि तक अपील के मुद्दे से जुड़े दस्तावेजों का उत्पादन करने के लिए भी कहेगा। सक्षम प्राधिकारी यदि आवश्यक हो, नियोक्ता से और साथ ही महिला से आगे के विवरण का पता लगा सकता है। उनके द्वारा प्रस्तुत तथ्यों पर विचार करने और सत्य पाने पर सक्षम प्राधिकारी अपना निर्णय देगा। यदि नियोक्ता अपना जवाब प्रस्तुत करने या निर्दिष्ट अवधि के भीतर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो सक्षम प्राधिकारी अपने निर्णय को पूर्व निर्धारित कर सकता है।
41. **प्राधिकरण जिसे धारा 72 की उपधारा (3) के तहत अपील पसंद की जा सकती है धारा 72 के अर्न्तगत उप धारा 72—(1)**
- (क) धारा 72 की उपधारा (1) के तहत एक शिकायत **फार्म—XII** में लिखित से की जाएगी, जैसा कि मामला हो।
- (ख) जब एक निरीक्षक—सह—सुविधाप्रदाता द्वारा धारा 72 में संदर्भित शिकायत प्राप्त होती है, तो वह नियोक्ता द्वारा इस संबंध में बनाए गए प्रासंगिक अभिलेखों की जांच करेगा, प्रतिष्ठान में कार्यरत किसी भी व्यक्ति की जांच करेगा और उद्देश्य के लिए आवश्यक बयान लेगा। जांच और अगर वह संतुष्ट है कि मातृत्व लाभ या राशि अनुचित रूप से रोक दी गई है, तो

वह नियोक्ता को धारा 63 के तहत भुगतान का दावा करने वाली महिला या व्यक्ति को जैसा कि मामला हो सकता है, तुरंत या एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर भुगतान करने का निर्देश देगा।

- (2) **धारा 72 के तहत अपील** —(क) धारा 72 के उप-खंड (2) के तहत निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता के निर्णय के खिलाफ एक अपील सक्षम प्राधिकारी के पास होगी।
- (ख) पीड़ित व्यक्ति **फार्म-XIII** में निर्धारित प्राधिकारी को लिखित में एक अपील पेश करेंगे और अन्य सहायक दस्तावेज दाखिल करेंगे।
- (ग) जब कोई अपील प्राप्त होती है, तो निर्धारित प्राधिकारी निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता से एक निश्चित तिथि से पहले बुलाकर मामले का रिकॉर्ड दर्ज करेगा। यदि आवश्यक हो, तो निर्धारित प्राधिकारी भी पीड़ित व्यक्ति के बयानों को दर्ज करेगा, और निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को और यदि आवश्यक हो तो स्पष्टीकरण मांग सकता है।
- (घ) दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए, उनके सामने पेश किए गए सबूत और उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्य या उनके द्वारा पता लगाया गया, निर्धारित प्राधिकरण अपना निर्णय देगा।
- 42. धारा 155 की उप-धारा 2 के खंड (यब) के तहत नियम-(1)** संहिता के अध्याय VI के तहत सक्षम प्राधिकारी और निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता के कर्तव्य और शक्तियां I-
- (क) सक्षम प्राधिकरण इन नियमों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होगा जो उनके संबंधित क्षेत्रों को अधिसूचित करता है।
- (ख) प्रत्येक निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे गए क्षेत्र के भीतर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा और सक्षम प्राधिकारी की देखरेख और नियंत्रण में कार्य करेगा।
- (ग) प्रत्येक निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता किसी प्रतिष्ठान के प्रत्येक निरीक्षण के दौरान देखेगा कि -
- (i) क्या धारा 62 के तहत दिए गए हर नोटिस पर उचित कार्रवाई की गई है;
- (ii) क्या नियम 55 के तहत निर्धारित महिला कर्मचारियों का रजिस्टर सही ढंग से रखा गया है;
- (iii) क्या अंतिम निरीक्षण के बाद से धारा 68 के प्रावधानों के उल्लंघन में डिस्चार्ज या बर्खास्तगी या डिस्चार्स या बर्खास्तगी के कोई मामले सामने आए हैं;
- (iv) क्या धारा 59 के उप-धारा (1), धारा 62, धारा 64 की उप-धारा (5) और (6), धारा 65 की उप-धारा (1), (2) और (3), धारा 66, 67, 69 और 71 के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है और क्या निर्धारित समय के भीतर देय राशि का भुगतान किया गया है;
- (v) क्या धारा 68 के उप-धारा (2) के उल्लंघन में मातृत्व लाभ या चिकित्सा बोनस के अभाव के कोई मामले सामने आए हैं; तथा
- (vi) पिछले निरीक्षणों में कितनी अनियमितताएँ बताई गई हैं, उन्हें दूर किया गया है और पहले जारी किए गए आदेशों का अनुपालन कैसे किया गया है।
- (घ) जहां एक निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता कोड या इन नियमों के खिलाफ अनियमितताओं को देखता है, वह नियोक्ता को लिखित में आदेश जारी करेगा, जो उत्तरार्द्ध को एक निश्चित अवधि के भीतर अनियमितताओं को सुधारने और निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता के अनुपालन की रिपोर्ट करने के लिए कहेगा।
- (2) **प्रपत्रों की आपूर्ति**—नियोक्ता फार्म-X, XI, XII और XIII की प्रतियों से मुक्त प्रत्येक महिला को उसके अनुरोध पर आपूर्ति करेगा।

- (3) निर्धारित प्रपत्रों में नोटिस, अपील या शिकायतें प्रस्तुत न करना—नियम 37 के उप-नियम (1) और नियम 40 के उप-नियम (1) और (2) में कुछ भी महिला के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा। यदि वह संहिता के तहत मातृत्व लाभ या किसी अन्य राशि को प्राप्त करने का हकदार है, जैसा कि मामला हो सकता है, एक निर्धारित प्रपत्र में: वह उक्त नियमों के तहत नोटिस, अपील या शिकायत प्रस्तुत करने में विफल रहती है:

बर्षों कि एक महिला द्वारा मातृत्व लाभ या किसी अन्य राशि को निर्धारित प्रपत्र के अलावा किसी अन्य रूप में संहिता के तहत प्राप्त करने के लिए उक्त नियमों के तहत नोटिस, अपील या शिकायत प्रस्तुत की गई हो, संबंधित प्राधिकारी, पंद्रह दिनों के भीतर संबंधित हो सकता है। ऐसे नोटिस, अपील या शिकायत की प्राप्ति के लिए महिला को जैसा कि मामला हो सकता है, निर्धारित प्रपत्र में नोटिस, अपील या शिकायत प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।

- (4) सार—संहिता के अध्याय V के प्रावधानों का सार और नियम के तहत धारा 71 के तहत प्रदर्शित किए जाने के लिए आवश्यक नियम फार्म—XIV में होंगे तथा इस तरह से प्रदर्शित किया जाएगा जैसा कि सक्षम प्राधिकारी की आवश्यकता हो सकती है।

अध्याय VII

निर्माण और अन्य सन्निर्माण कार्य करने वालों के संबंध में सामाजिक सुरक्षा और उपकर

43. उप-धारा (2) के तहत उपकर के संग्रह का तरीका और समय, उप-धारा (3) के तहत एकत्र उपकर का तरीका, और उप-धारा (4) के तहत अग्रिम उपकर की समान दर या दरें। धारा 103 की उप-धारा (1) के तहत उपकर के स्व-मूल्यांकन की धारा 100 और तरीका — (1) नियोक्ता द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सूचना —(क) प्रत्येक नियोक्ता अपने कार्य या के शुरू होने के साठ दिनों के भीतर या उपकर का भुगतान कर जैसा कि मामला हो सकता है, मूल्यांकन अधिकारी को प्रपत्र—XV में जानकारी प्रस्तुत करना।

- (ख) खंड (क) के तहत दी गई जानकारी में कोई भी परिवर्तन या संशोधन फार्म—XV में मूल्यांकन अधिकारी को सूचित किया जाएगा, जिसमें ऐसे संशोधन का विवरण तुरंत शामिल होगा, लेकिन संशोधन को प्रभावित करने की तारीख से तीस दिनों के बाद नहीं।

- (2) उपकर के संग्रह का समय और तरीका —(क) संहिता की धारा 100 की उपधारा (1) के तहत लगाया गया उपकर किसी नियोक्ता द्वारा अग्रिम रूप से अनुमोदन के समय या काम शुरू होने से पहले चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा उसके स्व-मूल्यांकन के आधार पर विधिवत प्रमाणित होगा।

- (ख) निर्माण की लागत के स्व-मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए, नियोक्ता संबंधित राज्य के लोक निर्माण विभाग या उस वर्ष के लिए लागू केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्दिष्ट निर्माण दरों की एक समान दर या निर्माण की लागत की गणना करेगा जिस वर्ष जिसमें इमारत और अन्य निर्माण कार्य की शुरुआत होगी फार्म—XVI में हुई:

बर्षों, अगर कोई ऐसी निर्माण गतिविधि शामिल है जिसके लिए न तो राज्य पीडब्ल्यूडी और न ही केंद्रीय पीडब्ल्यूडी या रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण ने कोई दर (एस) निर्दिष्ट की है, तो नियोक्ता निर्माण किए जाने वाले दस्तावेजों के आधार पर निर्माण की लागत की गणना के साथ-साथ उनके मूल्यांकन अधिकारी के पास उनके निर्माण और अन्य निर्माण कार्य या परियोजना के पूरा होने पर साठ दिनों के भीतर फार्म—XVI में उनके मूल्यांकन विवरण के साथ भरेगा।

- (ग) उपबंधों (क) और (ख) के बावजूद, जहां किसी स्थानीय प्राधिकारी या केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य प्राधिकरण द्वारा निर्माण कार्य की स्वीकृति, जैसा भी मामला हो, आवश्यक है, हर आवेदन इस तरह के अनुमोदन के लिए चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा स्व-मूल्यांकन के आधार पर देय उपकर की राशि के लिए राज्य भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पक्ष में किए गए ऑन-लाइन भुगतान के प्रमाण के साथ होना चाहिए:

बर्षते कि अगर परियोजना की अवधि एक वर्ष से अधिक होने की संभावना है, तो निर्माण की लागत पर देय उपकर की राशि के लिए सेस भुगतान की राशि शुरू होने की तारीख से एक वर्ष के दौरान स्व-आकलित की जाएगी और आगे के भुगतान इस नियम के उप-नियम (2) के खंड (ख) के प्रावधानों के अनुसार देय उपकर लगाया जाएगा।

- (घ) खंड (क) और (ख) के प्रावधानों के बावजूद, जहां सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के निर्माण या अन्य निर्माण कार्य से उपकर लिया जाना है। ऐसी सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इस तरह के कार्यों के लिए भुगतान किए गए बिलों से अधिसूचित दरों पर देय उपकर में कटौती करेगी। इस कटे हुए उपकर को संबंधित राज्य भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पास संबंधित क्षेत्र के मूल्यांकन अधिकारी को निर्माण कार्य के विवरण के साथ इस तरह की कटौती की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर जमा किया जाएगा।
- (ङ) यदि भवन या निर्माण कार्य में कोई ठहराव या कमी है, तो नियोक्ता फार्म-XVII में इस तरह के ठहराव या भवन या अन्य निर्माण में कमी के साठ दिनों के भीतर मूल्यांकन अधिकारी को सूचना देगा।
- (च) प्रत्येक नियोक्ता भवन या अन्य निर्माण कार्य के पूरा होने पर, उसके प्रत्येक पूर्ण कार्य के साठ दिनों के भीतर मूल्यांकन अधिकारी को फार्म-XVIII में रिटर्न जमा करना होगा।
- (छ) ऊपर दिए गए अग्रिम उपकर को निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए अंतिम मूल्यांकन आदेश में समायोजित किया जाएगा।
- (3) **बोर्ड को उपकर की आय का हस्तांतरण**—(क) उप-नियम (2) के तहत एकत्र उपकर की कार्यवाही, ऐसे केंद्रीय या राज्य सरकार के कार्यालय द्वारा जैसा भी मामला हो, सार्वजनिक स्टेट अंडरटेकिंग, स्थानीय प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसे अन्य प्राधिकरण, या मूल्यांकन, स्टेट बिल्डिंग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के बैंक खाते में, इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऑन-लाइन भुगतान प्रणाली के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी।
- (ख) एकत्रित राशि को ऑन-लाइन भुगतान प्रणाली के माध्यम से अपने संग्रह के तीस दिनों के भीतर बोर्ड के कोष में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
- (ग) **राज्य भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड** राज्य सरकार या केंद्र सरकार के संबंधित अधिकारियों या राज्य सरकार या केंद्र सरकार या इस तरह के किसी अन्य प्राधिकारी के साथ समय-समय पर एकत्रित उपकर की राशि का सामंजस्य करेगा जैसाकि उपयुक्त सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है।
- (घ) **राज्य भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड**, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को एक प्रति, उपकर जमा की गई राशि, संचयी और अवधि के दौरान, किए गए व्यय की राशि बिल्डिंग और अन्य निर्माण श्रमिकों की संख्या, या ऐसी अवधि के लिए और इस तरह के विवरण के साथ अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
- (4) **आकलन** —(क) नियोक्ता से फार्म-XVIII में रिटर्न और भरे गए उपकर की सूचना मिलने पर, मूल्यांकन अधिकारी ऐसी सूचना के आधार पर जांच करेगा, और यदि वह सूचना में संतुष्ट है तो वह इस तरह की जानकारी प्राप्त करने की तारीख से नब्बे दिन से अधिक की अवधि के भीतर मूल्यांकन का एक आदेश देगा, नियोक्ता द्वारा देय उपकर की राशि का संकेत देता है और नियोक्ता को एक प्रति और उपकर-कलेक्टर को समर्थन करता है। भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड और तारीख के पाँच दिनों के भीतर ऐसा आदेश निकालते हैं, जिस पर ऐसा आदेश दिया जाता है।
- (ख) यह आदेश उप-नियम (2) के प्रावधान के अनुसार देय नियोक्ता द्वारा भुगतान किए गए उपकर या स्रोत और पहले से भुगतान की गई शेष राशि और उपकर (2) के तहत उपकर की राशि निर्दिष्ट करेगा जिसके द्वारा उपकर कलेक्टर को उपकर का भुगतान किया जाएगा।
- (ग) यदि नियोक्ता द्वारा प्रपत्र-XVIII में दी गई जानकारी की जांच पर, आकलन अधिकारी की राय है कि नियोक्ता ने निर्माण की लागत की गणना की है या उसे घटाया है या देय उपकर की कम राशि की गणना की है, तो वह नोटिस जारी करेगा, वह उपकर के मूल्यांकन के लिए नियोक्ता को नोटिस जारी करेगा।

- (घ) इस तरह के नोटिस की प्राप्ति पर नियोक्ता मूल्यांकन अधिकारी को नोटिस के प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर उनके दावे के समर्थन में दस्तावेजी या अन्य साक्ष्य की प्रतियों के साथ प्रस्तुत करेगा:
- बर्षते कि मूल्यांकन करने वाला अधिकारी, आकलन के दौरान व्यक्ति को सुनने के लिए एक अवसर दे सकता है, यदि वह अपने दावे को पुष्ट करने का अनुरोध करता है।
- (4) यदि नियोक्ता क्लॉज के तहत निर्दिष्ट अवधि के भीतर उत्तर प्रस्तुत करने में बिफल रहता है (घ) या जहां कोई भी नियोक्ता फॉर्म-IV में जानकारी प्रस्तुत करने में बिफल रहता है, तो निर्धारण अधिकारी उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर मूल्यांकन करने के लिए आगे बढ़ेगा और अन्य जानकारी आदि हो।
- (च) मूल्यांकन अधिकारी किसी भी समय कार्य प्रगति पर है या निर्माण की लागत के मूल्यांकन की प्रक्रिया में हो सकता है, ऐसे अधिकारी को निर्माण की लागत का यथासंभव सटीक आकलन करने के उद्देश्य से उचित समझें। कार्य स्थल पर या दस्तावेजी साक्ष्य से या किसी अन्य तरीके से इस तरह की जांच करने के लिए अधिकृत करता है।
- (5) **उपकर के अधिक भुगतान की वापसी –**
- (क) जहां नियोक्ता ने पहले से उपकर जमा किया है और नियोक्ता कामों से हटने या निर्माण करने या निर्माण की योजना को संशोधित करने का फैसला करता है, जिससे निर्माण की लागत कम हो जाती है या किए गए कार्य के पूरा होने के आह्वान के लिए अन्य परिस्थितियां, वह इस तरह की कमी या काम के उहराव के कारण आकलन अधिकारी को प्रपत्र-XVII में सूचना जमा करके अग्रिम उपकर की अतिरिक्त राशि वापस मांग सकता है।
- (ख) आकलन अधिकारी, एक नियोक्ता से फॉर्म-XVII में सूचना प्राप्त होने पर, इस तरह की जानकारी से लैस जांच करेगा और यदि वह विशेष रूप से दिए गए विवरणों की प्रामाणिकता के बारे में संतुष्ट है, तो वह मूल्यांकन का एक आदेश ऐसी जानकारी प्राप्त होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर देगा।
- (ग) खंड (ख) के अनुसार प्रपत्र-XVII की प्राप्ति पर किए गए मूल्यांकन आदेश के बाद, मूल्यांकन अधिकारी, जहां भी आवश्यक हो, संबंधित भवन निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, उपकर कलेक्टर और अन्य ऐसे व्यक्तियों को इस तरह के मूल्यांकन की एक प्रति का समर्थन करता है। धारा (ख) के तहत किए गए आकलन में आदेश के अनुसार अतिरिक्त उपकर की वापसी के लिए जैसा कि वह उचित समझते हैं।
- (घ) भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, धारा (ग) के तहत मूल्यांकन अधिकारी से समर्थन प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर इस प्रयोजन के लिए नियोक्ता द्वारा प्रस्तुत विवरण के अनुसार बैंक खाता इलैक्ट्रॉनिक रूप से ऑन-लाइन भुगतान प्रणाली के माध्यम से नियोक्ता को आदेश में निर्दिष्ट राशि वापस कर देगा।
- (ङ) जहां अपीलीय प्राधिकरण ने उपकर की मात्रा को कम करने के लिए मूल्यांकन के आदेश को संशोधित किया है, वापसी उसी समय के भीतर या ऊपर दिए गए खंड (घ) के तहत निर्दिष्ट तरीके और समय में की जाएगी जैसी कि उस क्रम में निर्दिष्ट किया जा सकता है
- 44. धारा 101 के तहत उपकर के बिलंबित भुगतान के मामले में उपकर की राशि और ब्याज की दर का भुगतान करने की समय सीमा:** उपकर के भुगतान की तारीख वह तिथि होगी जिस पर उपकर कलेक्टर के पास जमा होता है। नियम -43 के उप-नियम (2) के धारा (क) व (ख) के तहत या नियम-43 के उप-नियम (2) के धारा (घ) के तहत स्रोत पर कटौती की तारीख या वह तारीख जिस पर राशि जमा की गई है नियम 4 के उप-नियम(5) के तहत स्थानीय प्राधिकारी के साथ जैसा भी मामला हों
- (2) यदि कोई भी नियोक्ता संहिता की धारा 100 के तहत देय उपकर की किसी भी राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो ऐसे समय में जैसा कि मूल्यांकन आदेश में निर्दिष्ट किया जा सकता है, ऐसे नियोक्ता को उपकर की राशि पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जिसका एक प्रतिषत की दर से भुगतान किया जाता है प्रत्येक या महीने के एक हिस्से के लिए तारीख से उस अवधि में समाहित किया गया था जब तक कि एंसी राशि वास्तव में भुगतान नहीं की जाती थी।

45, धारा 104 के तहत जुर्माना लगाते और लगाने का अधिकार—(1) एक आकलन अधिकारी, यदि उसे यह प्रतीत होता है कि किसी नियोक्ता ने मूल्यांकन आदेश में निर्दिष्ट तिथि के अनुसार उपकर का भुगतान नहीं किया है या कम उपकर का भुगतान किया है, जिसमें शामिल है स्रोत पर कटौती या अग्रिम में भुगतान किया गया उपकर, ऐसे नियोक्ता को एक नोटिस जारी करेगा कि उसे बकाया माना जाएगा और इस तरह के **आकलन अधिकारी** की इस तरह की जांच के बाद, यह उचित माना जाएगा, ऐसे नियोक्ता पर जुर्माना लगाया जाएगा जो कि ऐसी उपकर राशि से अधिक जुर्माना नहीं होगा उपकर:

बशर्ते, ऐसे किसी भी दंड को लागू करने से पहले, उसे नियोक्ता को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा और अगर ऐसी सुनवाई के बाद मूल्यांकन अधिकारी संतुष्ट है कि डिफॉल्ट किसी भी अच्छे और पर्याप्त कारण के लिए था, तो ऐसे नियोक्ता पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

(3) यदि नियोक्ता पर कोई जुर्माना लगाया जाता है या जुर्माना लगाने का नोटिस वापस ले लिया जाता है, जैसा कि उप-नियम (1) में उल्लिखित है, तो आकलन अधिकारी इस संबंध में एक सकारण आदेश पारित करेगा और इसके कारणों को बताएगा। इस तरह के आदेश की एक प्रति नियोक्ता, उपकर-संग्राहक और सचिव, भवन ओर अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को दी जाएगी।

46. उप-धारा (1) के तहत अपील, अपीलीय प्राधिकार, प्रपत्र और अपील के तरीके को चुनने की समय सीमा और धारा 105 की उप-धारा (2) के तहत अपील के लिए शुल्क— (1) एक नियोक्ता ने नियम 43 के उप नियम (94) के तहत किए गए मूल्यांकन आदेश से व्यतीत ऐसे आदेश के खिलाफ इस संबंध में फॉर्म-XIX में अपील दर्ज कर सकते हैं, जो नब्बे दिनों के भीतर प्राप्त होने पर इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अपीलीय प्राधिकारी को आदेश।

(2) इस तरह की अपील, परस्पर, के साथ होगी—

(क) आदेश के खिलाफ अपील की:

(बी) उपकर कलेक्टर से इस आशय का एक प्रमाण पत्र कि इस तरह की अपील से संबंधित, जैसा भी मामला हो, उपकर या जुर्माना बा दोनों की राशि;

(ग) एक गैर-वापसी **योग्य शुल्क**, जो आधे प्रतिशत के बराबर है, लेकिन विवाद या जुर्माना या दोनों में राशि के पच्चीस हजार रुपये से अधिक नहीं है, जैसा कि इस तरह की अपील के तहत हो सकता है;

(घ) विवाद में बिंदुओं का विवरण, तथा

(ई) दस्तावेजी साक्ष्य पर भरोसा किया।

(3) अपील प्राप्त होने पर, अपीलीय प्राधिकारी, मूल्यांकन आधिकारी के विरुद्ध विवरण या उसके मूल्यांकन आदेश के विरुद्ध अपील की गई अपील के आधार पर, जैसे कि अपीलीय प्राधिकारी ऐसी अपील के निपटान के लिए आवश्यक विचार कर सकता है।

(4) अपील प्राधिकारी अपीलकर्ता को मामले में सुनवाई का अवसर देगा और अपील का निपटारा यथाशीघ्र करेगा लेकिन ऐसी अपील प्राप्त होने की तारीख से साठ दिन से अधिक नहीं होगा।

(5) उपकर प्राधिकरण की मात्रा पर संतुष्ट होने पर मूल्यांकन अधिकारी के आदेश की पुष्टि करेगा या यदि उसकी राय में मूल्यांकन गलत था; या उच्चतर पक्ष मूल्यांकन के आदेश को संशोधित करेगा या यदि उसकी राय में मूल्यांकन निचले पक्ष पर है या यदि मूल्यांकन का आधार गलत है, तो यह मूल्यांकन अधिकारी को मूल्यांकन के आदेश के साथ-साथ उसकी टिप्पणियों को सुधारने के लिए वापस भेज देगा। गलत।

(6) उप-नियम (5) के तहत वापस भेजे गए एक आदेश का मूल्यांकन अधिकारी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी द्वारा किए गए अवलोकन के मद्देनजर एक महीने के भीतर किया जाएगा;

- (7) बशर्ते, यदि उपकर की राशि को निर्धारित करने का प्रसताव किया जाता है तो निर्धारित को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।
- (8) यदि अपीलीय प्राधिकरण की राय है कि लगाया गया जुर्माना की मात्रा उच्च स्तर पक्ष पर है या सही ढंग से नहीं बना है, तो यह उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाएगा या मूल्यांकन अधिकारी के आदेश को अलग कर देगा, जैसा भी मामला हो।
- (9) इस नियम के तहत अपील को एक आदेश बोलकर निपटाया जाएगा और इस तरह के आदेश की एक प्रति अपीलकर्ता, मूल्यांकन अधिकारी और सचिव, भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को पाँच दिनों के भीतर भेजी जाएगी। जिस तारीख पर ऐसा आदेश दिया जाता है।
- (10) उपकर की राशि को कम करने की अपील में एक आदेश संबंधित **भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के सचिव को स्पष्ट रूप से अलीलकर्ताओं को एक निर्दिष्ट समय बताते हुए अतिरिक्त उपकर वापस करने के लिए कहेगा।**
- (11) अपील या उपकर या जुर्माने की राशि को कम करने या दोनों में, जैसा भी मामला हो, अपील करने का आदेश, उस तारीख को भी निर्दिष्ट करेगा जिसके द्वारा उपकर या जुर्माना या दोनों का भुगतान किया जाना चाहिए या वापस किया जाना चाहिए।
- (12) इस नियम के तहत कोई अपील अपीलीय प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध नहीं होगी।
- 47— धारा 106 के तहत लाभार्थी के रूप में भवन निर्माण श्रमिक के पंजीकरण का प्रबंध—**(1) राज्य सरकार और राज्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की जिम्मेदारी होगी कि वह ऐसे सभी श्रमिकों को पंजीकृत करे, जो भवन निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले या अन्य निर्माण श्रमिकों के रूप में काम कर रहे हों। और राज्य सरकार या बोर्ड के आधार के माध्यम से निर्दिष्ट पोर्टल पर।
- (2) ऐसे भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों के नियोक्ता या ठेकेदार यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके कार्यकर्ता केंद्र सरकार और राज्य सरकार या बोर्ड के निर्दिष्ट पोर्टल पर पंजीकृत हैं।
- (3) भवन निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजना का पंजीकरण, नवीनीकरण और वितरण निर्दिष्ट पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा।
- (4) भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों के लाभों की पोर्टेबिलिटी, उनके पंजीकरण की प्रक्रिया, डी-ग्रेजुएशन, और राज्य में लाभ प्राप्त करने के तरीके जहां वे भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों के रूप में काम कर रहे हैं, वह केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया व तरीके से किया जाएगा।
- (5) भवन श्रमिकों का पंजीकरण नियम के तहत असंगठित कामगार, टमटम कर्मी और प्लेटफार्म कर्मी के पंजीकरण के लिए निर्धारित तरीके और प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।
- (6) प्रत्येक राज्य सरकार अधिकारिक गजट के माध्यम से भवन श्रमिकों के पंजीकरण और नवीनीकरण के लिए नोडल अधिकारी नामित करेगी।
- (7) पंजीकरण या नवीनीकरण जैसा कि मामला भवन का हो सकता है और अन्य निर्माण श्रमिकों को केवल तभी किया जाएगा जब वे एक वर्ष में नब्बे दिनों से कम समय के लिए भवन या अन्य निर्माण कार्य में लगे हुए हों।
- (8) बोर्ड निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के पंजीकरण, नवीनीकरण और वितरण की सुविधा के लिए डाक विभाग या किसी अन्य ऐसी एजेंसी के केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के ई-सेवा केंद्र/कोमन और व्यावसायिक पत्राचारों की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं।
- (9) प्रत्येक बोर्ड उपयुक्त सरकार द्वारा निर्दिष्ट रूप में केंद्र सरकार को प्रति के साथ एक रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रतिवर्ग प्रस्तुत करेगा।

- (10) बोर्ड भवन निर्माण श्रमिकों की जुटाएगा और पात्र भवन श्रमिकों को पंजीकृत करने और श्रम गहन क्षेत्रों में आवश्यक शिविरों को स्थापित करने की सुविधा प्रदत्त करेगा।
- (11) संहिता की धारा 106 के तहत लाभार्थी के रूप में पंजीकृत प्रत्येक भवन कर्मी, अपने कोष से बोर्ड द्वारा प्रदान किए गए लाभों का हकदार होगा।
- (12) जहां एक भवन कार्यकर्ता एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है, वह उस बोर्ड से लाभ पाने का हकदार होगा जिसके अधिकार क्षेत्र में वह वर्तमान में काम कर रहा है और ऐसे श्रमिकों को इस तरह के लाभ प्रदान करने के लिए बोर्ड जिम्मेदार होगा।
- (13) प्रत्येक पंजीकृत भवन श्रमिक को एक डिजिटल पहचान पत्र जारी किया जाएगा या अन्यथा उचित सरकार द्वारा निर्दिष्ट उसकी तस्वीर और अन्य विवरणों को वहन किया जाएगा।
- (14) जहां उप-नियम (1) के तहत जारी किया गया पहचान पत्र खो जाता है या गलती से नष्ट हो जाता है राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट सत्यापन के साथ बोर्ड के वेब-पोर्टल से फिर से एक डुप्लिकेट पहचान पत्र डाउनलोड किया जा सकता है।
- (15) यदि कोई है, तो पंजीकरण या अपडेशन, नवीनीकरण या माइग्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने के लिए शुल्क, केंद्र सरकार या राज्य सरकार या बोर्ड या स्वयं कार्यकर्ता द्वारा वहन किया जा सकता है, आंशिक रूप से या पूरी तरह से या जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है इस संबंध में।
48. धारा 107 की उप-धारा (2) के तहत एक लाभार्थी के लाभ- यदि कोई भवन निर्माण कार्यकर्ता साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने से तुरंत पहले कम से कम तीन वर्ष तक लाभार्थी रहा हो, तो ऐसे श्रमिकों के लाभ के लिए, केंद्र सरकार केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जा सकती है ऐसी योजना तैयार कर सकती है।
49. धारा 155 की उपधारा (2) के खंड (zw) के तहत बनाए गए नियम- (1) अतिदेय राशि की वसूली- अवैतनिक उपकार, ब्याज या अतिदेय भुगतान के कारण बकाया राशि की वसूली के उद्देश्य से या इन नियमों के तहत दंड, निर्धारण अधिकारी उसके द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र तैयार करेगा, जो देय राशि को निर्दिष्ट करेगा और इसे संबंधित जिले के रिकवरी अधिकारी को भेजेगा, जो उक्त नियोक्त से वसूल की गई राशि से उबरने के लिए आगे बढ़ेगा जैसे कि वह एक बकाया राशि थी इस प्रयोजन के लिए उस राज्य में प्रचलित भूमि राजस्व या किसी अन्य ऐसे कानून द्वारा।
- (2) **मूल्यांकन अधिकारी और अन्य अधिकारियों की शक्तियाँ** - एक मूल्यांकन अधिकारी, या एक अधिकारी अधिकृत, नियम (7) के उप-नियम (7) के तहत (अगर बदला जाए) तो धारा 103 के तहत राज्य सरकार द्वारा सशक्त कोड, हो सकता है,-
- (क) किसी भी प्रतिज्ञान में प्रवेश करें जहां सचित, भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की पूर्व स्वीकृत के बाद भवन और अन्य निर्माण कार्य चल रहा हो;
- (ख) कार्य स्थल पर पडी सामग्री, मशीनरी या अन्य लेखों की सूची बनाना;
- (ग) विभिन्न गतिविधियों में लगे श्रमिकों की संख्या के बारे में पूछताछ;
- (घ) निर्माण कार्य की लागत या कार्यरत श्रमिकों की संख्या के मूल्यांकन के लिए प्रासंगिक किसी भी निर्धारित रजिस्टर या किसी अन्य दस्तावेज के उत्पादन की आवश्यकता होती है;
- (ङ) ऐसे किसी भी रिकॉर्ड की प्रतियों को जब्त करना या लेना;
- (च) निर्माण कार्य के पूरा होने के चरण का सामान्य मूल्यांकन करना;
- (छ) माप, नोट्स या तस्वीरें लें; तथा
- (ज) निर्माण की लागत के उचित मूल्यांकन के लिए इस तरह की अन्य शक्तियों का प्रयोग करना आवश्यक माना जाता है।

- (3) **शिकायत दर्ज करना**— (क) आकलन अधिकारी, या कोड के तहत कोई निरीक्षक—सह—सुविधाकर्ता, रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए दायित्व का उल्लंघन करने, झूठी सूचना प्रस्तुत करने, जानबूझ या दृढ़ इच्छा या प्रयास करने के बारे में जानता है। उपकर के भुगतान से बचने के लिए राज्य सरकार को इस तरह की शिकायत से संबंधित साक्ष्य लिखित रूप में बोर्ड को एक प्रतिलिपि के साथ शिकायत कर सकते हैं।
- (ख) राज्य सरकार इस तरह की जांच को आवश्यक मान सकती है और किसी भी अधिकारी को अधिकृत कर सकती है क्योंकि वह कानून की अदालत में शिकायत दर्ज करना उचित समझती है।
- (4) **छूट** —(क) कोई नियोक्ता अथवा नियोक्ता का वर्ग, जो राज्य में संहिता की धारा 102 के तहत छूट की मांग करता है, महानिदेशक श्रम कल्याण, श्रम मंत्रालय भारत सरकार को एक आवेदन कर सकता है, जो कामों का विवरण बताता है। उस राज्य में लागू किए गए अधिनियम, या उस कानून के तहत किसी भी अन्य कानून का नाम, जिसके तहत वह निर्माण श्रमिकों की **सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी उपाय** के लिए उपकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है और उपकर की राशि और इस तरह के भुगतान की तिथि के साथ वास्तव में भुगतान किया गया है। इस तरह के आवेदन की एक प्रति संबंधित मूल्यांकन अधिकारी और **भवन निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड** को दी जाएगी।
- (ख) इस तरह के आवेदन प्राप्त होने पर, केंद्र सरकार, यदि आवश्यक हो, संबंधित राज्य सरकार से रिपोर्ट मांग सकती है।
- (ग) इस तरह के आवेदन के आधार, तथ्यों और गुणों की जांच करने पर, केंद्र सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियोक्त या नियोक्ता के वर्ग को छूट देने का आदेश जारी कर सकती है, जैसा कि मामला हो, उपकर के तहत देय उपकर के भुगतान से। कोड जहां इस तरह के उपकर पहले से ही लगाए गए हैं और ऐसे संगत कानून के तहत देय हैं।
- (घ) आकलन अधिकारी, द्वारा खंड की अर्जी (क) के तहत आवेदन की प्रति प्राप्त होने की तारीख से, या खंड के तहत केंद्र सरकार के आदेश तक शुरू होने वाले मूल्यांकन की कार्यवाही के लिए मूल्यांकन की कार्यवाही को रोक दिया जाएगा (c) एक नियोक्ता या नियोक्ताओं के वर्ग से अवगत कराया जाता है, जिसने खंड (क) के तहत आवेदन किया है, जो भी पहले हो।

अध्याय VIII

असंगठित, GIG, तथा प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिये सामाजिक सुरक्षा

50. खंड (क) के तहत पंजीकरण के लिए उपयुक्त आयु और उपधारा (1) के खंड (ख) के तहत सूचना का रूप एवं प्रणाली और धारा 113 की उपधारा (2) के तहत आवेदन पत्र का प्रारूप, पंजीकरण हेतु दस्तावेज एवं और स्व पंजीकरण का तरीका—(1)असंगठित श्रमिकों अथवा असंगठित श्रमिकों की उप श्रेणी अथवा किसी भी श्रेणी का पंजीकरण –
- (क) धारा 113 के अन्तर्गत प्रत्येक पावत्र असंगठित श्रमिकों, या असंगठित श्रमिकों की किसी भी श्रेणी या उप श्रेणी को पात्र में स्व-घोषणा के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट निर्दिष्ट पोर्टल पर आधार के साथ पंजीकृत होना आवश्यक है।
- (ख) किसी भी असंगठित श्रमिक पर असंगठित श्रमिक की किसी भी श्रेणी या उप-श्रेणी के लिए कोड के तहत निर्मित किसी भी योजना के अधीन किसी भी लाभ के लिए सक्षम सरकार जैसा की वो उचित समझे, पात्रता की विशिष्ट शर्तों को अधिसूचित कर सकती है।
- (ग) पात्र असंगठित श्रमिक, या असंगठित श्रमिकों की कोई श्रेणी या उप-श्रेणी, केंद्र सरकार के निर्दिष्ट पोर्टल पर ऐसे प्राधिकरण को पंजीकरण के लिए स्व-घोषणा के आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक रूप से, आधार के साथ आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा/करेगी।
- (घ) पंजीकरण पूरा होने पर, ऐसे श्रमिक को उसकी विशिष्ट पंजीकरण संख्या के साथ इलेक्ट्रॉनिक या अन्य किसी रूप में एक पावती जारी की जाएगी।
- (10) समूचित सरकार असंगठित श्रमिकों को निर्दिष्ट पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करने की सुविधा प्रदान करने के लिए मोबाइल ऐप, वेब पोर्टल या किसी अन्य अनुप्रयोग जैसी सुविधा प्रदान करेगी।
- (च) स्व-पंजीकरण की सुविधा का लाभ उठाने के लिए, एक असंगठित श्रमिक, या असंगठित श्रमिक की किसी भी श्रेणी या उप-श्रेणी को केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट ओ.टी.पी या किसी अन्य प्रक्रिया के माध्यम से अपनी पहचान स्थापित करने की आवश्यकता होगी।
- (छ) कोड के तहत निर्मित किसी भी सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत कोई भी लाभ लेने के लिए, एक असंगठित श्रमिक या असंगठित श्रमिक की किसी भी श्रेणी या उप-श्रेणी को केंद्र सरकार के निर्दिष्ट पोर्टल पर इस तरह के विवरणों के साथ जैसा कि सक्षम सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए गए हैं, पंजीकृत होना आवश्यक है।
- (ज) असंगठित श्रमिक, या असंगठित श्रमिक की किसी भी श्रेणी या उप-श्रेणी को अपने विवरणों को समय-समय पर सक्षम सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए अनुसार अपडेट करने की आवश्यकता होगी, जैसे कि वर्तमान पता, वर्तमान व्यवसाय, माबाइल नंबर, कौशल, या कोई अन्य विशेष विवरण इस तरह के अद्यतन न होने की स्थिति में, कोई भी असंगठित श्रमिक या असंगठित श्रमिक की कोई भी श्रेणी या उप-श्रेणी कोड के तहत अधिसूचित सुरक्षा योजना/योजनाओं का ऐसे लाभ प्राप्त के लिए पात्र नहीं है।
- (झ) सक्षम सरकार असंगठित श्रमिकों, या असंगठित श्रमिक की किसी भी श्रेणी या उप-श्रेणी सामाजिक सुरक्षा योजना के लाभों के विवरण के लिए केंद्र सरकार के उपरोक्त पोर्टल से जानकारी का उपयोग करेगी।
- (ञ) राज्य सरकार या भवन निर्माण श्रमिकों के कल्याण बोर्ड या राज्य सरकार या असंगठित श्रमिक के इस प्रकार के बोर्ड या भवन श्रमिकों के नियोक्ता या समूहक का असंगठित श्रमिक या इसकी किसी भी श्रेणी के श्रमिकों या गिग श्रमिकों या प्लेटफॉर्म श्रमिकों के ठेकेदारों की जिम्मेदारी होगी कि ऐसे पात्र श्रमिकों को आधार के साथ पंजीकृत करवाया जाये जो केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट पोर्टल पर ईएसआईसी या इपीएफओ के साथ पंजीकृत नहीं हैं।
- (त) श्रम कल्याण महानिदेशालय, समय-समय पर, केंद्र सरकार के निर्दिष्ट पोर्टल पर आधार के साथ पंजीकृत श्रमिकों को डी-डुप्लिकेट करेगा और केवल कोड के तहत अधिसूचित ऐसे श्रमिक ही लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।
- (थ) असंगठित श्रमिक या असंगठित श्रमिक की किसी भी श्रेणी या उप-श्रेणी के निर्दिष्ट पोर्टल पर पंजीकरण या अपडेशन के लिए, यदि कोई शुल्क है तो, उसे सक्षम सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए अनुसार सरकार का राज्य सरकारों या असंगठित श्रमिक या असंगठित श्रमिक की किसी भी श्रेणी या उप-श्रेणी द्वारा आंशिक या पूरी तरह से वहन किया जाएगा।
- (2) गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों और ऐसे किसी अन्य श्रमिक का पंजीकरण; –

- (क) धारा 113 के अर्नात प्रत्येक पात्र गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट पोर्टल पर प्रपत्र में स्व-घोषणा के आधार पर, आधार के साथ पंजीकरण होना आवश्यक है।
- (ख) पात्र गिग श्रमिकों और प्लेटफॉर्म श्रमिकों की पहचान और सुचारु पंजीकरण के लिए, प्रत्येक समूहक, पोर्टल पर विषिष्ट पंजीकरण संख्या या अस्थायी पंजीकरण संख्या निर्मित करने के लिये मासिक या आवधिक रूप से अपने गिग या प्लेटफॉर्म श्रमिकों की सूचना का विवरण केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए अनुसार बर्णित करेगा। इसके अलावा, इस तरह की संख्या के जारी होने पर, प्रत्येक गिग का प्लेटफॉर्म श्रमिक, केंद्र सरकार द्वारा-निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार आधार के माध्यम से स्वयं को प्रमाणित करेगा।
- (ग) राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट पोर्टल पर अपने गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को पंजीकृत करने और उप-नियम (2) के खंड (च) के तहत प्रदान किए गए विषिष्ट पंजीकरण संख्या के साथ अपने डेटावेस को लिंक करने के लिए समूहकों की जिम्मेदारी होगी।
- (घ) एक गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिक जिसने सोलह वर्ष की आयु पूरी कर ली है, लेकिन साठ वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, पंजीकरण के लिए पात्र होगा जैसा कि ऊपर दिए गए खंड (क) में उल्लिखित है; बर्षते ऐसे कर्मी गिग या प्लेटफॉर्म श्रमिक के रूप में पूर्ववर्ती बारह महीनों के दौरान कम से कम 90 दिनों तक कार्यरत रहे हों।
- (ङ) गिग या प्लेटफॉर्म श्रमिक या ऐसे किसी अन्य श्रमिक का पंजीकरण उसी तरह से समान प्रक्रिया के तहत किया जाएगा, जैसा कि उप नियम (1) के अधीन असंगठित कामगार, या श्रमिक की किसी भी श्रेणी या उप-श्रेणी के पंजीकरण के लिए निर्धारित है।
- (च) कोड के तहत निर्मित किसी भी योजना के अधीन किसी भी लाभ की पात्रता के लिए गिग या प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए सक्षम सरकार, जैसा कि वो उचित समझो, विषिष्ट षर्तों को अधिसूचित कर सकती है।
- (छ) कोड के तहत निर्मित किसी भी सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत कोई भी लाभ लेने के लिए, एक असंगठित श्रमिक, गिग या प्लेटफॉर्म श्रमिक को सक्षम सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए विवरणों के साथ राज्य सरकार के निर्दिष्ट पोर्टल पर पंजीकृत होना आवश्यक है।
- (ज) **असंगठित श्रमिक**, गिग या प्लेटफॉर्म श्रमिक को अपने विवरणों को समय-समय पर सक्षम सरकार द्वारा निर्दिष्ट पोर्टल पर अपडेट करने की आवश्यकता होगी, जैसे कि वर्तमान पता, वर्तमान व्यवसाय, समूहक या संबंधित प्लेटफॉर्म में नियुक्ति की अवधि, मोबाइल नंबर, कौशल, या कोई अन्य विवरण।
- (ध) गिग या प्लेटफॉर्म श्रमिक के निर्दिष्ट पोर्टल पर पंजीकरण या अपडेशन के लिए, यदि कोई शुल्क है तो, उसे सक्षम सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए अनुसार राज्य सरकार या समूहकों या गिग श्रमिकों या प्लेटफॉर्म श्रमिकों द्वारा आंशिक या पूरी तरह से वहन किया जाएगा।
51. धारा 114 की उप-धारा (7) के खंड (i) में निर्दिष्ट मामलों का निष्पादन – (1) अंषदान को ऐचित करने एवं एकत्रित किए गए अंषदान को खर्च करने का अधिकार—(1) केंद्र सरकार एक अधिकारी या एक एजेंसी को पडतालित करेगी जो समूहक से अंषदान एकत्रित और खर्च करने के लिए जिम्मेदार प्राधिकारी के रूप में कार्य करेगा।
- (2) इस प्रकार के प्राधिकारी द्वारा धारा 144 के अधीन एवं इसके तहत उपयुक्त कल्याण योजनाओं के निर्माण तथा उनके कार्यान्वयन हेतु गिग एवं प्लेटफॉर्म श्रमिकों के पंजीकरण हेतु समूहक से अपेक्षित सूचना प्राप्त की जा सकेगी।
- (3) धारा 114 के अधीन एकत्रित अंषदान जैसाकि धारा 141 की उप-धारा (2) में वर्णित है, गिग एवं प्लेटफॉर्म श्रमिक के लिये अलग से बने खाते में सामाजिक सुरक्षा निधि का हिस्सा होगा।
- (2) **भुगतान में देरी होने, कम भुगतान करने या भुगतान या भुगतान न किये जाने की स्थिति में समूहक द्वारा भुगतान किये जाने वाले ब्याज की दर—** यदि कोई समूहक राज्य सरकार द्वारा यथानिर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत धारा 114 की उप-धारा (4) के अधीन भुगतान योग्य अंषदान की किसी राशि का भुगतान नहीं कर पाता तो उस स्थिति में ऐसे समूहक को भुगतान किये जाने वाले अंषदान की राशि पर एक प्रतिमाह की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा जोकि प्रत्येक माह अथवा किसी माह की किसी हिस्से की अवधि में भुगतान हेतु देय तिथि से किया जाएगा, जब तक इस राशि का वास्तविक भुगतान नहीं कर दिया जाता।
- (3) **समूहकों द्वारा अंषदान का स्व-मूल्यांकन—**(क) प्रत्येक समूहक धारा 144 की उप-धारा 4 के अधीन भुगतान योग्य अंषदान का मूल्यांकन कार्य—XX में करेगा तथा जिस वर्ष हेतु अंषदान देना है उस चालू वर्ष की 30 जून तक, पूर्ववर्ती वर्ग के सामाजिक सुरक्षा निधि के दिए खाते में यथामूल्यांकित अनंतिम अंतिम अंषदान का भुगतान करेगा।

- (ख) समूहक को आयकर अधिनियम, 1961 अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा लिमिटेड लायेबिल्टी पार्टनरशिप अधिनियम, 2008 के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित लेखा विवरण को अंतिम रूप देने के पश्चात् चालू वर्ष के 31 अक्टूबर तक, जिस वर्ष अंशदान देय है, यदि कोई भुगतान किया गया है तो अंशदान अनंतिम भुगतान एवं बकाया भुगतान के विवरण सहित फार्म-XXIमें अंतिम रिटर्न के रूप में जमा कराना होगा।
- (ग) **किसी भी समूहक द्वारा ज्यादा योगदान के भुगतान के मामले में ऐसी अतिरिक्त राशि के रिफंड हेतु फॉर्म-XXIमें दावा किया जाएगा।** इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा नामित प्रतिष्ठकारी, समूहक द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र-XXIकी जांच करेगा, यदि कोई अतिरिक्त भुगतान किया गया है तो फार्म-XXIमें दिए बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से दावे की प्राप्ति की तारीख में 90 दिन के भीतर वापस कर दिया जाएगा।
- यदि कोई भी समूहक प्रधिकरण के आदेश में असन्तुष्ट है तो उप-नियम (2) या उन-नियम (3) में उल्लिखित अनुसार सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय के पास अपील की जायेगी और उस मामले में सचिव का आदेश अंतिम होगा।
- (4) **गिग या प्लेटफॉर्म श्रमिकों के पंजीकरण समाप्त करने की शर्तें** —(क) कोई भी गिग या प्लेटफॉर्मश्रमिक जो धारा 113 के तहत लाभार्थी के रूप में पंजीकृत है, यदि वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है या ज बवह पूर्ववर्ती 12 महीनों में नब्बे दिनों से कम की अवधि के लिए किसी भी समूहक के साथ गिग या प्लेटफॉर्म श्रमिक के रूप में कार्यरत न हों तो उसका पंजीकरण समाप्त हो जाएगा।
- (ख) प्रत्येक समूहक मासिक या ऐसी अन्य आवधिकता में और यथानिर्दिष्ट रूप में, राज्य सरकार को इलेक्ट्रॉनिक रूप में अपने गिग श्रमिकों या प्लेटफॉर्म श्रमिकों की जानकारी का विवरण देगा।
- (5) **धारा 114 के तहत अधिसूचित सामाजिक सुरक्षा योजना के सुचारू संचालन में संबंधित कोई अन्य मामला** —धारा 2 की उप-धारा (2) के तहत परिभाषित प्रत्येक समूहक, केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए अनुसार सुविधा पोर्टल या किसी अन्य पोर्टल पर पंजीकरण करेगा।

अध्याय IX

वित्त तथा लेखा

52. उप धारा (1) के अधीन किसी चल अथवा अचल संपत्ति को हासिल करने, बेचने, रखने अथवा अन्य किसी स्थिति के लिये षर्तें, उपधारा (2) के अधीन पूंजी निवेश पुनः निवेश अथवा निवेश वसूल करने संबंधी षर्तें, उपधारा (3) के तहत ऋण प्राप्त करने एवं इस प्रकार की ऋण अदायगी हेतु उपायों संबंधी षर्तें, धारा 120 की उप-धारा (4) के अधीन अधिकारियों एवं स्टाफ अथवा उनके किसी वर्ग के लाभ हेतु भविष्य अथवा अन्य पेंशन योजना अथवा बीमा योजना में यथानिर्धारित रूप से विनिर्दिष्ट किया जायेगा नियम के मामले में अध्याय IV तथा अध्याय IX में इन नियमों को विनिर्दिष्ट किया गया है।
53. धारा 121 के तहत देवताओं को बट्टे खाते में रखने की शर्तें और तरीके—(1) जहां निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का विचार है कि निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड को देया अंशदान, उपकर, ब्याज और हर्जाना की राशि की वसूली संभव नहीं है तो इस संबंध में नियम या राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या इसके द्वारा अधिकृत कोई अन्य अधिकारी निम्नलिखित शर्तों के अधीन, उक्त राशि को बट्टे खाते में डालने को मंजूरी दे सकता है;—
- (i) प्रतिष्ठान को पांच साल से अधिक समय से बंद कर दिया गया है और सभी संभावित प्रयासों के बावजूद नियोक्ता का पता नहीं लगाया जा सकता है;
- (ii) निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड द्वारा प्राप्त फैसले को दोषी नियोक्ता की पर्याप्त संपत्ति की कमी के कारण सफलतापूर्वक कार्यान्वित नहीं किया जा सका; था.
- (iii) निम्नलिखित द्वारा अंशदान की पूर्ति पूर्ण रूप से नहीं की गई है —
- (क) दिवालियापन की स्थिति में कारखानों/प्रतिष्ठानों के मामले में परिसमापक अधिकारी द्वारा, या
- (ख) इकाई का राष्ट्रीयकरण या सरकार द्वारा अधिग्रहण किए जाने की स्थिति में भुगतान आयुक्त द्वारा।
- (2) भविष्य निधि, पेंशन अथवा बीमा निधि के मामले में इस प्रकार के बट्टे खाते को भविष्य निधि योजना अथवा पेंशन योजना अथवा बीमा योजना जैसा की मामला हो, में विनिर्दिष्ट किया जायेगा।
54. धारा 155 की उप-धारा (2) के खंड (जेडडब्ल्यू) के अधीन नियम—(1) लेखों का रख रखाव—निगम द्वारा पूर्ण और सटीक खातों का रख-रखाव इस प्रकार किया जाएगा जैसाकि समय-समय पर स्थायी समिति द्वारा केंद्र सरकार के अनुमोदन सहित निर्दिष्ट किया जाये। प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को वही खाते संतुलित किए जाएंगे।
- (2) राजस्व लेखा—निगम 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए राजस्व लेखा तैयार करेगा और 31 मार्च तक की बैलेंस शीट 31 मई तक तैयार करेगा;
- बषर्तें कि निगम के आवेदन पर, केंद्र सरकार उक्त निधि को तीस दिनों से अधिक नहीं बड़ा सकेगी।
- बषर्तें कि निगम और यदि केंद्र सरकार द्वारा आवश्यक समझा जाये तो किसी अन्य अवधि के लिए या किसी अन्य निधि को राजस्व लेखा और बैलेंस शीट तैयार करने का कारण दे सकता है।
- (3) राज्य के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के समक्ष खातों को प्रस्तुत किया जाना—वित्त वर्ष के अंत में वार्षिक खातों को तैयार किया जायेगा तथा जांच हेतु प्रत्येक संबंधित वर्ष की 15 जून को या उसके पहले राज्य के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के समक्ष रखा जायेगा;
- बषर्तें कि निगम के आवेदन पर केंद्र सरकार उक्त निधि को तीन दिनों से अधिक नहीं बड़ा सकेगी।
- (4) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट—वार्षिक लेखा पर भारत के नियंत्रक और महालेखाकार की रिपोर्ट केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट निधि और रूप में निगम को प्रस्तुत की जाएगी और वे वर्णित करेंगे कि क्या उनकी राय में बैलेंस शीट एक पूर्ण और निष्पक्ष बैलेंस शीट है, जिसमें सभी आवश्यक विवरण शामिल हैं और इसे ठीक से तैयार किया गया है ताकि निगम के मामलों की स्थिति के बारे में यथार्थ और उचित दृष्टिकोण प्रदर्शित किया जा सके और यदि किसी मामले में निगम या उसके किसी अधिकारी से स्पष्टीकरण या जानकारी मांगी गई है तो क्या यह प्रदान की गयी है और क्या यह संतोषजनक है—
- (5) रिपोर्टों पर विचार करना—(क) निगम के कार्य और गतिविधियों संबंधी वार्षिक रिपोर्ट (उसमें शामिल वर्ग के लिए लेखापरीक्षण न किये गये खातों को छोड़कर) पर स्थाई समिति द्वारा किया जाएगा और संबंधित वित्तीय वर्ष के समापन पर 10 दिसंबर से पूर्व हाने वाली निगम की बैठक में इसे अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।
- (ख) वित्तीय वर्ग से संबंधित वार्षिक खातों को वित्त आयुक्त और महानिदेशक द्वारा विधिवत् प्रमाणित और स्थायी समिति द्वारा अनुमोदन के बाद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के समक्ष लेखा परीक्षण हेतु प्रस्तुत

किया जायेगा तथा और लेखा परीक्षित खातों को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट सहित संबंधित वित्तीय वर्ष के समापन पर 10 दिसंबर से पूर्व होने वाली निगम की बैठक में इसे अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा;

बर्षतः कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट संबंधिक वर्ष के बीस नवंबर तक प्राप्त हो जाये।

- (6) **वार्षिक खातों और रिपोर्टों का प्रमाणीकरण और प्रस्तुत करना**— वार्षिक लेखों तथा उन पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट और निगम द्वारा किए गए कार्य और गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट को एक साथ निगम की सामान्य मुहर लगाकर प्रमाणित किया जाएगा। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर निगम की टिप्पणियों के साथ उसकी चार प्रतियों को संसद के सामने रखे जाने हेतु केंद्र सरकार को संबंधित वित्तीय वर्ष के अंत में 20 दिसंबर में पूर्व प्रस्तुत किया जायेगा;

बर्षतः कि अगर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट संबंधित वर्ष में 20 नवंबर तक प्राप्त नहीं हो पाती है, तो वार्षिक लेखा खातों को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ केंद्र सरकार की अलग से प्रस्तुत किया जायेगा जिसमें निगम के कार्य और गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट शामिल नहीं होगी।

- (7) **लेखा परीक्षा की लागत** — केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट की गई तारीख तक लेखा परीक्षा की लागत का भुगतान निगम द्वारा किया जाएगा।

- (8) **खातों में अनुपयुक्तता या अनियमितता**— (क) लेखापरीक्षक यदि आवश्यक हो तो निगम और केंद्र सरकार को एक अलग विवरण प्रस्तुत करेंगे जो निम्नलिखित के संबंध में होगा—

- (i) कोई भी महत्वपूर्ण अनुपयुक्तता या अनियमितता जो वे व्यय में, या निगम के खातों में या उसके कारण धन की वसूली में देखे; या

- (ii) निगम में निहित या निगम की किसी भी प्रकार की धनराशि या सम्पत्ति की हानि या बर्बादी जो किसी की लापरवाही या कदाचार के कारण हुई है, उन व्यक्तियों के नाम के साथ जो उनके विचार से इस तरह कि हानि या बर्बादी के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार हैं।

- (ख) स्थायी समिति लेखापरीक्षकों द्वारा बताई गई किसी भी कमी या अनियमितता को दूर करेगी, और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त होने के नब्बे दिनों के भीतर केंद्र सरकार को उसके द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी;

बर्षतः कि अगर स्थायी समिति तथा लेखापरीक्षकों के बीच विचारों की भिन्नता हो या स्थायी समिति किसी कमी या अनियमितता हेतु एक पर्याप्त समय में कोई समाधान न दे सके तो इस प्रकार की स्थिति में केंद्र सरकार विशेषरूप से इस संदर्भ में जैसाकि वा उचित समझे कोई आदेश पारित कर सकती है तथा स्थायी समिति इसके पश्चात इसके अनुरूप केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट समय-सीमा के अन्तर्गत कार्रवाई कर सकती है।

- (9) **उपगत व्यय हेतु प्रतिबंध तथा हानि या कमी हेतु अधिकभार**— (क) स्थायी समिति या इसकी ओर से प्राधिकृत कोई प्राधिकारी, संबंधित व्यक्ति को स्पष्टीकरण का अवसर देने के बाद तथा इस तरह के स्पष्टीकरण पर विचार करने के उपरांत कोड या नियमों या इनके अन्तर्गत बनाये गये विनियमों के प्रावधानों के विपरीत बने किसी लेखा मद को अस्वीकार कर सकता है तथा इस प्रकार के खाते का भुगतान करने वाले या भुगतान को प्राधिकृत करने वाले व्यक्ति पर अतिप्रभार लगा सकता है और उस व्यक्ति की लापरवाही या दुराचार द्वारा उपगत राशि की कमी या हानि या ऐसी किसी राशि को जिसे खाते में लाया जाना चाहिये था परंतु उस व्यक्ति द्वारा ऐसा नहीं किया गया, लेखांकन वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध चार्ज करेगा और इस प्रकार के प्रत्येक मामले में इस प्रकार के व्यक्ति हेतु देय राशि को प्रमाणित करेगा;

बर्षतः कि स्थायी समिति द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा बनाया गया कोई भी प्रमाण पत्र तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक इसे स्थायी समिति द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है।

- (ख) स्थायी समिति, उसके द्वारा बनाए गए या स्वीकृत किए गए प्रत्येक अस्वीकृती, अधिभार या प्रभार के लिए अपने कारणों को लिखित में दर्ज करेगी और उस देय राशि के संबंध में प्रमाण पत्र और उस व्यक्ति पर अपने निर्णय के कारणों की एक प्रति जारी करेगी जिसके खिलाफ प्रमाणपत्र तैयार किया गया है और केंद्र सरकार को भी उसकी प्रतियां उपलब्ध कराई जाएंगी।

- (ग) उप-नियम (9) के तहत बनाए गए प्रमाण पत्र से असंतुष्ट कोई व्यक्ति, खंड (ख) उप-नियम (9) के तहत इस प्रमाण पत्र के जारी होने की तारीख में क महीने के भीतर, अस्वीकृति, अधिभार या प्रभार की खारिज प्रस्तुत करने के लिए, जिसके संबंध में प्रमाण पत्र बनाया गया था, केंद्रीय सरकार को एक आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

- (घ) खंड (ग) के तहत या अपने स्वयं के प्रस्ताव के तहत आवेदन प्राप्त होने पर, केंद्र सरकार आवश्यक जांच करवाने के लिए स्थायी समिति को प्राधिकृत करेगा।

संबंधित आदेश पारित कर सकती है, और स्थायी समिति केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए गए समय के भीतर ऐसे आदेश के अनुसार कार्रवाई करेगी।

- (ड) केंद्र सरकार आदेश द्वारा सीधे निर्देश दे सकती है कि इस नियम के तहत बनाए गए प्रमाण पत्र के तहत आगे की समस्त कार्रवाई तब तक बाधित रहेगी, जब तक की खंड (ड) के तहत लंबित मामले का निपटान नहीं हो जाता।
- (10) **देय राशि की वसूली**— (क) स्थायी समिति द्वारा किसी भी व्यक्ति की ओर से देय राशि प्रमाणित कर दी गई है या यदि केंद्र सरकार द्वारा प्रमाण पत्र को संशोधित किया गया है, तो ऐसे व्यक्ति से संशोधित प्रमाण पत्र में दर्शाई देय राशि का भुगतान ऐसे व्यक्ति द्वारा स्थायी समिति द्वारा उसे जारी प्रमाण पत्र के तीन महीने के भीतर या केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत दी गई किसी लंबी अवधि के भीतर निगम को करना होगा ऐसी किसी राशि का भुगतान नहीं किया गया है, तो उसे भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा।
- (ख) भुगतान या वसूल की गई किसी राशि या किसी ऐसी राशि का हिस्सा जिसके संबंध में प्रमाण-पत्र खारिज या संशोधित किया गया है, जैसी भी आवश्यकता हो, को आंशिक या पूर्ण रूप से व्यक्ति को वापिस किया जायेगा जिसने यह भुगतान किया है।

अध्याय X

प्राधिकार, मूल्यांकन, अनुपालन तथा वसूली

55. खंड (क) के तहत रिकॉर्ड और रजिस्टर और अन्य विवरणों और ब्योरों के रखरखाव के लिए फार्म और तरीके, खंड (ख) के तहत कर्मचारियों के कार्य स्थानों पर नोटिस प्रदर्शित करने के तरीके और धारा 123 के खंड (घ) के तहत प्राधिकारी और अधिकारियों को रिटर्न दाखिल करने के तरीके और अवधि (1) महिला कर्मचारियों का रजिस्टर। — (क) प्रत्येक प्रतिष्ठान का नियोक्ता जिसमें महिलाएं कार्यरत हैं, वे फार्म XXII में इलेक्ट्रॉनिक रूप से या हार्ड कॉपी में महिला श्रमिकों के एक रजिस्टर को तैयार करेगा और रख-रखाव करेगा। जिसमें प्रतिष्ठान की सभी महिला श्रमिकों की संख्या और विवरण दर्ज होंगे।
- इसके अलावा, यह हमेशा निरीक्षक-सह-फेसिलिटेटर के लिए अधिसूचित निरीक्षण योजना के तहत निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा।
- (ख) नियोक्ता महिला श्रमिकों के संबंध में अन्य विवरण भी दर्ज करेगा जोकि कोड के किसी अन्य उद्देश्य के लिए आवश्यक हो
- (2) **अभिलेख** — कोड के अध्याय V के प्रावधानों के तहत रखे गए अभिलेख और उसके तहत तैयार नियमों को उनकी तैयारी की तारीख से दो साल की अवधि के लिए संरक्षित किया जाएगा।
- (3) **वार्षिक रिटर्न** — (क) वह नियोक्ता जिसके लिए अध्याय V के प्रावधान लागू होते हैं प्रत्येक वर्ष फरवरी के प्रथम दिन या इससे पूर्व केंद्र सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के वेब पोर्टल पर ऑनलाइन-XXIII में पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में निर्दिष्ट विवरणों की जानकारी देते हुए एकीकृत वार्षिक रिटर्न अपलोड करेगा: बशर्ते कि निरीक्षण के दौरान, निरीक्षक-सह-फेसिलिटेटर खातों, पुस्तकों, रजिस्टर और अन्य दस्तावेजों की मांग कर सकता है जिनका रख-रखाव इलेक्ट्रॉनिक रूप में या किसी अन्य किसी रूप से किया जाता है। स्पष्टीकरण I — इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "इलेक्ट्रॉनिक रूप" का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 की 21) की धारा 2 के खंड (आर) में वर्णित है।
- (ख) यदि वह नियोक्ता जिस पर कोड लागू होता है, प्रतिष्ठान को बेच देता है, त्याग देता है या बंद कर देता है, तो, इस तरह की बिक्री या परित्याग की तारीख के एक महीने के भीतर या इस तरह के छूट की तारीख के चार महीने के भीतर, जैसी भी स्थिति हो, श्रम मंत्रालय में राज्य सरकार के वेब पोर्टल पर खंड (क) से संदर्भित फार्म XXIII में एकीकृत ऑनलाइन रिटर्न अपलोड करेगा जोकि पूर्ववर्ती वर्ष के अंत तथा बिक्री, परित्याग या छूट की तारीख के बीच की अवधि के संबंध में होगी।

अध्याय XI

अपराध एवं शास्तियाँ

56. धारा 138 की उप-धारा (1) के अधीन निर्दिष्ट प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अपराधों के शमन का तरीका तथा 138 की उप-धारा (4) के अधीन एक अपराध को शमन करने के लिये आवेदन का तरीका—(1) धारा 138 की उप-धारा (1) के अधीन अपराधों के शमन के उद्देश्यों हेतु अधिसूचना द्वारा केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी फॉर्म-XXIV में उन अपराधों के लिये इलैक्ट्रॉनिक रूप से शमन नोटिस भेजेगा जो धारा 138 के अधीन शमनीय हैं।
- (2) वह व्यक्ति जिसे इस प्रकार का नोटिस दिया गया, फॉर्म-XXIV के भाग III में इलैक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन करेगा तथा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर इलैक्ट्रॉनिक या किसी अन्य रूप से समस्त शमनीय राशि को जमा करवायेगा।
- (3) कंपाउंडिंग अधिकारी, कंपोजीषन राशि प्राप्त होने के दस दिनों के भीतर फॉर्म-XXIV के भाग IV में ऐसे व्यक्ति को कंपोजीषन प्रमाण-पत्र जारी करेगा, जिससे यह राशि कंपोजीषन नोटिस की प्राप्ति के बाद में प्राप्त हुई हो।
- (4) यदि वह व्यक्ति जिसे नोटिस भेजा गया है, निर्धारित समय के भीतर कंपोजीषन राशि जमा करने में विफल रहता है, तो सक्षम न्यायालय के समक्ष या उस अपराध के संबंध में ऐसे व्यक्ति के खिलाफ नोटिस जारी किया गया था, अभियोजन शुरू किया जाएगा।
- (5) अभियोजन शुरू होने के बाद समझौता—(क) कोर्ट कोड की धारा 138 के अधीन एक शिकायत दायर करने के उपरांत किसी भी समय किसी भी शमनीय अपराध को माफ कर सकता है।
- (ख) दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 320 के प्रावधान ऐसे समझौतों पर लागू होंगे।

अध्याय XII

विविध

59. धारा 141 की उप-धारा (4) के तहत सामाजिक सुरक्षा कोष की स्थापना और प्रशासन का तरीका: (1) धारा 141 की उप-धारा (1) के तहत प्राप्त सभी निधियों को एक अलग खाते(तों) में जमा किया जाएगा और सामाजिक सुरक्षा कोष कहलाएंगे और असंगठित श्रमिकों, गिग श्रमिकों और प्लेटफार्म श्रमिकों के लिए धारा 109 और 114 के तहत अधिसूचित योजना(ओं) के सभी खर्चे इस कोष से किए जाएंगे।
- (2) केन्द्र सरकार समय-समय पर सामाजिक सुरक्षा कोष के प्रारंभिक वित्तपोषण/पूर्ति हेतु स्रोत(तों) की पहचान करेगी।
- (3) केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए अनुसार कोष को इस प्रयोजन हेतु नियत की गई एजेंसी के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा प्रशासित किया जाएगा।
- (4) सामाजिक सुरक्षा कोष के प्रशासन हेतु नियत की गई एजेंसी के द्वारा केन्द्र सरकार के निर्देशों, यदि कोई हो तो, का अनुपालन किया जाएगा।
- (5) एजेंसी द्वारा सामाजिक सुरक्षा कोष के खातों के विवरण को केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किए तरीके और प्रपत्र(त्रों) के अनुसार रखा जाएगा और समय-समय पर केन्द्र सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा।
- (6) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा सामाजिक सुरक्षा कोष के खातों का ऑडिट किया जाएगा।
60. उप-धारा (1) के तहत छूट देने से पहले पूरी की जाने वाली पात्रता की शर्तें और छूट के बाद अनुपालन की जाने वाली शर्तें; और धारा 143 की उप-धारा (3) के तहत छूट की विस्तार अवधि:-
- (1) एक प्रतिष्ठान जो कि कोड की धारा 143 के तहत छूट पाना चाहता है, को छूट से पूर्व निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना आवश्यक होगा:
- (क) इस तरह के प्रतिष्ठान के कर्मचारी, कोड के अध्याय III के तहत योजना में दिए गए लाभों या अध्याय IV के तहत उपलब्ध लाभों, जैसा भी मामला हो, के समान या उससे बेहतर लाभों को प्राप्त करते हों; और
- (ख) छूट की मांग करने वाले प्रतिष्ठान को इलेक्ट्रॉनिक या अन्य प्रकार से आवेदन करना होगा;

- (ग) आवेदन करने से ठीक पहले तीन साल की अवधि के लिए प्रतिष्ठान नियमित रूप से कोड के अध्याय **III** के प्रावधानों या कर्मचारियों के भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के प्रावधानों; या कोड के अध्याय **IV** के प्रावधानों या कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम, 1948 (1948 का 34) के प्रावधानों, जैसा भी मामला हो, का अनुपालन कर रहा हो और ऐसी अवधि के दौरान संबंधित अध्यायों के तहत देय भुगतान में चूक नहीं की गई हो;
- (घ) कोड की धारा 143 के तहत छूट मांगने वाले प्रतिष्ठान में इस तरह के आवेदन की तारीख पर कोड के अध्याय **III** के प्रयोजनों के लिए न्यूनतम पांच सौ अंशदायी सदस्य या कोड के अध्याय **IV** के प्रयोजनों के लिए न्यूनतम पांच सौ कर्मचारी, जैसा भी मामला हो, होने चाहिए;
- (ङ) कोड की धारा 15 के तहत निर्धारित पेंशन योजना या भविष्य निधि योजना के प्रावधानों से छूट की मांग करने वाले प्रतिष्ठान के पास, छूट मांगी गई योजना के संबंध में पचास करोड़ रुपये या उससे अधिक की संचित निधि होनी चाहिए;
- (च) अध्याय **III** के प्रयोजनों हेतु कोड की धारा 143 के तहत छूट मांगने के लिए प्रतिष्ठान, कर्मचारियों के बहुमत संबंधी सहमति प्रस्तुत करेगा;
- (छ) छूट की मांग करने वाले प्रतिष्ठान के पास आवेदन की तारीख से पूर्व विगत प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान सकारात्मक निवल संपत्ति होनी चाहिए;
- (ज) कोड के संबंधित डेटा-बेस में, प्रतिष्ठान को अध्याय **III** के प्रयोजनों के लिए संबंधित सदस्यों के खाते में या अध्याय **IV** के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक बीमित सदस्य और उसके पारिवारिक सदस्यों के खाते में, जैसा भी मामला हो, प्रत्येक सदस्य का आधार नंबर रखना चाहिए; तथा
- (झ) कोड के अध्याय **III** के प्रयोजनों के लिए, प्रतिष्ठान दावों के ऑनलाइन निपटान हेतु सुविधाएं प्रदान करेगा और छूट प्रदान करने के 90 दिनों के भीतर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के साथ संबंध रखने वाली शिकायतों के समाधान के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाएगा।
- (2) कोड की धारा 143 के तहत छूट प्रदान करने वाली अधिसूचना जारी की जाएगी जिससे कि वह अधिसूचना की तारीख से प्रभावी हो सके और इसमें अन्य नियम और शर्तें होंगी जिनका प्रतिष्ठान और/या नियोक्ता द्वारा, जैसा भी मामला हो, अनुपालन किया जाएगा।
- (3) (क) छूट की समाप्ति से न्यूनतम छह महीने पहले निर्दिष्ट पोर्टल पर कोड की धारा 143 के तहत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया जाएगा।
- (ख) अध्याय **IV** के प्रावधान से किसी प्रतिष्ठान को दी गई छूट सक्षम सरकार के द्वारा एक समय में पांच साल की अवधि के लिए इस शर्त के अधीन विस्तारित की जा सकती है कि प्रतिष्ठान, नियम 60 के उप-नियम (1) के खंड (घ) को छोड़कर नियम 60 के उप-नियम (1) में निर्दिष्ट प्रासंगिक शर्तों को पूरा करता रहेगा।
- (ग) निगम के पूर्व परामर्श के बिना अध्याय **IV** के प्रावधान से कोई छूट विस्तारित नहीं की जाएगी। आवेदन प्राप्त होने के तीन महीने के भीतर निगम, सक्षम सरकार को अपने विचार प्रस्तुत करेगा व ऐसा न होने की स्थिति में सक्षम सरकार जैसा भी ठीक समझेगी, छूट के विस्तार पर निर्णय लेगी।
- (घ) भविष्य निधि योजना या पेंशन योजना या बीमा योजना के संबंध में दी गई छूट, जैसा भी मामला हो, को ऐसी अवधि के लिए और ऐसी नियमों और शर्तों के अनुसार बढ़ाया जा सकता है जो कि संबंधित योजनाओं में निर्दिष्ट की गई हो।

61. धारा 143 की उप-धारा (1) के तहत वह समय जिसके भीतर केंद्रीय बोर्ड या निगम, जैसा भी मामला हो, उपयुक्त सरकार को अपना दृष्टिकोण अग्रेषित करेगा—केंद्रीय बोर्ड या निगम, जैसा भी मामला हो, कोड की धारा 143 के तहत छूट की मांग करने वाले आवेदन पर अपने विचार सक्षम सरकार को छूट के लिए प्रस्ताव प्राप्त होने के छह महीने के भीतर अग्रेषित करेगा। यदि केंद्रीय बोर्ड या निगम, जैसा भी मामला हो, उक्त अवधि के भीतर अपने विचार प्रदान करने में असमर्थ रहता है, तो उपयुक्त सरकार समय-सीमा का विस्तार कर सकती है या छूट के आवेदन पर कार्रवाई, जैसा भी ठीक समझे, कर सकती है।
62. धारा 143 की उप-धारा(2) के तहत छूट के बाद वे शर्तें जिन्हें छूट प्राप्त प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठानों का वर्ग या कर्मचारियों का वर्ग, जैसा भी मामला हो, अनुपालन करेगा—
- (1) कोड के अध्याय के प्रावधान से छूट प्राप्त प्रतिष्ठान:
- (क) विनियमों में निर्दिष्ट किए गए अनुसार छूट दिए गए कर्मचारियों के संबंध में इस तरह के रिकॉर्ड बनाए रखेगा और निगम को ऐसी रिटर्न और अन्य जानकारी प्रस्तुत करेगा; तथा
- (ख) विलय, डीमर्जर, अधिग्रहण, बिक्री, समामेलन, सहायता रूपांतरण, चाहे पूर्ण स्वामित्व हो या नही, आदि के कारण ऐसे किसी प्रतिष्ठान जिसे कोड की धारा 143 के तहत छूट दी गई है, की कानूनी स्थिति में हुए परिवर्तन के मामले में छूट को रद्द समझा जाएगा और छूट के लिए प्रतिष्ठान को सक्षम सरकार के पास फिर से नया आवेदन करना होगा।
- (2) अध्याय के प्रयोजनों के लिए, प्रतिष्ठान और/या नियोक्ता, छूट प्राप्ति के बाद, भविष्य निधि योजना या पेंशन योजना या बीमा योजना, जैसा भी मामला हो, में निर्दिष्ट कोड की धारा 15 के तहत बनाए गए सभी नियमों और शर्तों का अनुपालन करेगा।
63. धारा 143 की उप-धारा (5) के तहत ट्रस्ट के प्रबंधन के लिए शर्तें, जिसे अध्याय III के तहत धारा 143 की उप-धारा (1) के तहत छूट प्रदान की गई है—(1) भविष्य निधि या पेंशन फंड के प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार या केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, जैसा भी मामला हो, के द्वारा समय-समय पर दिए गए इस तरह के निर्देशों के अनुसार एक न्यासी बोर्ड की स्थापना की जाएगी।
- (2) भविष्य निधि योजना या पेंशन योजना, जैसा भी मामला हो, में निर्धारित किए अनुसार न्यासी बोर्ड में नियोक्ता और कर्मचारी प्रत्येक के बराबर संख्या में प्रतिनिधि होंगे।
- (3) छूट प्राप्त ऐसे प्रतिष्ठान का नियोक्ता, न्यासी बोर्ड का अध्यक्ष होगा। वोटों के बराबर होने की स्थिति में अध्यक्ष एक वोट डाल सकता है। हालांकि, न्यासी बोर्ड की सभी बैठकों में अध्यक्ष द्वारा सिद्धांतों को बनाए रखा जाएगा।
- (4) न्यासी बोर्ड प्रत्येक तीन महीनों में कम से कम एक बार बैठक करेगा और केंद्र सरकार या केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले दिषानिर्देशों के अनुसार कार्य करेगा।
- (5) ट्रस्टियों के कार्यालय के कार्यकाल सहित नियम और शर्तों को कर्मचारियों के प्रतिनिधियों और न्यासी बोर्ड के नियोक्ताओं के चुनाव या नामांकन के लिए प्रक्रिया और तरीके, ट्रस्टीशिप की समाप्ति और अपात्रता, फिर से चुनाव या न्यासियों का फिर से नामांकन, बोर्ड की बैठक में कोरम, व्यवसाय के लेन-देन का रिकॉर्ड रखना और ट्रस्ट के प्रबंधन के लिए अन्य सभी मामलों और शर्तों को भविष्य निधि योजना या पेंशन योजना, जैसा भी मामला हो, के अनुसार प्रदान किया जाएगा।
- (6) इन नियमों और शर्तों के दायरे में किसी भी सामान्य मुद्दे पर किसी प्रकार के विवाद या संदेह के मामले में, मामला क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को भेजा जाएगा, जिसके अधिकार क्षेत्र में प्रतिष्ठान का मुख्य कार्यालय है। इस मामले में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

64. धारा 155 की उप-धारा (2) के खंड (यफ) के अंतर्गत महानिदेशक, श्रम ब्यरो के कार्यालय को फार्म की एक प्रति भेजना-फार्म V(उपदान के दावे के भुगतान/अस्वीकार करने संबंधी सूचना) की एक प्रति महानिदेशक, श्रम ब्यरो को ऑटो मॉड में इलेक्ट्रॉनिक रूप से साझा किया जाएगा।

प्रपत्र-I

[देखें नियम 14 (2)(ए)]

सामाजिक सुरक्षा कोड, 2020 की धारा 23 के तहत अपील

मामले का शीर्षक:-

अपील

सूची

क्र.सं.

दस्तावेज का विवरण

पृष्ठ सं.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

आवेदक के हस्ताक्षर

अधिकरण कार्यालय में प्रयोग हेतु

प्रस्तुतीकरण की तिथि (या)

डाक द्वारा प्राप्ति की तिथि

पंजीकरण सं.

रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर

केंद्र सरकार औद्योगिक अधिकरण में

मध्य

ए.बी.

अपीलकर्ता

बनाम

सी.डी.

प्रतिवादी

अपील का विवरण

1. अपीलकर्ता का विवरण:

- (i) अपीलकर्ता का नाम
- (ii) कार्यालय का पता
- (iii) नोटिस भेजने का पता

2. प्रतिवादी का विवरण:

- (i) प्रतिवादी का नाम
- (ii) कार्यालय का पता
- (iii) नोटिस भेजने का पता

3. अपील किए गए आदेश/अधिसूचना का विवरण अपील निम्न आदेश/अधिसूचना के विरुद्ध की गई है—

- (i) अनुलग्नक के संदर्भ में आदेश/अधिसूचना सं.
- (ii) तिथि
- (iii) द्वारा पारित
- (iv) संक्षिप्त विषय

4. अधिकरण का क्षेत्राधिकार: अपीलकर्ता यह घोषणा करता है कि जिस मामले के खिलाफ वह निवारण चाहता है, उसका विषय अधिकरण के अधिकार क्षेत्र में है।

5. सीमा – अपीलकर्ता आगे यह घोषणा करता है कि अपील सामाजिक सुरक्षा कोड, 2020 की धारा 127 में निर्धारित सीमा के अंतर्गत है।

6. मामले के तथ्य: मामले के तथ्य नीचे दिए गए हैं:

(कालानुक्रमिक क्रम में यहां तथ्यों का संक्षिप्त विवरण दें, जहां तक संभव हो, प्रत्येक पैराग्राफ में एक अलग मुद्दा, तथा या कुछ और)

7. किए जा चुके उपायों का विवरण—अपीलकर्ता यह घोषणा करता है कि उसने कोड के तहत उपलब्ध सभी उपायों का लाभ उठा लिया है।
8. पहले से दायर नहीं किए गए या किसी अन्य अदालत के पास गैर—लंबित मामले—अपीलकर्ता आगे यह घोषणा करता है कि उसने पहले किसी भी कानूनी अदालत या किसी अन्य प्राधिकारी या अधिकरण की किसी अन्य पीठ के समक्ष अपील किए गए मामलों के संबंध में कोई अपील, रिट याचिका या मुकदमा दायर नहीं किया है, और ना ही ऐसी कोई अपील, रिट याचिका या मुकदमा उनमें से किसी के समक्ष लंबित है।

यदि अपीलकर्ता ने पहले कोई अपील, रिट याचिका या मुकदमा दायर किया है, तो जिस चरण में वह लंबित है और यदि निर्णय हो चुका है, तो निर्णय का सार अनुलग्नक के संदर्भ सहित दिया जाना चाहिए।

9. मांक की गई राहत(तें) – ऊपर पैरा 6 में वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित राहत(ओं) के लिए अपीलकर्ता अनुरोध करता है:—

(राहत(ओं) के लिए आधार की व्याख्या करते हुए राहत(ओं) और कानूनी प्रावधान (यदि कोई हो) जिन्हें अपनाया गया है, को नीचे निर्दिष्ट करें।

10. अंतरिम आदेश, यदि किसी के लिए अनुरोध किया गया हो— अपील पर लंबित अंतिम निर्णय की वजह से आवेदक अगले अंतरिम आदेश को जारी करने हेतु कह सकता है—

(अनुरोध किए गए अंतरिम आदेश की प्रकृति को यहां कारणों सहित बताएं)

11. पंजीकृत डाक से भेजी गई अपील की स्थिति में, यह पूछा जा सकता है कि क्या अपीलकर्ता प्रवेश चरण में मौखिक सुनवाई का इच्छुक है या नहीं और यदि हां तो वह स्वयं के पते वाला पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र संलग्न करेगा, जिस पर सुनवाई की तारीख के संबंध में सूचना उसे भेजी जा सके।

12. अपील शुल्क के संबंध में बैंक ड्राफ्ट/पोस्टल ऑर्डर का विवरण:

1. बैंक का नाम, जिस पर आहरित किया गया है
2. डिमांड ड्राफ्ट संख्या (या)
3. ऑनलाइन फंड ट्रांसफर का विवरण

13. संलग्नकों की सूची

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

मैं, (अपीलकर्ता का नाम), पुत्र, पुत्री, पत्नी
, आयु
 का निवासी के कार्यालय
 में के तौर पर कार्यरत हूँ व एतद्वारा सत्यापित करता/ती हूँ कि पैरा
 से की सामग्री मेरी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सही है। पैरा से कानूनी
 परामर्श के अनुसार सही है और मैंने किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को छुपाया नहीं है।

अपीलकर्ता के हस्ताक्षर

तिथि:

स्थान:

सेवा में

रजिस्ट्रार

प्रपत्र-II

{देखें नियम 14 (2)(सी)}

रसीद पर्ची

एतद्वारा, श्री/श्रीमती/सुश्री जो कि
 में/के लिए कार्यरत हैं और
 के निवासी हैं, के द्वारा केंद्र सरकार औद्योगिक अधिकरण में
 दायर की गई अपील की रसीद प्रदान की जाती है।

रजिस्ट्रार हेतु

केंद्र सरकार औद्योगिक अधिकरण

तिथि:

मोहर:

प्रपत्र-III

[(नियम 34 (1), (2) (3) और (4) देखें)]

नामांकन/नया नामांकन/नामांकन में संशोधन

(जो शब्द लागू न हो काट दें)

सेवा में

(यहां प्रतिष्ठान का नाम या विवरण पूरे पते के साथ लिखें)

मैं, श्री/श्रीमती/कुमारी (यहां पूरा नाम लिखें) जिसका विवरण नीचे अभिव्यक्त किया गया है, एतद्वारा नीचे उल्लेखित व्यक्ति (यों) को/सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 2 के खंड (33) के अर्थ में अपनाए गए परिवार को (यहां तारीख लिखें) से निम्नलिखित इंगित तरीके से नामित करता/करती हूँ और इसलिए नीचे उल्लेखित व्यक्ति (यों) को मेरी मृत्यु के उपरांत देय उपदान और साथ ही मेरी मृत्यु की स्थिति में मुझे क्रेडिट होने वाले उपदान की राशि जो मुझे देय हो गई है, या देय होने का भुगतान नहीं किया गया है और उक्त उपदान राशि को नामिति/यों को उनके नाम के आगे दर्शाये गए अनुपात में बांट दी जाने का निर्देश देता/देती हूँ।

या

मैं, श्री/श्रीमती/कुमारी (यहां पूरा नाम लिखें) जिसका विवरण नीचे अभिव्यक्त किया गया है एतद्वारा सूचित किया जाता है कि मेरे द्वारा दिनांक को नामांकन भरा गया है तथा आपके दिनांक..... के संदर्भ संख्या के तहत रिकार्ड किए गए को निम्नानुसार संशोधित किया जाए—

* अनावश्यक भाग को काट दें।

2. मैं एतद्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि उल्लेखित व्यक्ति (यों) सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 2 के खंड (33) के अर्थ में मेरे परिवार का/के सदस्य (ये) हैं।
3. मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उक्त संहिता की धारा 2 के खंड (33) के अर्थ में मेरा कोई परिवार इसके अंतर्गत नहीं है।
4. (क) मेरे पति/माता/माता-पिता/मुझ पर निर्भर नहीं है।
(ख) मेरे पति के पिता/माता/माता-पिता मेरे पति पर निर्भर नहीं है।
5. मैंने उपरोक्त संहिता की धारा (2) के खंड (33) की शर्तों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी को दिनांक को दिए नोटिस के द्वारा अपने परिवार से अपने पति को अलग कर दिया है।
6. यह नामांकन मेरे पुराने नामांकन का निरस्त कर देगा।

नामिति

क्र.सं.	नामिति/यों का पूरा नाम एवं पता	कर्मचारी से संबंध	नामिति की आयु	उपदान साझा करने के लिए अनुपात
1.				
2.				
3.				

“एक परिवार” को अपनाने का तरीका

(यहां इस बात का विवरण दें कि एक परिवार को कैसे अपनाया गया था, अर्थात विवाह या माता-पिता द्वारा आश्रित होने या अन्य प्रक्रिया जैसे गोद लेना के माध्यम से)

विवरणी

1. कर्मचारी का पूरा नाम
2. लिंग
3. धर्म
4. क्या आप अविवाहित/विवाहित/विधवा/विधुर हैं
5. विभाग/षाखा/अनुभाग जहां तैनात हैं
6. पदनाम के साथ टिकट या क्रमांक संख्या, यदि कोई हो
7. नियुक्ति की तारीख
9. स्थायी पता:

गांव थाना..... उप प्रभाव

डाकघर..... जिला..... राज्य.....

ईमेल आईडी..... मोबाइल संख्या

स्थान:

दिनांक:

कर्मचारी के हस्ताक्षर/अंगूठे का निषान

नियोक्ता के द्वारा प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नामांकत का विवरण सत्यापित किया गया है और इसे संस्थान में रिकार्ड कर लिया गया है।

नियोक्ता का संदर्भ संख्या, यदि कोई हो

नियोक्ता के हस्ताक्षर/प्राधिकृत अधिकारी का पदनाम

संस्थान का नाम एवं पता उसका रबर मोहर

दिनांक

कर्मचारी के द्वारा पावती

मेरे द्वारा भरे गए और नियोक्ता द्वारा प्रमाणित किए गए नामांकत प्रपत्र की डुप्लीकेट कॉपी प्राप्त कर ली गई है।

दिनांक

कर्मचारी के हस्ताक्षर

प्रपत्र-IV

[(नियम 35 (1) देखें)]

कर्मचारी/नामित/कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा उपदान के लिए आवेदन

(जो शब्द लागू न हो काट दें)

सेवा में

(यहां प्रतिष्ठान का नाम या विवरण पूरे पते के साथ लिखें)

महोदय/महोदया,

मैं, (कर्मचारी/नामित/कानूनी उत्तराधिकारी का नाम)/स्वर्गीय
 (कर्मचारी का नाम) द्वारा नामित व्यक्ति का नाम/स्वर्गीय (कर्मचारी का नाम) कानूनी
 उत्तराधिकारी के रूप में, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 53 की उप-धारा (1) के तहत हकदार हूँ, उपदान के
 भुगतान के लिए आवेदन करता हूँ-

- (क) मेरी अर्धवर्षिता/सेवानिवृत्ति/कम से कम पांच वर्ष की निरंतर सेवा के पूरे करने बात त्यागपत्र/दुर्घटना के कारण कुल विकलांगता/बीमारी के कारण विकलांगता/..... तिथि से प्रभावी नियत अवधि रोजगार के तहत संविदा अवधि की समाप्ति पर या;
- (ख) सेवा में रहते हुए उपर्युक्त कर्मचारी की मृत्यु/सेवा में..... वर्ष की समाप्ति के पश्चात दिनांक को अर्धवर्षिता/दिनांक से दुर्घटना या सेवा में रहते हुए में बीमारी के कारण उपर्युक्त कर्मचारी की कुल विकलांगता या;
- (ग) सेवा में रहते हुए आपके प्रतिष्ठान में उपर्युक्त कर्मचारी की मृत्यु/दिनांक को अर्धवर्षिता आयु प्राप्त करने के पश्चात बिना कोई नामांकन के..... वर्ष की सेवा पूरी करने के पश्चात/..... (तिथि) से सेवा में रहते हुए उक्त कर्मचारी की दुर्घटना या बीमारी द्वारा कुल विकलांगता ;

मेरी नियुक्ति से संबंधित आवश्यक विवरण निम्नानुसार है।

1. कर्मचारी का पूरा नाम, (यदि, किसी कर्मचारी द्वारा उपदान का दावा किया जाता है)

क. कर्मचारी की वैवाहिक स्थिति (अविवाहित/विवाहित/विधवा/विधुर)

ख. कर्मचारी का पूरा पता

या

2. नामित/कानूनी उत्तराधिकारी का नाम (यदि, किसी कर्मचारी द्वारा उपदान का दावा किया जाता है)

- क. कर्मचारी का नाम
- ख. नामिति/कानूनी उत्तराधिकारी की वैवाहिक स्थिति (अविवाहित/विवाहित/विधवा/विधुर)
- ग. नामिति/कानूनी उत्तराधिकारी का कर्मचारी के साथ का संबंध
- घ. नामिति/कानूनी उत्तराधिकारी पूरा पता
- ड. कर्मचारी की मृत्यु की तिथि और मृत्यु का प्रमाण
- च. रिकार्ड किए गए नामांकन की संदर्भ संख्या यदि उपलब्ध हो
3. विभाग/षाखा/अनुभाग जहां अंतिम तैनाती थी –
4. कर्मचारी द्वारा धारित पद–
5. नियुक्ति की तारीख–
6. सेवा समाप्ति की तारीख और कारण–
7. मृत्यु की तारीख–
8. कर्मचारी की सेवा की कुल अवधि–
9. कर्मचारी द्वारा आहरित कुल अंतिम वेतन
10. कर्मचारी को देय कुल उपदान/नामिति/कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा दावा किए गए उपदान का भुगतान–
11. मेरे बैंक खाता संख्या में कृपया क्रास बैंक चेक/क्रेडिट द्वारा भुगतान किया जाए।

भवदीय/भवदीया

आवेदक कर्मचारी/नामिति/कानूनी उत्तराधिकारी का हस्ताक्षर/अंगूठे का निषान.

स्थान:

तारीख:

प्रपत्र-V

[(नियम 35 (2) देखें)]

उपादान के दावे का भुगतान/खारिज किए जाने की सूचना

(जो शब्द लागू न हो काट दें)

सेवा में

(आवेदित कर्मचारी/नामित कानूनी उत्तराधिकारी का नाम और पता)

आपको एतद्वारा सूचित किया जाता है कि

- (क) *सामाजिक सुरक्षा (केंद्रीय नियम, 2020 पर संहिता के नियम 35 के उप-नियम (2) के खंड (क) के उप-खंड (II) के तहत आवश्यकतानुसार, उक्त नियमों के तहत फॉर्म-IV में दिए गए आपके आवेदन पर इंगित उपदान के भुगतान के लिए आपका दावा उल्लिखित कारणों के कारण स्वीकार्य नहीं है:

कारण (यहां कारण स्पष्ट करें); या

- (ख) *सामाजिक सुरक्षा (केंद्रीय नियम, 2020 पर संहिता के नियम 35 के उप-नियम (2) के खंड (क) के उप-खंड (2) के तहत आवश्यकतानुसार, रूपये (रूपये)
की राशि का आपको उपदान के रूप में भुगतान किया जाए/ आपके द्वारा
पर की गई नामांकन की शर्तों में उपदान के भाग के रूप में और इस प्रतिष्ठान के कर्मचारी के कानूनी उत्तराधिकारों रूप में किए गए नामांकन की शर्तों में आपके हिस्से के रूप में दिया गया तथा रिकॉर्ड किया गया।

2. *आपके उपदान के भुगतान का क्रास चेक प्राप्त करने के लिए कृपया
(स्थान स्पष्ट करें) को (तारीख) पर (समय) पर कॉल करें।

3. आकपी इच्छानुसार देय राशि आपको डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से या आपके बैंक खाते में क्रेडिट द्वारा भेजी जाएगी।

4. केलक्यूलेषन का संक्षेप विवरण

- (क) नियुक्ति की तारीख।
(ख) समाप्ति/अर्धवर्षिता/त्यागपत्र/विकलांगता/मृत्यु की तारीख।
(ग) संबंधित व्यक्ति की कुल सेवा अवधि:..... वर्ष माहकृ
(घ) अंतिम आहरित वेतन:
(ङ) नामांकन/एक कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में देय स्वीकार्य उपदान का अनुपात:
(च) देय राशि:

*पैरा जो लागू न हो काट दें

स्थान:

दिनांक:

नियोक्ता/सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
प्रतिष्ठान का नाम या विवरण या उसकी रबर की मोहर

उपदान के अस्वीकार्य मामले में सक्षम अधिकारी को सूचना

प्रपत्र-VI

[(नियम 35 (4) देखें)]

सामाजिक सुरक्षा, 2020 पर संहिता के तहत अध्याय V के लिए सक्षम प्राधिकारी से समक्ष निर्देश के लिए आवेदन

आवेदन संख्या.

दिनांक

(आवेदक के पूरे नाम सहित पूरा पता)

तथा

(संबंधित नियोक्ता का पूर्ण पते के साथ पूरा नाम)

के मध्य

आवेदक उपरोक्त नियोक्ता का एक कर्मचारी उपरोक्त नियोक्ता के कर्मचारी स्वर्गीय के द्वारा नामांकित / उपरोक्त नियोक्ता का कर्मचारी और स्वर्गीय कानूनी उत्तराधिकारी है और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 53 के तहत उपदान के भुगतान के लिए स्वयं हकदार है/उक्त कर्मचारी (तारीख) को अर्धवर्षिता की आयु प्राप्त की/स्वयं की सेवानिवृत्ति/..... वर्ष की निरंतर सेवा (तारीख) पूरी होने पर उपर्युक्त कर्मचारी का त्यागपत्र/उसकी अपनी/उपर्युक्त कर्मचारी की (तारीख) से दुर्घटना / बीमारी के कारण कुल विकलांगता/ तारीख की उपर्युक्त कर्मचारी की मृत्यु।

2. आवेदक ने सामाजिक सुरक्षा (केंद्रीय) नियम, 2020 पर संहिता के नियम के तहत एक आवेदन को किया परंतु उपर्युक्त ने इसे अस्वीकार्य कर दिया/..... नियम के उप नियम के खंड के तहत दिनांक को मुझे देय उपदान की कम राशि का उल्लेख करता है/..... नियम के उप नियम के खंड के तहत मेरे उपदान के भुगतान की पात्रता को निरस्त करते हुए दिनांक को एक नोट जारी किया है।

उक्त सूचना की एक डुप्लीकेट प्रति संलग्न है।

3. आवेदक ने माना है कि मामले पर कोई विवाद है (विवाद स्पष्ट करें)–

4. आवेदक यहां अनुलग्नक में आवश्यक विवरण प्रस्तुत करता है और प्रार्थना करता है कि सक्षम अधिकारी प्राधिकारी याचिकाकर्ता को देय उपदान की राशि को निर्धारित करे और उपर्युक्त नियोक्ता को याचिकाकर्ता को उक्त भुगतान करने के लिए निर्देशित कर सकता है।

5. आवेदक इस बात की घोषणा करता है कि अनुलग्नक में प्रस्तुत विवरण उसके ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है।

दिनांक:

आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निषान

अनुबंध

1. आवेदक के पूरे नाम सहित पूरा पता :-
2. दावे का आधार (मृत्यु/अधिवर्षिता/सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र/कर्मचारी की विकलांगता/नियत अवधि रोजगार के तहत संविदा अवधि की समाप्ति)
3. कर्मचारी का पूरा नाम और पता
4. कर्मचारी की वैवाहिक स्थिति (अविवाहित/विवाहित/विधवा/विधुर)
5. नियोक्ता का नाम और पूरा पता
6. विभाग/षाखा/अनुभाग जहां कर्मचारी अंतिम बार कार्यरत था (यदि ज्ञात हो)
7. टिक या क्रम संख्या सहित कर्मचारी द्वारा धारित पद, यदि कोई हो (यदि ज्ञात हो)
8. कर्मचारी की नियुक्ति की तारीख (यदि ज्ञात हो)
9. तारीख सहित कर्मचारी की सेवा समाप्ति का कारण (अधिवर्षिता/सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र/विकलांगता/मृत्यु/नियत अवधि रोजगार के तहत संविदा अवधि की समाप्ति)।
10. कर्मचारी द्वारा सेवा की कुल अवधि
11. कर्मचारी द्वारा आहरित अंतिम वेतन
12. यदि कर्मचारी मृत है, तो उसकी तिथि और कारण
13. कर्मचारी की मृत्यु के समर्थन में साक्ष्य/गवाह
14. यदि एक नामिति है, नियोक्ता के साथ नामांकन की संख्या और रिकार्ड की तारीख
15. कानूनी उत्तराधिकारी होने के समर्थन में साक्ष्य/गवाह, यदि उत्तराधिकारी है
16. कर्मचारी को देय कुल उपदान (यदि ज्ञात हो)
17. आवेदक को नामिति/कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में देय उपदान का प्रतिषत
18. आवेदक द्वारा दावा की गई उपदान की राशि

स्थान:

दिनांक:

आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निषान

प्रपत्र-VII

[(नियम 35 (5), (6) देखें)]

सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उपस्थिति के लिए सूचना/समन

(जो शब्द लागू न हो काट दें)

सेवा

में,

(नियोक्ता/आवेदक का नाम और पता)

जबकि श्री आप के अधीन एक कर्मचारी/श्री उपरोक्त उल्लेखित नियोक्ता के तहत एक कर्मचारी के नामित(ियों)/कानूनी उत्तराधिकारी(यों) हैं ने सामाजिक सुरक्षा (केंद्रीय) नियम, 2020 पर संहिता के नियम 35 के उप-नियम (4) के तहत एक आवेदन दायर किया है जो आरोपित करता है कि -

(उक्त आवेदक की एक प्रति संलग्न है, यदि समन जारी किया गया है तो आवेदन की प्रति की आवश्यकता नहीं है)

अब, इसलिए, आपको एतद्वारा आह्वान किया जाता है/सक्षम प्राधिकारी के समक्ष (स्थान) पर व्यक्तिगत रूप से या उस आवेदन से संबंधित सभी सामग्री सवालों के जवाब देने के उद्देश्य से इस संबंध में विधिवत रूप से अधिकृत किया गए किसी व्यक्ति के माध्यम से पेश होने के लिए दिन20 पर बजे पूर्वाह्न में/अपराह्न में/समर्थन में/आरोप के जवाब देने के लिए; तथा जैसा कि आपके उपस्थिति के लिए तय किए गए दिन को आवेदन के अंतिम निपटान के लिए नियुक्त किया जाता है, आपको उस दिन सभी गवाहों को प्रस्तुत करने के लिए तैयार होना चाहिए जिनके साक्ष्य, और उन दस्तावेजों पर जिन पर आप अपने आरोप/बचाव के समर्थन में देना चाहते हैं।

ध्यान दें कि पूर्व में उल्लिखित तारीख को आपकी अनुपस्थिति पर, आवेदन को खारिज /सुनवाई तथा आपकी अनुपस्थिति में निर्धारित की जाएगी।

जबकि सबूत देने के लिए आपकी उपस्थिति की आवश्यकता होती है /आपको इस सूची में दिए दस्तावेज पेश करने की आवश्यकता होती है, प्रपत्र के द्वारा उपदान के लिए दावे से उत्पन्न मामले में के पक्ष पर और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 56 के तहत आवेदन द्वारा इस प्राधिकारी को संदर्भित किया गया है, आपको एतद्वारा व्यक्तिगत रूप से इस प्राधिकारी के समक्ष दिन20.....पर..... बजे पूर्वाह्न में/अपराह्न में उपस्थित होने के लिए समन जारी किया गया है और उक्त दस्तावेज जो (इस प्राधिकारी को आपके द्वारा भेजे जाने हैं) आपको अपने साथ लाने हैं।

दस्तावेजों की सूची-

- 1.
- 2.

3. आगे

20.....के.....इस दिन..... को मेरे द्वारा सुपर्द और सील की गई।

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020

के तहत सक्षम प्राधिकारी

नोट: 1. लागू नहीं होने वाले शब्दों और पैराग्राफों को काट दें।

2. जो हिस्सा लागू न होता हो उसे हटा दें।
3. समन डुप्लिकेट में जारी किया जाएगा। डुप्लिकेट पर हस्ताक्षर किया जाना है और निर्धारित तिथि से पूर्व संबंधित व्यक्तियों द्वारा लौटाया जाना है।
4. यदि समन केवल एक दस्तावेज तैयार करने के लिए जारी किया जाता है और सबूत नहीं दिया जाता है तो यह समन के लिए पर्याप्त अनुपालन होगा, यदि दस्तावेजों को उद्देश्य के लिए निर्धारित दिन और घंटे के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष पेश किया जाता है।

प्रपत्र-VIII

[(नियम 35(11) और 12) देखें]

सक्षम/अपीलीय प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित उपदान संदाय हेतु नोटिस

(लागू न होने वाले शब्द हटा दिए जाएं)

सेवा में,

(नाम और नियोक्ता का पता)

1. जबकि स्वर्गीय जो आप के अधीन एक कर्मचारी थे उनके नामित(तों)/कानूनी उत्तराधिकारी(यों) श्री/श्रीमती/कुमारी ने मेरे समक्ष सामाजिक सुरक्षा पर संहिता, 2020 की धारा 56 के तहत एक आवेदन दायर किया था; अथवा जबकि आपको दिनांक को एक नोटिस दिया गया था जिसमें आपसे सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत उपदान के रूप में रुपये का भुगतान करने की अपेक्षा की गई थी।
2. और जबकि आवेदन पर आपकी उपस्थिति में सुनवाई दिनांक..... की गई थी और सुनवाई के बाद पता चला कि उक्त/श्रीमती/कुमारी..... सामाजिक सुरक्षा, 2020 पर संहिता के तहत उपदान के रूप में रुपये प्राप्त करने का हकदार है; अथवा जबकि आप/आवेदक अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील में गए थे, जिन्होंने फैसला किया है कि सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत रुपये की उपदान राशि का श्री/श्रीमती/कुमारी को भुगतान किया जाए।

अतः, अब मैं आपको इसके लिए, इस नोटिस की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर मुझे सूचित करते हुए श्री/श्रीमती/कुमारीको.....रूपये का भुगतान करने का निर्देश देता हूं।

सक्षम प्राधिकारी
सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अंतर्गत

प्रति:

1. आवेदक—उसे भुगतान प्राप्त करने के लिए नियोक्ता से संपर्क करने की सलाह दी जाती है।
2. अपीलीय प्राधिकारी, यदि लागू हो।

नोट— (यदि लागू न हों तो पैराग्राफों को हटा दें)

फार्म—IX

[(देखें नियम 35(13)]

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत अध्याय V के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष

आवेदन संख्या

दिनांक

(पूरे पते के साथ आवेदक का नाम)

(संबंधित नियोक्ता/न्यास/बीमाकर्ता का पता सहित पूरा नाम)

के बीच

1. आवेदक उपर्युक्त नियोक्ता का कर्मचारी है जो स्वर्गीय का कानूनी प्रतिनिधि है जो उपर्युक्त नियोक्ता के एक कर्मचारी थे और आपने अपने नोटिस में उक्त नियोक्त को सामाजिक सुरक्षा (केंद्रीय) नियम, 2020 के तहत निर्देशित किया कि सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत नियम 35 के उप-नियम (11) या उप-नियम (12) के अंतर्गत देय उपदान के रूप में रूपये की राशि का भुगतान किया जाए।
2. आवेदक ने यह सूचित किया है कि हालांकि मैंने भुगतान के लिए उससे संपर्क किया था फिर भी उक्त नियोक्ता आपके द्वारा यथा निर्देशित उपदान राशि का भुगतान करने में विफल रहा है।
3. आवेदक यह प्रार्थना करता है कि आपके निर्देश के अनुरूप उपदान के रूप में देय राशि की वसूली के लिए संहिता की धारा 129 के तहत एक प्रमाण पत्र जारी किया जाए।

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निषान

स्थान:

दिनांक:

नोट—लागू नहीं होने वाले शब्दों को हटा दें।

प्रपत्र-X

[(नियम 37(1)(क) और (घ) देखें)]

गर्भपात/गर्भधारण ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन/बच्चे की डिलीवरी/बच्चे को गोद लेने के लिए चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा व्यवसायी का प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि-

1. "मैंने दिनांक को (स्थापना का नाम) की जांच की और पाया/ज्ञात नहीं कर सका कि नियोजित कर्मचारी/महिला कर्मचारी की पत्नी/बेटी उक्त तारीख से गर्भवती है और उसकी (उक्त तारीख)..... से/को (एक महीने और दिनों के भीतर) डिलीवरी की उम्मीद है/उसके बच्चे का गर्भपात हो गया है/मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन/(उक्त तारीख) को बच्चे को जन्म दिया है अथवा (उक्त तारीख)..... में गर्भावस्था/डिलीवरी/बच्चे की असमय जन्म अथवा गर्भपात/गर्भावस्था का मेडिकल टर्मिनेशन या ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन के कारण होने वाली बीमारी से ग्रस्त है।
2. "(स्थापना का नाम) में नियोजित श्री की पत्नी/बेटी श्रीमती की के बच्चे की मृत्यु गर्भावस्था से पूर्व/दौरान/समाप्ति के बाद हो गई।
3. "मैंने जांच की कि (स्थापना का नाम)..... में नियोजित श्री की पत्नी/बेटी या महिला कर्मचारी श्रीमतीकी/का..... तारीख को उसके बच्चे की डिलीवरी हो गया है/उसका गर्भपात हो गया है।

*अनावश्यक भाग को हटा दें।

हस्ताक्षर, योग्यता और पदनाम

चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा व्यवसायी/धार्ई

दिनांक.....

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अनुसार "बच्चे" और "गर्भपात" की परिभाषाएँ-

1. "बच्चे" में मृतजात बच्चा भी शामिल है।
2. "गर्भपात" का अर्थ गर्भावस्था के छब्बीसवें सप्ताह से पहले या उसके दौरान किसी भी समय गर्भवती के गर्भाशय की सामग्री का निष्कासन करना, लेकिन इसमें कोई गर्भपात शामिल नहीं है, भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय है।

प्रपत्र-XI

[(नियम 37(2) का (क) और (ग) देखें)]

(धारा 62 और 63 के तहत मातृत्व लाभ और भुगतान के लिए दावे का नोटिस)

सेवा में,

(प्रतिष्ठान का नाम).....

भाग I

नोटिस

[नियम 37(2)(क) देखें]

(स्थापना का नाम) में के रूप में नियोजित श्री की पत्नी/बेटी(महिला का नाम) मैं एतद्वारा सूचना देती हूँ कि मैं इस नोटिस की तारीख से अगले छह सप्ताह/गर्भावस्था के भीतर, (तारीख) को एक बच्चे के जन्म की उम्मीद करती हूँ/जन्म दिया है जिस कारण मैं (तारीख) से काम से अनुपस्थित रहूँगी। जिस अवधि में मुझे मातृत्व लाभ प्राप्त होता है, उस अवधि में मैं किसी भी प्रतिष्ठान में काम नहीं करूँगी।

2. धारा 63 के निहितार्थ मैं इसके द्वारा नामांकित करती हूँ कि (मेरी मृत्यु होने की स्थिति में (यहाँ नामांकित व्यक्ति का नाम और पता दर्ज करें) संहिता के तहत मातृत्व लाभ और /या किसी अन्य राशि को प्राप्त करेंगे।

मामले में एक सत्यापक का हस्ताक्षर

महिला का हस्ताक्षर या अंगूठे का छाप

(यदि महिला हस्ताक्षर करने और अंगूठे का निषान

लगाने में सक्षम नहीं है)

दिनांक

भाग II

प्रसूति प्रसुविधा लाभ प्राप्ति का प्रपत्र

[नियम 37(2)(ग) देखें]

मैं, अधोहस्ताक्षरी, सामाजिक सुरक्षा, 2020 पर संहिता के तहत जिला में स्थित (स्थापना का नाम)..... में नियोजित/मृतक महिला कर्मचारी..... का नामिती/कानूनी प्रतिनिधि हूँ जिसने प्रसूति प्रसुविधा के रूप में देय राशि निम्नानुसार प्राप्त की है :-

प्रसूति प्रसुविधा की पहली किस्त के रूप में दिनांक को भुगतान की गई राशिरूपये
डिलीवरी के उपरांत प्रसूति प्रसुविधा की दूसरी किस्त के रूप में दिनांक को भुगतान की गई
संहिता की धारा 64 के अंतर्गत चिकित्सा बोनस के रूप में दिनांक को भुगतान की गई
राशि रूपये

*मेरी/उसकी डिलीवरी/गर्भपात के लिए ऑपरेशन या ट्यूबेक्टॉमी ऑपरेशन दिनांक को हुई थी अथवा मैं/वह गर्भावस्था/डिलीवरी/बच्चे के असमय जन्म अथवा गर्भपात के कारण गर्भवस्था चिकित्सा की समाप्ति दिनांक को ऑपरेशन या ट्यूबेक्टॉमी ऑपरेशन के कारण हो गई। इसके परिणामस्वरूप मुझेउसके नामित/कानूनी प्रतिनिधि के रूप में सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 60, 64 और 65 में उक्त उल्लिखित राशि प्राप्त हुई है।

हस्ताक्षर या अंगूठे का निषान

*महिला कर्मचारी या उसके द्वारा नामित या कानूनी प्रतिनिधि
यदि महिला हस्ताक्षर करने में सक्षम नहीं है तो साक्षी के हस्ताक्षर और अंगूठे का निषान

दिनांक

*अनावश्यक भाग को हटा दें।

प्रपत्र-XII

[(नियम 41(1)(क) देखें)]

निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को शिकायत

सेवा,

निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता

(सामाजिक सुरक्षा, 2020 पर संहिता के तहत)

महोदय,

मैं (महिला का नाम) (नाम और स्थापना का पूरा पता) में कार्यरत
हूँ अथवा मैं(नाम) धारा 62 के तहत नामांकित एक व्यक्ति या (महिला का नाम) (नाम
और स्थापना का पूरा पता) के एक कानूनी प्रतिनिधि के रूप में नामित हूँ मैं सामाजिक सुरक्षा
संहिता, 2020 एवं उसके अंतर्गत नियमों में निर्धारित शर्तों के अनुसार मातृत्व लाभ और मेडिकल बोनस के रूप में रूपये
..... पाने का हकदार हूँ और/अथवा धारा 65 के तहत छुट्टी अवधि के लिए वेतन के रूप में देय राशि को
नियोक्ता द्वारा सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के इस अध्याय VI के प्रावधानों के अनुसार अनुचित रूप से रोक दिया गया
है/काम से उसकी अनुपस्थिति के दौरान उसे हटा दिया गया है या बर्खास्त कर दिया गया है।

अतः आपसे अनुरोध किया जाता है कि नियोक्ता को मुझे राशि का भुगतान करने और नियोक्ता द्वारा कार्य से
हटाने या बर्खास्तगी को समाप्त करने के लिए निर्देशित करें।

महिला/नामित/कानूनी प्रतिनिधि का हस्ताक्षर या अंगूठे का निषान

दिनांक.....

यदि महिला/नामित/कानूनी प्रतिनिधि यदि करने में सक्षम नहीं है

तो सत्यापक के

हस्ताक्षर और अंगूठे का निषान

महिला/नामित/कानूनी प्रतिनिधि का पूरा पता

प्रपत्र-XIII

अपील

[नियम 40(2) और 41(2)(ख) देखें]

सेवा,

प्राधिकारी,

(सामाजिक सुरक्षा, 2020 पर संहिता के तहत नियुक्त)

महोदय,

मैं.....अधोहस्ताक्षरी, (नाम और स्थापना का पूरा पता) की महिला कर्मचारी हूँ, मैं-

*धारा 72 की उप-धारा (2) के तहत निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता के आदेश से निराश हूँ जिसके कारण इसके साथ संलग्न हैं, धारा की उप-धारा (2) के तहत आपके समक्ष यह अपील करना चाहती हूँ और यह अनुरोध करती हूँ कि उक्त नियोक्ता को मुझे देय उपर्युक्त राशि का भुगतान करने का आदेश दिया जाए। इस संबंध में निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता के आदेश की एक प्रति संलग्न है; या

*श्रीनिरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को धारा 72 की उप-धारा (2) के तहत मातृत्व लाभ या अन्य राशि का भुगतान करने के लिए निर्देशित किया जा रहा है (राशि की प्रकृति) जिसे (महिला का नाम) सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अध्याय V के प्रावधानों के अनुसार हकदार होने/कार्य से अनुपस्थिति के दौरान या कार्य के अभाव में मेरे द्वारा की गई बर्खास्तगी को रद्द करने के लिए निर्देशित किया गया है। (अनावश्यक भाग हटा दें)

मैं धारा 72 की उप-धारा (3) के तहत अपील करती हूँ। ज्ञापन में वर्णित तथ्यों के मद्देनजर और अन्य दस्तावेजों के साथ यह कहा जाता है कि महिला मातृत्व लाभ या उक्त राशि की हकदार नहीं है और इसलिए निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता के आदेश की संलग्न प्रति को निरस्त किया जा सकता है।

*अनावश्यक भाग को हटा दें।

महिला/नामित/कानूनी प्रतिनिधि का हस्ताक्षर या अंगूठे का निषान

दिनांक.....

यदि महिला/नामित/कानूनी प्रतिनिधि यदि हस्ताक्षर

करने में सक्षम नहीं है तो सत्यापक का

हस्ताक्षर और अंगूठे का निषान

महिला/नामित/कानूनी प्रतिनिधि का पूरा पता

प्रपत्र—XIV

[नियम 42(4) देखें]

(मातृत्व लाभ के लिए और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत बनाए गए नियमों का सार)

1. कोई भी नियोक्ता डिलीवरी/गर्भपात/चिकित्सा समाप्ति की तारीख के तुरंत बाद छह सप्ताह के दौरान जानबूझकर किसी महिला को नियुक्त नहीं करेगा और उक्त अवधि के दौरान कोई भी महिला किसी भी प्रतिष्ठान में काम नहीं करेगी।
2. कोई भी गर्भवती महिला इस संबंध में उसके द्वारा किए जा रहे अनुरोध पर, उसके नियोक्ता से उसकी अपेक्षित डिलीवरी की संभावित तारीख से पूर्व छह सप्ताह की अवधि, जिसके लिए वह अनुपस्थिति का लाभ नहीं उठाती है, के दौरान किसी भी अवधि जिसके लिए उसने किसी कठिन प्रकृति का कार्य के लिए उसे लंबे समय तक खड़े रहना शामिल है अथवा जिसका उस क्रम में उसकी गर्भावस्था को प्रभावित करने या भ्रूण के सामान्य विकास में अवरोध की अथवा उसके गर्भपात होने की संभावना हो अथवा अन्यथा उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, नियोजित करने की अपेक्षा नहीं होगी। कोई भी जो है या जिस तरह से या के कारण या,
3. (क) संहिता के प्रावधानों के अध्यक्षीन, प्रत्येक महिला जो वास्तव में नियोक्ता के स्थापन में काम कर चुकी है, जिसमें से वह कम-से-कम 80 दिनों की अवधि के लिए मातृत्व लाभ का दावा करती है, जिसमें उन दिनों को शामिल किया गया था, जिसमें वह कार्य से मुक्त थी और डिलीवरी के दिन से पहले और उस दिन के बाद की शेष अवधि के लिए उसकी वास्तविक अनुपस्थिति की अवधि के छह सप्ताह से अनधिक उसके औसत दैनिक मजदूरी की दर से मातृत्व लाभ का भुगतान या मजदूरी संहिता, 2019 के अंतर्गत मजदूरी की न्यूनतम दर अथवा दो सौ रुपये प्रतिदिन जो भी अधिक हो, की हकदार होगी और उसका नियोक्ता इसका भुगतान करेगा।
बर्षों कि उस अवधि के दौरान एक महिला की मृत्यु हो जाती है, जिसके लिए मातृत्व लाभ देय है, उसके लिए, यह लाभ केवल उसकी मृत्यु के दिन तक और उसके बाद के दिनों के लिए देय होगा। हालाँकि, जहाँ महिला को डिलीवरी हो गया हो, उसकी डिलीवरी के दौरान या मातृत्व लाभ की शेष अवधि के दौरान मृत्यु हो जाती है, और बच्चे को पीछे छोड़ जाती है, लेकिन यदि बच्चे की मृत्यु भी उक्त अवधि के दौरान हो जाती है तो बच्चे की मृत्यु के दिन तक और उस अवधि के लिए नियोक्ता मातृत्व की पूरी अवधि के लिए मातृत्व लाभ का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- (ख) उसकी अपेक्षित डिलीवरी की तारीख से पहले की अवधि के लिए मातृत्व लाभ की राशि नियोक्ता द्वारा महिला को अग्रिम रूप से प्रपत्र—X में एक प्रमाण—पत्र के प्रस्तुत करने पर यह बताते हुए भुगतान किया जाएगा कि वह गर्भवती है और डिलीवरी होने की उम्मीद है, प्रमाण—पत्र के प्रस्तुत करने की तारीख के छह सप्ताह के भीतर बच्चे के जन्म की संभावना पर और उसके बाद की अवधि के लिए नियोक्ता द्वारा महिला को देय राशि का भुगतान किया जाएगा यदि वह 48 घंटे के भीतर प्रपत्र—X में प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करते हुए यह उल्लेख करे कि उसने एक बच्चे को जन्म दिया है अथवा वर्तमान में लागू किसी कानून के प्रावधानों के अंतर्गत रखे जाने वाले जन्म पंजीका से प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करे।
4. (क) इस संहिता के प्रावधानों के तहत किसी भी महिला को एक प्रतिष्ठान में नियुक्त किया गया हो तो उसे मातृत्व लाभ पाने का अधिकार उसके नियोक्ता द्वारा प्रपत्र—XI में लिखित रूप में दिया जा सकता है जिसमें यह उल्लेख हो कि उसे मातृत्व लाभ और कोई अन्य राशि जिसकी वह हकदार है, इस संहिता के तहत उसे या ऐसे व्यक्ति को भुगतान किया जा सकता है जिसको उसने नोटिस में नामांकित किया हो और उस अवधि के दौरान किसी अन्य प्रतिष्ठान में काम नहीं करेगी जिसके लिए उसने मातृत्व लाभ प्राप्त किया हो।
- (ख) किसी गर्भवती महिला के मामले में, इस तरह की सूचना जिसमें उस तारीख का उल्लेख हो कि वह किस तारीख से कार्य से अनुपस्थित रहेगी, जो उसकी अपेक्षित डिलीवरी की तारीख से छह सप्ताह पहले की तारीख नहीं होगी।
- (ग) कोई भी महिला जिसने गर्भवती होने का नोटिस नहीं दिया हो, डिलीवरी के बाद जितनी जल्दी हो सके ऐसा नोटिस दे सकती है।

- (घ) नोटिस प्राप्त होने पर नियोक्ता ऐसी महिला को उसकी डिलीवरी के दिन के बाद मातृत्व लाभ की शेष अवधि की समाप्ति तक प्रतिष्ठान से अनुपस्थित रहने की अनुमति देगा।
5. (क) संहिता के अंतर्गत मातृत्व लाभ पाने की हकदार प्रत्येक महिला को अपने नियोक्ता से तीन हजार पांच सौ रुपये का मेडिकल बोनस प्राप्त करने का अधिकार होगा, यदि नियोक्ता द्वारा उसे निःशुल्क डिलीवरी पूर्व अवकाष और प्रसवोत्तर देखभाल उपलब्ध नहीं करायी गई हो। चिकित्सा बोनस का भुगतान मातृत्व लाभ की दूसरी किस्त के साथ किया जाएगा।
- (ख) गर्भपात/गर्भावस्था की चिकित्सकीय समाप्ति के मामले में, एक महिला, गर्भपात की तारीख के तुरंत बाद छह सप्ताह की अवधि के लिए मातृत्व लाभ की दर से सवेतन छुट्टी लेने की हकदार होगी। मजदूरी का भुगतान प्रपत्र-X में एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के 48 घंटे के भीतर किया जाएगा।
- (ग) कोई महिला जो गर्भावस्था, डिलीवरी, समय से पहले बच्चे के जन्म या गर्भपात/मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्रेन्सी अथवा ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन से होने वाली बीमारी से पीड़ित हो, प्रपत्र-X में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर प्रसूति या गर्भपात/मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्रेन्सी अथवा ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन के कारण उसकी अनुपस्थिति, जैसा भी मामला हो, मातृत्व लाभ की दर से अधिकतम एक महीने की अवधि के लिए सवेतन अवकाष की हकदार होगी। अवकाष अवधि के लिए मजदूरी का भुगतान उस अवधि की समाप्ति के 48 घंटों के भीतर किया जाएगा।
6. बच्चे की ऐसी डिलीवरी के बाद कार्य पर लौटने वाली प्रत्येक महिला को आराम करने के अंतराल के अलावा, जब तक बच्चा पंद्रह महीने की आयु प्राप्त नहीं कर लेता तब तक उसे दैनिक कार्य के दौरान बच्चे को नर्सिंग करने हेतु 15 मिनट के दो ब्रेक की अवधि की अनुमति दी जाएगी। क्रेच या उस स्थान पर, जहां कार्य पर रहते हुए महिलाओं द्वारा बच्चों को छोड़ा जाता है, यात्रा के उद्देश्य के लिए कवर की जाने वाली दूरी के आधार पर उसे एक अतिरिक्त पर्याप्त अवधि की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि ऐसी अतिरिक्त अवधि 5 मिनट से कम और 15 मिनट से अधिक नहीं होगी।
- 7.(1) जब एक महिला संहिता के प्रावधानों के अनुसार काम से स्वयं अनुपस्थित रहती है, तो उसके नियोक्ता के लिए ऐसी अनुपस्थिति के दौरान कार्य से हटाना या उसकी बर्खास्तगी के कारण दिया जाने वाला नोटिस उस तिथि को जो ऐसी अनुपस्थिति के दौरान उसे दिया गया हो जिसकी समय-सीमा उस अवधि में समाप्त हो गई हो अथवा जो उसकी सेवा-षर्तों में से किसी एक को नुकसान पहुंचाने वाला हो, उसे गैर-कानूनी माना जाएगा।
- (2)(क) किसी महिला को गर्भावस्था के दौरान किसी भी समय कार्य से हटाना या बर्खास्त करना जिसके लिए वह प्रसूति प्रसुविधा या मेडिकल बोनस के लिए हकदार होगी, उससे उसे प्रसूति प्रसुविधा और मेडिकल बोनस पाने के अधिकार से वंचित नहीं होना पड़ेगा।
- बशर्ते कि बर्खास्तगी निम्नलिखित में से एक या अधिक कार्य के लिए है, नियोक्ता महिला को लिखित सूचना के माध्यम से मातृत्व लाभ या चिकित्सा बोनस या दोनों से वंचित कर सकता है—
- (i) नियोक्ता के माल या संपत्ति का जानबूझकर नाश;
 - (ii) कार्यस्थल पर किसी भी वरिष्ठ या सह-कर्मचारी पर हमला करना;
 - (iii) कोर्ट में आपराधिक अपराध कार्य जिसमें नैतिक अपराध शामिल हैं के कारण दोषसिद्धि;
 - (iv) नियोक्ता के व्यवसाय या संपत्ति के संबंध में चोरी, धोखाधड़ी या बेईमानी; तथा
 - (v) संबंधित सुरक्षा उपायों या नियमों या सुरक्षा उपकरणों के साथ या आग से लड़ने वाले उपकरणों के साथ जानबूझकर छेड़-छाड़।
- (ख) मातृत्व लाभ या चिकित्सा बोनस या दोनों से वंचित कोई भी महिला, जिस दिन इस तरह के ऐसे वंचन का आदेश उसे दिया जाता है, उस तारीख से साठ दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकारी को प्रपत्र-XIII में अपील कर सकती है और इस तरह की अपील के बारे में कि महिला को मातृत्व लाभ या चिकित्सा बोनस या दोनों से वंचित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए उसका निर्णय अंतिम होगा।

8. यदि कोई महिला अपने नियोक्ता द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्वयं को अनुपस्थित होने की अनुमति प्राप्त होने के बाद किसी भी प्रतिष्ठान में काम करती है, तो वह ऐसी अवधि के लिए मातृत्व लाभ के लिए अपने दावे को खारिज कर देगी।
- 9.(1) मातृत्व लाभ या किसी भी अन्य राशि का दावा करने वाली किसी भी महिला को जिसकी वह अधिनियम के तहत हकदार है और इसके संबंध में यदि किसी भी व्यक्ति ने ऐसा दावा किया है कि देय भुगतान को अनुचित तरीके से रोक दिया गया है तो वह **प्रपत्र-XIII** में लिखित रूप से निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता को शिकायत कर सकता है।
- (2) निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता अपने प्रस्ताव पर या **प्रपत्र-XIII** में प्राप्त शिकायत पर, जांच कर सकते हैं या जांच का आदेश दे सकते हैं और यदि वे संतुष्ट हों कि भुगतान गलत तरीके से रोक दिया गया है, तो वे अपने आदेशों के अनुसार भुगतान करने का निर्देश दे सकते हैं।
- (3) कोई भी व्यक्ति निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता के निर्णय से दुखी होकर, उस तारीख से 30 दिनों के भीतर, जिस तिथि को उसे इसकी सूचना मिलती है, समुचित सरकार द्वारा निर्धारित प्राधिकरण को अपील कर सकता है।
- (4) उस प्राधिकरण, जहां कोई अपील की गई हो अथवा जिसके संबंध में निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता के पास ऐसी कोई अपील न की गई हो, तो उसका निर्णय अंतिम होगा।
- 10.(क) नियोक्ता उसके द्वारा नियोजित प्रत्येक महिला को उसके अनुरोध पर लागत प्रतियों से मुक्त **प्रपत्र-X, XI, XII** और **XIII** की अपूर्ति करेगा।
- (ख) संहिता के तहत निर्धारित प्रपत्र में नोटिस, अपील या शिकायत प्रस्तुत करने में विफलता के कारण मातृत्व लाभ या किसी अन्य राशि को प्राप्त करने के महिला के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी। जहां कोई सूचना, अपील या शिकायत निर्धारित प्रपत्र के अलावा किसी अन्य रूप में प्राप्त होती है, ऐसे नोटिस, अपील या शिकायत की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर जैसा भी मामला हो, उस महिला से संबंधित प्राधिकारी के पास नोटिस, अपील या शिकायत प्रस्तुत करने की अपेक्षा होती है।
- 11.(क)(1) उस प्रतिष्ठान का नियोक्ता जिसमें महिलाएं कार्यरत हैं, **प्रपत्र-XII** में महिला कर्मचारियों के संबंध में एक रजिस्टर तैयार और उसका रख-रखाव करेगा और प्रतिष्ठान में सभी महिला श्रमिकों के विवरण दर्ज करेगा।
- (2) महिला कर्मचारियों के रजिस्टर में सभी प्रविष्टियाँ दर्ज की जाएंगी और अद्यतन की जाएंगी और यह कार्य के दौरान निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता द्वारा निरीक्षक के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगी।
- (ख) वह नियोक्ता जिसपर प्रत्येक वर्ष फरवरी के पहली तिथि या उससे पहले संहिता लागू होती है, श्रम और रोजगार मंत्रालय में केंद्र सरकार के वेब पोर्टल पर **प्रपत्र-XXIII** में एकीकृत वार्षिक रिटर्न अपलोड करेगा, जिसमें पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में निर्दिष्ट विवरण के अनुसार जानकारी दी गई हो।
- बषर्ते कि निरीक्षण के दौरान, निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को इलेक्ट्रॉनिक रूप में या अन्यथा बनाए गए खातों, पुस्तकों, रजिस्टर और अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो।
- स्पष्टीकरण।- इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "इलेक्ट्रॉनिक रूप" का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 के खंड (द) में दिया गया है।

फार्म-XV

[नियम 43(1) (क) और (ख) देखें]

नियोक्ता द्वारा भवन या अन्य निर्माण कार्य के संबंध में प्रविष्ट करने या संशोधन करने हेतु सूचना

1.	स्थापना का नाम और (स्थायी) पता।	
2.	नियोक्ता का नाम और पता का विवरण	
3.	उस स्थान का नाम और पता/स्थान जहाँ भवन और अन्य निर्माण प्रस्तावित किया जाना है।	
4.	संपर्क विवरण के साथ अधिकृत व्यक्ति का नाम, पदनाम और पता	
5.	प्रस्तावित भवन या अन्य निर्माण कार्य के लिए पत्राचार हेतु पता	
6.	प्रस्तावित निर्माण कार्य की प्रकृति	
7.	काम शुरू करने की तारीख (मामले में निर्माण शुरू हो गया है)	
8.	काम की अनुमानित अवधि	
9.	प्रस्तावित निर्माण कार्य में किसी परिवर्तन/संशोधन का विवरण	

मैं/हम एतद्वारा सूचित करते हैं कि भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य (कार्य का नाम) के लिए हमारा पंजीकरण नंबर दिनांक से आरंभ/संशोधित (दिनांक)/[(दिनांक)] से प्रभावी होने की संभावना है।

नियोक्ता का हस्ताक्षर

नाम:

दिनांक:

स्थान:

मोबाइल नंबर:

ई-मेल (यदि कोई हो):

फार्म-XVI

[नियम 43(2)(ख) देखें]

नियोक्ता द्वारा भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के लिए उपकर का स्व-मूल्यांकन के लिए प्रारूप

1.	प्रतिष्ठान का नाम और पता (स्थायी)		
2.	नियोक्ता का नाम और पता		
3.	स्थान का नाम और पता जहां भवन और अन्य सन्निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।		
4.	प्राधिकृत व्यक्ति के संपर्क ब्यौरे सहित नाम, पदनाम और पता		
5.	प्राधिकृत भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के लिए पत्राचार का पता		
6.	प्रस्तावित सन्निर्माण कार्य की प्रकृति		
7.	कार्य के प्रारंभ होने की तारीख (यदि सन्निर्माण कार्य आरंभ हो गया है)		
8.	कार्य की अनुमानित अवधि		
9.	सन्निर्माण कार्य का कुल प्रस्तावित क्षेत्र		
10.	नियम 43 के अनुसार (मूल) दस्तावेजों सहित (पीडब्ल्यू या सीपीडब्ल्यू या आरईआरए या अन्य दरों, जैसा भी मामला हो, के आधार पर) सन्निर्माण की कुल अनुमानित लागत		
11.	चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा यथा प्रमाणित सन्निर्माण की कुल अनुमानित लागत		
12.	अनंतिम उपकर की राशि	केंद्रीय सरकार द्वारा यथा अधिसूचित सन्निर्माण की कुल अनुमानित लागत का प्रतिषत	कुल अनुमानित उपकर (रूपये में)
13.	ब्योरा सहित भुगतान किए गए अग्रिम उपकर (परियोजना की स्वीकृति के समय या सन्निर्माण कार्य के आरंभ के पहले)/ सोत पर कटौती		
14.	भुगतान किए गए उपकर का ब्योरा (जब प्रस्तावित सन्निर्माण कार्य की अवधि एक वर्ष से अधिक हो)		
	क्र.सं.	वर्ष	राशि (रूपये में)
	14.1	पहला वर्ष	
	14.2	द्वितीय वर्ष	
	14.3	तीसरा वर्ष	
15.	कुल उपकर का भुगतान (क्रम संख्या 13+14)		

घोषणा

1. मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि उपर्युक्त विवरण मेरी/हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं/हम एतद्वारा यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा दी गई उपर्युक्त गणना में कुछ छुपाया नहीं गया है या कोई तथ्य गलत ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया है।
2. मैं/हम एतद्वारा यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम सामाजिक सुरक्षा संहिता के जुमाने से संबंधित प्रावधानों से पूर्णतः अवगत हूँ/हैं और यदि भविष्य में उपकर राशि के उपर्युक्त स्व-मूल्यांकन में उल्लिखित कोई जानकारी गलत अथवा अनुप्रयुक्त पायी जाती है अथवा तथ्यों को छिपाने या उपकर की राशि के परिकलन में कमी पाई जाती है तो मेरे/हमारे विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

नियोक्ता हस्ताक्षर और मुहर

नाम

दिनांक

स्थान

मोबाईल नंबर

ई-मेल (अगर कोई हो)

चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा प्रमाणित

विधिवत मुहर के साथ उसकी पंजीकरण संख्या

प्रपत्र-XVII

[नियम 43(2) (ड) देखें]

भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य रोकने या कटौती के लिए नोटिस

1.	प्रतिष्ठान का नाम	
2.	प्रतिष्ठान की पंजीकरण संख्या	
3.	प्रतिष्ठान का पता	
4.	कार्य के आरंभ की तारीख	दिन माह वर्ष
5.	कार्य की प्रस्तावित अनुमानित अवधि	दिन माह वर्ष
6.	भवन या सन्निर्माण कार्य के रोकने या कटौती करने की तारीख	
7.	नियम 43 के अनुसार (मूल) दस्तावेजों सहित (पीडब्ल्यू या सीपीडब्ल्यू या आरईआरए या अन्य दरों, जैसा भी मामला हो, के आधार पर) सन्निर्माण की कुल अनुमानित लागत	

8.	सन्निर्माण कार्य पर किया गया कुल व्यय		
9.	भुगतान योग्य उपकर की कुल राशि		केंद्रीय सरकार द्वारा यथा अधिसूचित सन्निर्माण की कुल अनुमानित लागत का प्रतिषत
			कुल अनुमानित उपकर (रूपये में)
10.	ब्यौरा सहित भुगतान किए गए अग्रिम उपकर (परियोजना की स्वीकृति के समय या सन्निर्माण कार्य के आरंभ के पहले)/ सोत पर कटौती		
11.	भुगतान किए गए उपकर का ब्यौरा (जब प्रस्तावित सन्निर्माण कार्य की अवधि एक वर्ष से अधिक हो)		राशि (रूपये में)
	क्र.सं.	वर्ष	
	14.1	पहला वर्ष	
	14.2	द्वितीय वर्ष	
	14.3	तीसरा वर्ष	
12.	भुगतान किया गया कुल उपकर (क्रम संख्या 10 – क्रम संख्या 11)		
13.	कुल बकाया उपकर (क्रम संख्या 13 – क्रम संख्या 16)		
14.	कुल बकाया उपकर के भुगतान का प्रमाण, यदि लागू है		
15.	अधिक भुगतान किए गए उपकर की राशि, यदि लागू है		
16.	अधिक भुगतान के मामले में, बैंक खाते का ब्यौरा जिसमें अधिक राशि, वापस की जाएगी।		
17.	टिप्पणी, यदि कोई।		

घोषणा

1. मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि उपर्युक्त विवरण मेरी/हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं/हम एतद्वारा यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा दी गई उपर्युक्त गणना में कुछ छुपाया नहीं गया है या कोई तथ्य गलत ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया है।
2. मैं/हम एतद्वारा यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम सामाजिक सुरक्षा संहिता के जुर्माने से संबंधित प्रावधानों से पूर्णतः अवगत हूँ/हैं और यदि भविष्य में उपकर राशि के उपर्युक्त स्व-मूल्यांकन में उल्लिखित कोई जानकारी गलत अथवा अनुप्रयुक्त पायी जाती है अथवा तथ्यों को छिपाने या उपकर की राशि के परिकलन में कमी पाई जाती है तो मेरे/हमारे विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

नियोक्ता हस्ताक्षर और मुहर

नाम

दिनांक

स्थान

मोबाईल नंबर

ई-मेल (अगर कोई हो)

चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा प्रमाणित

विधिवत मुहर के साथ उसकी पंजीकरण संख्या

प्रपत्र-XVIII

[नियम 43(2)(च 43 और (4) (कदेखें (ग))]

नियोक्ता द्वारा भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य पूरा होने पर विवरणी

1.	प्रतिष्ठान का नाम और पता (स्थायी)	
2.	नियोक्ता का नाम और पता	
3.	स्थान का नाम और पता जहां भवन और अन्य सन्निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।	
4.	प्राधिकृत व्यक्ति के संपर्क ब्यौरे सहित नाम, पदनाम और पता	
5.	प्राधिकृत भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के लिए पत्राचार का पता	
6.	प्रस्तावित सन्निर्माण कार्य की प्रकृति	
7.	कार्य के प्रारंभ होने की तारीख (यदि सन्निर्माण कार्य आरंभ हो गया है)	
8.	कार्य के पूर्ण होने की तारीख	
9.	कार्य की अवधि	
10.	सन्निर्माण कार्य के कुल पूर्ण होने वाले क्षेत्र	
11.	नियम 43 के अनुसार (मूल) दस्तावेजों सहित (पीडब्ल्यू या सीपीडब्ल्यू या आरईआरए या अन्य दरों, जैसा भी मामला हो, के आधार पर) सन्निर्माण की कुल अनुमानित लागत	
12.	सन्निर्माण कार्य पर किया गया कुल व्यय	
13.	भुगतान योग्य उपकरण की कुल राशि	केंद्रीय सरकार द्वारा यथा अधिसूचित सन्निर्माण की कुल अनुमानित लागत का प्रतिषत
14.	ब्यौरा सहित भुगतान किए गए अग्रिम उपकरण (परियोजना की स्वीकृति के समय या सन्निर्माण कार्य के आरंभ के पहले)/ सोत पर कटौती	कुल अनुमानित उपकरण (रूपये में)
15.	भुगतान किए गए उपकरण का ब्यौरा (जब प्रस्तावित सन्निर्माण	

कार्य की अवधि एक वर्ष से अधिक हो)		
क्र.सं.	वर्ष	राशि (रूपये में)
14.1	पहला वर्ष	
14.2	द्वितीय वर्ष	
14.3	तीसरा वर्ष	
16.	कुल उपकर (क्रम संख्या 14 + 15)	
17.	उपकर की बकाया राशि (क्रम संख्या 13 – क्रम संख्या 16)	
18.	कुल बकाया उपकर के भुगतान का प्रमाण, यदि कोई हो	
19.	कुल अधिक भुगतान किए गए उपकर की राशि, यदि लागू हो	
20.	अधिक भुगतान के मामले में, बैंक खाते का ब्यौरा जिसमें अधिक राशि, वापस की जाएगी।	
21.	टिप्पणी, यदि कोई।	

घोषणा

1. मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि उपर्युक्त विवरण मेरी/हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं/हम एतद्वारा यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा दी गई उपर्युक्त गणना में कुछ छुपाया नहीं गया है या कोई तथ्य गलत ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया है।
2. मैं/हम एतद्वारा यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम सामाजिक सुरक्षा संहिता के जुर्माने से संबंधित प्रावधानों से पूर्णतः अवगत हूँ/हैं और यदि भविष्य में उपकर राशि के उपर्युक्त स्व-मूल्यांकन में उल्लिखित कोई जानकारी गलत अथवा अनुप्रयुक्त पायी जाती है अथवा तथ्यों को छिपाने या उपकर की राशि के परिकलन में कमी पाई जाती है तो मेरे/हमारे विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

नियोक्ता हस्ताक्षर और मुहर

नाम

दिनांक

स्थान

मोबाईल नंबर

ई-मेल (अगर कोई हो)

चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा प्रमाणित

विधिवत मुहर के साथ उसकी पंजीकरण संख्या

प्रपत्र—XIX

[नियम 46 (1) और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा देखें को 105]

आकलन के आदेश या दंड लगाने के आदेश के विरुद्ध अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील के लिए प्रोफार्मा

1.	प्रतिष्ठान का नाम और पता (स्थायी)		
2.	नियोक्ता का नाम और पता		
3.	स्थान का नाम और पता जहां भवन और अन्य सन्निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।		
4.	प्राधिकृत व्यक्ति का नाम, पदनाम और पता सहित संपर्क विवरण		
5.	प्रस्तावित भवन या अन्य निर्माण कार्य के लिए जिस पते पर पत्राचार किया जा सकता है		
6.	प्रस्तावित निर्माण कार्य की प्रकृति		
7.	कार्य के प्रारंभ होने की तारीख (यदि निर्माण कार्य आरंभ हो गया है)		
8.	कार्य समाप्ति की तारीख		
9.	कार्यावधि		
10.	निर्माण कार्य का कुल पूर्ण क्षेत्र		
11.	नियम 43 के अनुसार (मूल) दस्तावेजों सहित (पीडब्ल्यू या सीपीडब्ल्यू या आरईआरए या अन्य दरों, जैसा भी मामला हो, के आधार पर) सन्निर्माण की कुल अनुमानित लागत		
12.	निर्माण कार्य पर किया गया कुल व्यय		
13.	देय उपकरण की कुल राशि	केंद्रीय सरकार द्वारा यथा अधिसूचित सन्निर्माण की कुल अनुमानित लागत का प्रतिषत	कुल अनुमानित उपकरण (रूपये में)
14.	ब्यौरा सहित भुगतान किए गए अग्रिम उपकरण (परियोजना की स्वीकृति के समय या निर्माण कार्य के आरंभ के पहले)/ स्रोत पर कटौती, यदि कोई हो,		
15.	भुगतान किए गए उपकरण का ब्यौरा (जब प्रस्तावित सन्निर्माण कार्य की अवधि एक वर्ष से अधिक हो)		
	क्र.सं.	वर्ष	

	14.1	पहला वर्ष	
	14.2	द्वितीय वर्ष	
	14.3	तीसरा वर्ष	
16.	भुगतान किया गया कुल उपकर (क्रम संख्या 14 + 15)		
17.	बकाया उपकर की राशि (क्रम संख्या 13 – क्रम संख्या 16)		
18.	बकाया उपकर के भुगतान का प्रमाण, यदि कोई हो		
19.	अधिक भुगतान किए गए उपकर की राशि, यदि लागू हो		
20.	मूल्यांकन अधिकारी द्वारा आकलित उपकर की राशि		
21.	नियोक्ता द्वारा भुगतान किए जाने वाले बकाया उपकर की राशि		
22.	मूल्यांकन अधिकारी द्वारा लगाए गए उपकर/बकाया उपकर के भुगतान न करने पर जुर्माने की राशि।		
23.	सहायक दस्तावेज के साथ अपील हेतु आधार		
24.	टिप्पणी, यदि कोई हो		

घोषणा

1. मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि उपर्युक्त विवरण मेरी/हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं/हम एतद्वारा यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा दी गई उपर्युक्त गणना में कुछ छुपाया नहीं गया है या कोई तथ्य गलत ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया है।
2. मैं/हम एतद्वारा यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम सामाजिक सुरक्षा संहिता के जुर्माने से संबंधित प्रावधानों से पूर्णतः अवगत हूँ/हैं और यदि भविष्य में उपकर राशि के उपर्युक्त स्व-मूल्यांकन में उल्लिखित कोई जानकारी गलत अथवा अनुप्रयुक्त पायी जाती है अथवा तथ्यों को छिपाने या उपकर की राशि के परिकलन में कमी पाई जाती है तो मेरे/हमारे विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

नियोक्ता का हस्ताक्षर और मुहर

नाम:

दिनांक:

स्थान:

मोबाईल संख्या:

ई-मेल (यदि कोई हो)

प्रपत्र-XX

[नियम 51 (3) (क) देखें]

GIGकामगारों और प्लेटप्रपत्र कामगारों के एग्रीगेटरों द्वारा अंशदान के स्व-मूल्यांकन हेतु प्रारूप

(चालू वर्ष जिसमें अंशदान देय है, के 30 जून तक प्रस्तुत किया जाए)

1.	एग्रीगेटर/प्लेटप्रपत्र की पंजीकरण संख्या	
2.	एग्रीगेटर/प्लेटप्रपत्र का नाम और एग्रीगेटर/प्लेटप्रपत्र का पता/स्थान	
3.	प्राधिकृत व्यक्ति का नाम और पता संपर्क विवरण सहित	
4.	चालू वित्तीय वर्ष के प्रारंभिक दिन के अनुसार, अर्थात् वर्ष में अप्रैल की पहली तारीख जिसमें अंशदान देय है, एग्रीगेटर / प्लेटप्रपत्र के साथ संबद्ध गिग कामगारों और प्लेटप्रपत्र कामगारों की संख्या	
5.	पूर्ववर्ती वर्ष के ऐसे एग्रीगेटर/प्लेटप्रपत्र मंच की वार्षिक टर्न ओवर	
6.	एग्रीगेटर की देयता, जो पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए देय है	
7.	अंतिम अंशदान मूल्यांकन	(राशि रुपये में)
	7.1 पूर्ववर्ती वर्ष के लिए धारा 114 की उप-धारा (4) के अंतर्गत यथा अधिसूचित वार्षिक टर्नओवर का प्रतिषत	
	7.2 गिग कामगारों और प्लेटप्रपत्र कामगारों को एग्रीगेटर के 5% की देयता	
8.	देय अंशदान की राशि (7.1 और 7.2) का न्यूनतम (रुपये में)	
9.	ऊपर दिए गए आकलन के अनुसार अंतिम अंशदान का भुगतान।	
10.	अंतिम भुगतान का विवरण	
11.	टिप्पणी, यदि कोई हो	

नोट-1: अंशदान की गणना के प्रयोजनार्थ, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के अंतर्गत उप-धारा (91) के तहत यथा परिभाषित किसी एग्रीगेटर के टर्नओवर का अर्थ किसी वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा बिक्री, आपूर्ति, या माल के वितरण या प्रदान की गई सेवाओं, या दोनों से लाभ और हानि खाते में प्राप्त राजस्व की सकल राशि है।

नोट-2: इस प्रयोजनार्थ, किसी एग्रीगेटर के वार्षिक टर्नओवर में केंद्र सरकार को कोई कर, लेवी और भुगतान किया गया या देय उपकर शामिल नहीं होगा।

घोषणा

1. मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दिए गए विवरणी मेरी/हमारी अधिकतम जानकारी और विष्वास के अनुसार सत्य है और मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि कुछ भी छुपाया नहीं गया है या किसी भी तथ्य को मेरे/हमारे द्वारा की गई उपरोक्त आकलन में गलत प्रस्तुत नहीं किया गया है।
2. मैं/हम एतद्वारा यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम सामाजिक सुरक्षा संहिता के दंडात्मक उपबंधों से भली-भांति परिचित हैं और यदि भविष्य में अंशदायी राशि के स्व-मूल्यांकन में कुछ भी गलत या अनुप्रयुक्त पाया जाता है या तथ्यों को छिपाने या अंशदायी राशि से काम आकलन की कोई भी घटना पाई जाती है तो मेरे/हमारे खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

प्राधिकृत व्यक्ति का सील और मुहर सहित हस्ताक्षर

नाम:

दिनांक:

स्थान:

मोबाईल संख्या:

ई-मेल (यदि कोई हो)

प्रपत्र-XXI

[नियम 51 (3) (ख) और (ग) देखें]

GIG कामगारों और प्लेटप्रपत्र कामगारों के एग्रीगेटरों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी हेतु प्रारूप

(चालू वर्ष जिसमें अंशदान देय है, के 31 अक्तूबर तक प्रस्तुत किया जाए)

1.	एग्रीगेटर/प्लेटप्रपत्र की पंजीकरण संख्या	
2.	एग्रीगेटर/प्लेटप्रपत्र का नाम और एग्रीगेटर/प्लेटप्रपत्र का पता और स्थान	
3.	प्राधिकृत व्यक्ति का नाम और पता सहित संपर्क विवरण	
4.	चालू वित्तीय वर्ष के प्रारंभिक दिन के अनुसार, अर्थात् वर्ष में अप्रैल की पहली तारीख जिसमें अंशदान देय है, एग्रीगेटर / प्लेटप्रपत्र के साथ संबद्ध गिग कामगारों और प्लेटप्रपत्र कामगारों की संख्या।	
5.	पूर्ववर्ती वर्ष के ऐसे एग्रीगेटर/प्लेटप्रपत्र मंच की वार्षिक टर्न ओवर	
6.	एग्रीगेटर की देयता, जो पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए देय है	
7.	अनंतिम अंशदान मूल्यांकन	(राशि रुपये में)
	7.1	पूर्ववर्ती वर्ष के लिए धारा 114 की उप-धारा (4) के अंतर्गत यथा अधिसूचित वार्षिक टर्नओवर का प्रतिषत

	7.2	गिग कामगारों और प्लेटप्रपत्र कामगारों को एग्रीगेटर के 5% की देयता	
8.		देय अंशदान की राशि (7.1 और 7.2) का न्यूनतम) (रूपये में)	
9.		ऊपर दिए गए आकलन के अनुसार अनंतिम अंशदान का भुगतान।	
10.		अनंतिम भुगतान का विवरण	
11.		भुगतान किए जाने वाले बकाये अंशदान की राशि (क्र.सं. 8 -क्र.सं. 9)	
12.		बकाये अंशदान के भुगतान का प्रमाण यदि कोई हो	
13.		अतिरिक्त भुगतान किए गए अंशदान की राशि, यदि कोई हो	
14.		अधिक भुगतान किए जाने पर, उस बैंक खाते का विवरण जिसमें धनवापसी राशि वापस की जानी है	
15.		टिप्पणी, यदि कोई हो	

नोट-1: अंशदान की गणना के प्रयोजनार्थ, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के अंतर्गत उप-धारा (91) के तहत यथा परिभाषित किसी एग्रीगेटर के टर्नओवर का अर्थ किसी वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा बिक्री, आपूर्ति, या माल के वितरण या प्रदान की गई सेवाओं, या दोनों से लाभ और हानि खाते में प्राप्त राजस्व की सकल राशि है।

नोट-2: इस प्रयोजनार्थ, किसी एग्रीगेटर के वार्षिक टर्नओवर में केंद्र सरकार को कोई कर, लेवी और भुगतान किया गया या देय उपकर शामिल नहीं होगा।

घोषणा

1. मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दिए गए विवरणी मेरी/हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि कुछ भी छुपाया नहीं गया है या किसी भी तथ्य को मेरे/हमारे द्वारा की गई उपरोक्त आकलन में गलत प्रस्तुत नहीं किया गया है।
2. मैं/हम एतद्वारा यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम सामाजिक सुरक्षा संहिता के दंडात्मक उपबंधों से भली-भांति परिचित हैं और यदि भविष्य में अंशदायी राशि के स्व-मूल्यांकन में कुछ भी गलत या अनुप्रयुक्त पाया जाता है या तथ्यों को छिपाने या अंशदायी राशि से काम आकलन की कोई भी घटना पाई जाती है तो मेरे/हमारे खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

प्राधिकृत व्यक्ति का सील और मुहर सहित हस्ताक्षर

नाम:

दिनांक:

स्थान:

मोबाईल संख्या:

ई-मेल (यदि कोई हो)

फार्म-XXII

[(नियम 55(1)(क) देखें)]

महिला कर्मचारियों का रजिस्टर

प्रतिष्ठान का नाम

1. क्रम संख्या
2. महिला का नाम और उनके पिता (या, यदि विवाहित हैं तो पति) का नाम
3. नियुक्ति की तारीख
4. कार्य की प्रकृति
5. महीने और वर्ष के साथ तारीख जबसे वह नियोजित हैं, नौकरी से निकाली गई हैं और नियोजित नहीं हैं।

महिना	नियोजित दिनों की संख्या	नौकरी से निकाले गए दिनों की संख्या	नियोजित नहीं किए गए दिनों की संख्या	टिप्पणी
क	ख	ग	घ	ड.

6. महिला द्वारा धारा 62 के अंतर्गत नोटिस दिए जाने की तारीख
7.
8. धारा 62 के अंतर्गत प्रसव के प्रमाण प्रस्तुत करने की तिथि।
9. शिशु के जन्म की तिथि।
10. प्रसव/गर्भपात/गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति/ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन/बच्चे की मृत्यु/गोद लेने के प्रमाण प्रस्तुत करने की तिथि।
11. धारा 65 में संदर्भित रुग्णता प्रमाण प्रस्तुत करने की तारीख।
12. संभावित प्रसव से पहले अग्रिम भुगतान किए गए मातृत्व लाभ की राशि सहित भुगतान की तिथि।
13. तिथि सहित प्रसूति लाभ के अनुवर्ती भुगतान की राशि।
14. धारा 64 के अंतर्गत तिथि सहित बोनस की राशि, यदि भुगतान की गई हो।
15. धारा 65(1) और 65(3) के अंतर्गत तिथि सहित अवकाश के समय भुगतान की गई मजदूरी की राशि।
16. धारा 65(2) के अंतर्गत तिथि सहित अवकाश के समय भुगतान की गई मजदूरी की राशि और अवकाश की अवधि।
17. धारा 62 के अंतर्गत महिला द्वारा नामित व्यक्ति का नाम।

18. यदि महिला की मृत्यु होती है, तो उसकी मृत्यु की तारीख, उस व्यक्ति का नाम जिसे मातृत्व लाभ और/या अन्य राशि का भुगतान किया गया था, उसकी राशि और भुगतान की तारीख।
19. यदि महिला की मृत्यु होती है और शिशु जीवित रहता है तो, उस व्यक्ति का नाम, जिसे बच्चे की ओर से मातृत्व लाभ की राशि का भुगतान किया गया था और वह अवधि जिसके लिए यह भुगतान किया गया था।
20. महिला कर्मचारियों के रजिस्टर में प्रविष्टियों को प्रमाणित करते हुए प्रतिष्ठान के नियोक्ता का हस्ताक्षर।
21. निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता के उपयोग के लिए टिप्पणी कॉलम।

फार्म-XXIII

[(55(3)(क) नियम देखें)]

एकीकृत वार्षिक विवरणी

क. सामान्य भाग:

(क) प्रतिष्ठान का नाम

प्रतिष्ठान का पता:

मकान सं./प्लॉट सं. गली सं./प्लॉट सं.

शहर.....जिला.....राज्य.....पिन कोड.....

(ख) नियोक्ता का नाम

नियोक्ता का पता:

मकान सं./प्लॉट सं. गली सं./प्लॉट सं.

शहर.....जिला.....राज्य.....पिन कोड.....

ई-मेल आईडी.....दूरभाष सं.....मोबाईल सं.....

(ग) प्रतिष्ठान के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार प्रबंधक या व्यक्ति का नाम

.....

पता:

मकान सं./प्लॉट सं. गली सं./प्लॉट सं.

शहर.....जिला.....राज्य.....पिन कोड.....

ई-मेल आईडी.....दूरभाष सं.....मोबाईल सं.....

ख. नीचे दी गई तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित संहिता के अंतर्गत नियोक्त का पंजीकरण/ लाइसेंस संख्या:

क्र.सं.	नाम	पंजीकरण		यदि हां (पंजीकरण सं.)
(1)	(2)	(3)		(4)
01.	व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य दषाएं संहिता 2020			
02.	सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020			
03.	समय लागू होने के लिए कोई अन्य कानून।			

ग. नियोक्ता, ठेकेदार और ठेका श्रम के विवरण:

01.	ठेकेदारों के प्रतिष्ठान के मामले में नियोक्ता का नाम।		
02.	प्रतिष्ठान के आरंभ होने की तारीख।		
03.	वर्ष के दौरान प्रतिष्ठान में कार्यरत ठेकेदारों की संख्या।		
04.	वर्ष के दौरान दिनों की कुल संख्या जिनमें ठेका श्रमिक नियोजित थे।		
05.	वर्ष के दौरान ठेका श्रम द्वारा कार्य किए गए श्रम-दिनों की कुल संख्या।		
06.	प्रबंधक या एजेंट का नाम (खदानों के मामले में)		
07.	पता मकान सं./प्लैट सं. शहर ई-मेल आईडी मोबाईल संख्या	गली/प्लॉट सं. जिला दूरभाष संख्या	पिन कोड

घ. नियोक्ता, ठेकेदार और ठेका श्रम के विवरण:

01.	वर्ष के दौरान कार्य किए गए दिवसों की संख्या।	
02.	वर्ष के दौरान कार्य किए गए श्रमदिवसों की संख्या।	
03.	कार्य के दैनिक घंटे।	
04.	विश्राम का साप्ताहिक दिवस।	

ड. वर्ष के दौरान किसी दिन भी नियोजित व्यक्तियों की अधिकतम संख्या:

क्र.सं.	पुरुष	महिला	किशोर (14 से 18 वर्ष की आयु के बीच)	बच्चे (14 वर्ष की आयु से कम)	कुल

च. मजदूरी दरें (श्रेणी-वार):

श्रेणी	मजदूरी की दरें	कामगारों की संख्या								
		नियमित				संविदा				
		पुरुष	महिला	बच्चे	किशोर	पुरुष	महिला	बच्चे	किशोर	
उच्च										
कुशल										
कुशल										
अर्धकुशल										
अकुशल										

छ. (क) भुगतान का विवरण:-

भुगतान किया गया सकल वेतन		कटौतियां			भुगतान किया गया निवल	
नकद	अन्य प्रकार से	जुमानें	नुकसान अथवा क्षति के लिए कटौतियां	अन्य	नकद	अन्य प्रकार से

ख. वर्ष के दौरान सवेतन अवकाश अनुमोदित किए गए कामगारों की संख्या:

क्रम संख्या	वर्ष के दौरान	कामगारों की संख्या	सवेतन अवकाश अनुमोदित

ज. सांविधिक योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई विभिन्न कल्याण योजनाओं का विवरण:

क्रम संख्या	उपलब्ध कराई गई विभिन्न कल्याण सुविधाओं की प्रकृति	सांविधिक (सांविधि विनिर्दिष्ट करें)

झ. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अंतर्गत प्रसूति लाभ :

(क) प्रतिष्ठान, चिकित्सा एवं पैरा-चिकित्सा स्टाफ का विवरण:

01.	प्रतिष्ठान के खुलने की तारीख	
02.	बंद होने की तारीख, यदि बंद हो तो	
03.	चिकित्सा अधिकारी का नाम	
03 (i).	चिकित्सा अधिकारी की योग्यता	
03 (ii).	क्या चिकित्सा अधिकारी (खान अथवा सकर्स) में है?	
03 (iii).	क्या वह अंशकालिक है, तो कितनी बार प्रतिष्ठान का दौरा करता/करती है?	
03 (iv).	क्या वहां कोई अस्पताल है?	
03 (v).	यदि हां, तो कितने बिस्तरों की सुविधा उपलब्ध है?	
03 (vi).	क्या वहां कोई महिला चिकित्सक है?	
03 (vii).	यदि हां, तो उसकी योग्यता क्या है?	
03 (viii).	क्या वहां कोई योग्य दाई है?	
03 (ix).	क्या शिशुगृह की सुविधा उपलब्ध कराई गई है?	

ख. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अंतर्गत अनुमोदित अवकाश

01.	प्रतिष्ठान में महिला कर्मचारियों की कुल संख्या	
02.	अनुमोदित अवकाश के दिनों की कुल संख्या	
03.	कर्मचारियों की संख्या जिन्हें प्रसूति अवकाश दिया गया/ईएसआई द्वारा लाभान्वित हुए	

घोषणा

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सूचना सत्य एवं वही है तथा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मैंने मेरे प्रतिष्ठान पर लागू होने वाले श्रम कानूनों के सभी उपबंधों का अनुपालन किया है।

स्थान

तारीख

यहां हस्ताक्षर करें

फार्म-XXIV

[नियम 56(1) देखें]

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 138 की उपधारा (1) के अंतर्गत अपराध की कम्पाउंडिंग के लिए पहली बार अपराध करने वाले नियोक्ता को नोटिस

नोटिस संख्या.....

तारीख:

मेरे समक्ष रखे गए रिकार्ड एवं दस्तावेजों के आधार पर, अधोहस्ताक्षरी के पास यह मामने के लिए कारण हैं कि आपने, प्रतिष्ठान के नियोक्ता होने के कारण (पंजीकरण संख्या), संहिता के उपबंधों अथवा योजनाओं अथवा नियमों अथवा उनके अंतर्गत विनियमों के उल्लंघन में नीचे दिए गए विवरणानुसार अपराध किया है:-

भाग- I

1. व्यक्ति का नाम:
2. प्रतिष्ठान का नाम एवं पता:
3. प्रतिष्ठान की पंजीकरण संख्या:
4. अपराध का विवरण:
5. संहिता/योजना /नियमों/विनियमों के उपबंध जिनके अंतर्गत अपराध किया गया है:
6. अपराध के संघटन के लिए भुगतान किए जाने के लिए अपेक्षित कंपाउंडिंग राशि:
7. कॉलम 6 में विनिर्दिष्ट राशि जमा करने के लिए खाते का नाम एवं विवरण:

भाग- II

उपर्युक्त के दृष्टिगत, आपके पास ऊपर वर्णित राशि का भुगतान करने के लिए इस नोटिस के जारी होने की तारीख से 15 दिन के अंदर भुगतान करने तथा इस नोटिस के भाग-III में भरकर आवेदन को लौटाने का विकल्प है।

यदि विनिर्दिष्ट समय में उक्त राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो इस संबंध में बिना कोई अवसर दिए अभियोजन दायर करने के लिए आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी।

(कंपाउंडिंग अधिकारी के हस्ताक्षर)

तारीख:

स्थान:

अपराध की कंपाउंडिंग के लिए धारा 138 की उप-धारा (4) के अंतर्गत आवेदन

संदर्भ : नोटिस संख्या

तारीख:

अधोहस्ताक्षरी ने भाग-। के कॉलम 6 में विनिर्दिष्ट की गई सम्पूर्ण राशि जमा कर दी है तथा भाग-। में उल्लिखित अपराध को कंपाउंड करने के अनुरोध के साथ भुगतान का विवरण नीचे दिया गया है।

1. जमा की गई कंपाउंडिंग राशि का विवरण (इलैक्ट्रॉनिक ढंग से जारी रसीद की प्रति संलग्न की जानी है)।
2. अभियोजन, यदि ऊपरलिखित अपराधों के उल्लंघन के लिए दायर किया गया हो, का विवरण:
3. क्या यह अपराध प्रथम अपराध है अथवा आवेदक ने इस अपराध से पहले कोई अन्य अपराध किया था, यदि किया था तो उस अपराध का पूर्ण विवरण दें:
4. अन्य कोई सूचना जो आवेदक देना चाहता हो :

आवेदक के हस्ताक्षर
(नाम एवं पदनाम)

तारीख:

स्थान:

भाग-IV

[नियम 56(3) देखें]

संदर्भ : नोटिस संख्या

तारीख:

यह प्रमाणित किया जाता है कि संहिता की धारा 133 की उपधारा के अंतर्गत अपराध, जिसके संबंध में श्री (आवेदक),(प्रतिष्ठान का नाम एवं पंजीकरण संख्या) के नियोक्ता को दिनांक:..... का नोटिस संख्या जारी किया गया था, को उक्त नोटिस के अनुपालन में अपराधों के संघटन के लिए (रूपये) की पूर्ण राशि का भुगतान करने के कारण कंपाउंड कर दिया गया है।

(हस्ताक्षर)

अधिकारी का नाम एवं पदनाम

तारीख:

स्थान: